लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र]

Thirteenth Session

[खंड 49 में अंक 21 से 30 तक हैं]
Vol. XLIX contains Nos. 21 to 30

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 27—शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 1965/19 अग्रहायण, 1887 (शक)

No. 27—Friday, December, 10 1965/Agrahayana 19, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
773	सिविलियन लक्ष्यभेद अभ्यास के लिए राइफलों का निर्माण	Manufacture of Rifles for Civilian Target Slooting Practices	2513–15
774	गंगटोक के निकट पाया गया सोना	Gold Discovered near Gangtok	2515–16
775	आयात हक़दारी योजना	Import Entitlement Scheme	2517–18
776	बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel	2518–20
777	कोयला खानों में मशीनों का प्रयोग	Mechanisation of Coal Mines	2521–23
779	कोयला और खनन मशीनें	Coal and Mining Machinery	2523–24
780	संयंत्र तथा मशीनों का आयात	Import of Plant and Machinery	2524–27
781	रेलवे लाइन का जम्मू तक बढ़ाया जाना	Extension of Railway Line upto Jammu	2527–29
785	पूर्वी अफ्रीकी देशों को भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल	Indian Trade Delegation to East African Countries	2529–31
786	अमरीका के सहयोग से उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries with U. S. Collaboration	2531–32

अ० सू० प्र० सं० S. N. Q. Nos.			
11	उनी कपड़े के मूल्य	Price of Woollen Cloth	2532–33
12	एडवांस इन्श्योरेन्स कम्पनी, बम्बई	Advance Insurance Company, Bombay	2533–35
13	सशस्त्र सेना में अनिवार्य भर्ती	Conscription to the Armed Forces	2619–21
14	ब्रिटिश गिनी से चावल का आयात	Import of Rice from British Guiana	2622
15	पाकिस्तान रेडियो पर प्रचार	Propaganda on Pak Radio	2622–23
16	बी० एम० टी० कामोडिटी कम्पनी, न्यूयार्क	BMT Commodity Company, New York	2623–24
17	नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड के सिविल इंजीनियरों की छंटनी	Retrenchement of Civil Engineers of Neyveli Liganite Corporation Ltd.	2624–26
18	एशियाई विकास बैंक	Asian Development Bank	2626–27

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
778	मद्रास में व्यापारियों द्वारा स्थानापन्न वस्तुओं का गलत प्रयोग	Wrongful Utilisation of Substitutions by Traders in Madras	2541
782	इस्पात निर्यात	Export of Steel	2541-42
783	उर्वरक कारखाना नेवेली	Fertiliser Factory, Neyveli	2542
784	मोटरगाड़ियों के पुर्जों का आयात	Import of Automobile Spare Parts	2542
787	नाइजीरिया में बिजली वितरण	Power Transmission Line in Nigeria	2542-43
788	तेल शोधक संयंत्र का निर्माण	Manufacture of Refinery Plant	2643
789	इंधन की खपत	Fuel Consumption	2543-44
790	अच्छे किस्म के कोयले में किफायत	Economy in Higher Grade Coal	2544
791	सीमेन्ट पर से नियंत्रण हटाना	Decontrol of Cement	2545
792	न्यूयार्क विश्व मेला	New York World Fair	2545-46
793	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	2546
794	ब्रिटेन तथा अमरीका से व्यापार	Trade with U. K. & U. S. A.	2546
795	युरोपीय साझा बाजार के सदस्य देशों के साथ व्यापार	Trade with European Common Market Countries	2547-48
796	अमरीकी-सहायता माल का छोड़ा जाना	Release of U. S. Aid Cargoes	2548
797	रेलवे अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाना	Service Extension to Railway Officers	2548-49
798	विशाखपट्टणम में कच्चे लोहे के कारखाने की स्थापना	Location of Pig Iron Plant at Vishakhapatnam	2549
799	रेलवे स्टेशनों पर किताबों की दूकानें	Railway Book Stalls	2550
800	कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills	2550-51
801	अमृतसर में औद्योगिक संस्थान	Industrial Establishments in Amritsar	2551
802	न्यूयार्क विश्व मेला	New York World Fair	2551-52

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2219	पश्चिम अफ्रीका में उद्योग	Industries in West Africa	2552
2220	मैंगनीज का उत्पादन	Manganese Production	2552-53

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2221	उड़ीसा में बारबिल में लो शाफ्ट भट्टी के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Low Shaft Furnace at Barbil, Orissa .	2553
2222	शोरानूर तथा कोचीन के बीच रेलगाड़ी	Train between Shoranur and Cochin	2553
2223	रेलवे की जमीन	Railway Lands	2553–54
2224	दिल्ली के निकट यमुना पर पुल	Bridges over Yamuna near Delhi .	2554
2225	भारतीय तम्बाकू संस्था	Indian Tobacco Association .	2554
2226	रेलवे डिजायन एण्ड स्टैण्डर्ड आर्गेनाइजेशन, लखनऊ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	S. C. and S. T. Employees in Railway Designs and Standard Organisation, Lucknow . .	2555
2228	3 ए० के० और 4 ए० के० पैसेंजर गाड़ियां	3 A.K. and 4 A.K. Passenger Trains	2555
2229	श्रीकाकुलम अमुदालावल्सा रेल सम्पर्क	Srikakulam-Amudalavalsa Rail Link	2555–56
2230	कच्ची फिल्म उद्योग	Raw Film Industry . .	2556
2231	फिल्मों का निर्यात और आयात	Export and Import of Films . .	2556
2232	आयात लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Import Licences . .	2557
2233	औद्योगिक लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Industrial Licences.	2557
2234	झांसी-मणिकपुर सेक्शन पर एक्सप्रेस गाड़ी	Express Train on the Jhansi-Manikpur Section	2557–58
2235	कानपुर बांदा सेक्शन (मध्य रेलवे) पर रेलवे गार्ड को धमकी	Threat to Railway Guard on Kanpur-Banda Section (C. Rly.) .	2558
2236	बर्फ के फ्लेक बनाने के लिये मशीनों का निर्माण	Manufacture of Machines for making Ice Flakes	2558–59
2237	इलायची सम्बन्धी संविहित बोर्ड	Statutory Board for Cardamom	2559
2238	"मैसूर प्रिंसेस" नामक रेशम	Silk known as Mysore Princess .	2559
2239	रेलवे में कमर्शियल क्लर्कों के पदों का ग्रेड बढ़ाना	Up-grading of Posts of Commercial Clerks on the Railways . .	2559
2240	इस्पात और खान के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Steel and Mines	2560
2241	काकीनाड़ा (आन्ध्र प्रदेश) में कच्चे लोहे का कारखाना	Pig Iron Plant in Kakinada (Andhra Pradesh)	2560
2242	खली-उद्योग	Oil Cake Industries . .	2560–61

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2243	सिले हुए कपड़ों का निर्यात	Export of Garments	2561–62
2244	कुतुब रोड पुल, दिल्ली	Qutab Road Bridge, Delhi.	2562
2245	टीन की धातु की कमी	Shortage of Tin Metal	2562
2246	टेनिस की गेंदों का निर्माण	Manufacture of Tennis Balls	2563
2247	टिकट परीक्षक	Ticket Examiners.	2563
2248	पश्चिम रेलवे में टिकट परीक्षकों को रात में काम करने का भत्ता और मील भत्ता	Night Duty and Mileage Allowances to Ticket Examiners on the Western Railway	2563
2249	टिकट परीक्षकों के लिये क्वार्टर	Quarters for Ticket Examiners	2563–64
2250	इंडियन आक्सीजन लिमिटेड, कलकत्ता	Indian Oxygen Limited, Calcutta	2564
2251	दाहक साधित्र	Burning Appliances	2564–65
2252	बायलरों का निर्माण	Manufacture of Boilers	2565
2253	रेलवे लाइन के आस पास की भूमि	Land Along the Railway Tracks	2565
2254	उर्वरक कारखाना, रूरकेला	Fertilizer Factory, Rourkela	2565–66
2255	रेलवे पासों का दुरुपयोग	Misuse of Railway Passes	2566
2256	पूर्व अफ्रीकी देशों को कपड़े का निर्यात	Export of Textile Goods to East African Countries	2566–67
2257	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	2567
2258	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	2567–68
2259	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	2568
2260	मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलों में काम करने वाले श्रमिक	Textile Workers in Madhya Pradesh	2568
2261	चार पहियों वाले वैगन	Loading Time for 4 Wheeled Wagons	2569
2262	रूस से व्यापार करार	Trade Agreement with U. S. S. R.	2569
2263	डीजल के इंजन	Diesel Locomotives	2569–70
2264	साहिबगंज लूप तक बड़ी लाइन निकालना	B.G. Outlet to Sahibganj Loop	2570
2265	बेबी फूड का आयात	Import of Baby Food	2571
2266	स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters	2571
2267	फरक्का खजूरिया घाट नौका यातायात सेवा	Farakka-Khajuriaghat Ferry	2571–72
2268	जी० टी० तथा सदर्न एक्सप्रेस	G.T. and Southern Express.	2572
2270	पाकिस्तान द्वारा माल रोका लेना	Impounding of Cargo by Pakistan	2572

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2271	उत्तर रेलवे के जूनियर रैंक के प्रशासन अधिकारी	Junior Administrative Rank Officers on the N. Rly.	2572–73
2272	भारतीय रेलवे लेखा विभाग के प्रथम श्रेणी के क्लर्क	Clerks Grade I of Indian Railways Accounts Deptt.	2573
2273	असिस्टेंट इंस्पेक्टर आफ वर्क्स	Assistant Inspector of Works	2573–74
2274	सम्भरण तथा निपटान महा-निदेशक का कार्यालय	Office of the Director General of Supplies and Disposals	2574
2275	खनन वित्त निगम	Mining Finance Corporation	2574
2276	रेलवे में यात्री गाइडों का वेतन-क्रम	Pay Scale of Passenger Guides in the Railways	2574–75
2277	खुर्दा डिवीज़न में यात्री गाइड	Passenger Guides in Khurda Division	2575
2278	मेसर्ज इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड, कलकत्ता	M/s. Indian Oxygen Ltd., Calcutta	2575–76
2279	टैंकों के लिये इस्पात के बख्तरों का उत्पादन	Production of Steel Armour for Tanks	2576
2280	ट्रांसफार्मरों और केपेसिटरों का निर्माण	Manufacture of Tansformers and Capacitors	2576–77
2281	चाय बोर्ड	Tea Board	2577
2282	दिल्ली के बड़े स्टेशन पर पार्सल कार्यालय	Parcel Office at Delhi Main Station	2577
2283	दुर्गापुर में चौथी धमन भट्टी	Fourth Blast Furnace at Durgapur	2577–78
2284	"उद्योग पत्रिका"	Udyog Patrika	2578
2285	केरल में लोह अयस्क भण्डार	Iron Ore Deposits in Kerala	2578
2286	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	2578–79
2287	लालगढ़ रेलवे वर्कशाप (बीकानेर डिवीज़न) के पास अस्पताल का निर्माण	Construction of Hospital near Lalgarh Railway Workshop (Bikaner Dn.)	2579
2288	लालगढ़ रेलवे वर्कशाप (बीकानेर डिवीजन) के पास अस्पताल का निर्माण	Construction of Hospital near Lalgarh Railway Workshop, (Bikaner Div.)	2579–80
2289	केसिंगा रेलवे फाटक पर उपरि-गामी पुल	Overbridge at Kesinga Level	2580
2290	पुस्तकों का आयात	Import of Books.	2580–81
2291	यूरोपीय आर्थिक संस्था	European Economic Community	2581–82
2292	श्रीलंका रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था	Ceylon Railway Security Measures	2582
2293	नौका यातायात सेवा	Ferry Service	2582
2294	मलाया और सिंगापुर को निर्यात	Exports to Malaya and Singapore	2583

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2295	बंगलोर चिक-बल्लापुर-बेंगरपेट रेलवे लाइन	Bangalore-Chick-Billapur Bangarpet Railway Line	2583
2296	मालूर रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल	Overbridge at Malur Railway Station	2583–84
2297	हिसार में कच्चे लोहे का कारखाना	Pig Iron Plant at Hissar	2584
2298	भिलाई इस्पात कारखाने में नियुक्त विदेशी	Foreigners employed in Bhilai Steel Plant	2584–85
2299	विशेष इस्पात के लिये कारखाना	Plant for Special Steel	2585
2300	पाण्डिचेरी में भारती कपड़ा मिल	Bharati Textile Mill at Pondicherry	2585
2301	मशीनी औजार कारखाने	Machine Tool Plants	2585–86
2302	हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	Heavy Electricals Ltd., Bhopal	2586
2303	एक डिवीजन से दुसरे डिवीजन में और एक रेलवे से दूसरी रेलवे में रेलवे अधिकारियों का स्थानान्तरण	Inter Divisional and Inter-Railway Transfers of Railway Officers	2586–87
2303-क	आन्ध्र में इस्पात संयंत्र	Steel Plant in Andhra	2587
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance—	
	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता—	Dearness Allowance to Central Government Employees—	
	श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	2587
	श्री ति० त० कृष्णमाचारी	Shri T. T. Krishnamachari	2587–88
	स्पष्टीकरण के लिये विविध प्रश्न	Miscellaneous Points for Clarification	2589–90
	सभा का कार्य	Business of the House	2591, 2600
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	2591–94
	प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
	तिरसठवें प्रतिवेदन के अध्याय पांच के बारे में विवरण	Statement re : Chaper V of Sixty-third Report	2594
	सभा में कार्य संचालन के बारे में बातें	Points re : Conduct of Business in Lok Sabha	2594–96
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी-समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
	कार्यवाही-सारांश	Minutes	2597
	नियम समिति—	Rules Committee—	
	कार्यवाही-सारांश	Minutes	2597
	सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति—	Committee on Government Assurances—	
	कार्यवाही-सारांश	Minutes	2597

विषय	पृष्ठ
राज्य सभा से सन्देश	
जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया	
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	
प्राक्कलन समिति	
अठासीवां प्रतिवेदन	
लोक-लेखा समिति	
बयालीसवां प्रतिवेदन	
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	
तेरहवां प्रतिवेदन	
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	
युनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया (संशोधन) विधेयक— पुरस्थापित	
सीमेंट से नियंत्रण हटाने के बारे में प्रस्ताव—	
श्री त्रि० ना० सिंह	
श्री स० मो० बनर्जी	
नियम 193 के अन्तर्गत कपड़ा मिलों आदि के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा—	
श्री मधु लिमये	
श्री सोनावने	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	
पी. एल 480 के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका से गेहू संभरण—	
श्री चि० सुब्रह्मण्यम	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छिहत्तरवां प्रतिवेदन	
तेल उद्योग के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	
श्री मधु लिमये	
श्री श्रीनारायण दास	
श्री नारायण दांडेकर	
श्री रा० स० तिवारी	
श्री बड़े	
श्री रघुनाथ सिंह	
श्रीमती जयाबेन शाह	
डा० राम मनोहर लोहिया	

SUBJECT	PAGES
Message from Rajya Sabha . .	2597
Jawaharlal Nehru University Bill—Laid on the Table, as passed by Rajya Sabha	2598
President's Assent to Bill	2598
Estimates Committee—	
Eighty-eighth Report	2598
Public Accounts Committee—	
Forty-second Report . .	2598
Committee on Public Undertakings—	
Thirteenth Report . .	2598
Personal Explanation by Member.	2599
Unit Trust of India (Amendment) Bill—Introduced . . .	2599
Motion re: Decontrol of Cement—	
Shri T. N. Singh .	2601–02
Shri S. M. Banerjee .	2602
Discussion under Rule 193 re : Closure of Textile Mills etc.—	
Shri Madhu Limaye .	2602–03
Shri Sonavane .	2605
Shri Indrajit Gupta .	2605
Statement re: Wheat Supplies from U.S.A. under PL-480—	
Shri C. Subramaniam . .	2603–05
Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
Seventy-sixth Report	2606
Resolution re: Oil Industry—*Negatived*—	
Shri Madhu Limaye .	2606–07
Shri Shree Narayan Das .	2607
Shri N. Dandekar .	2607
Shri R. S. Tiwary .	2608
Shri Bade . .	2608
Shri Raghunath Singh .	2608
Shrimati Jayaben Shah . .	2608
Dr. Ram Manohar Lohia .	2608–09

विषय	Subject	Pages
श्री म० ल० जाधव	Shri M. L. Jadhav .	2609
श्री अ० ना० विद्यालंकार	Shri A. N. Vidyalankar .	2609
श्री हुमायून कबिर	Shri Humayun Kabir . . .	2609–11
राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता के बारे में संकल्प——	Resolution re: National and Emotional Integration—	
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	Shri Sidheshwar Prasad . .	2611–12, 2617–18
ताशकन्द में राष्ट्रपति अयूब खां के साथ प्रधान मंत्री की प्रस्तावित भेंट तथा अन्य मामलों के बारे में वक्तव्य—	Statement re: Proposed Meeting of the Prime Minister with President Ayub Knan at Tashkent and other Matters—	
श्री लाल बहादुर शास्त्री	Shri Lal Bahadur Shastri .	2612–14
उड़ीसा में आम चुनावों के स्थगन के बारे में वक्तव्य——	Statement re : Postponement of General Election in Orissa—	
श्री नन्दा	Shri Nanda .	2619

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 1965/19 अग्रहायण, 1887 (शक)
Friday, December 10, 1965/Agrahayana 19, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सिविलियन लक्ष्यभेद अभ्यास के लिए राइफलों का निर्माण

***773. श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविलियन लक्ष्यभेद अभ्यास के लिए राइफलें, बन्दुकें तथा कारतूस बनाने की अनुमति गैर-सरकारी क्षेत्र को देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : अगले पांच वर्षों में रायफलों, बन्दूकों और कारतूसों की मांग का अनुमान लगाने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। यदि मांग के अध्ययन से यह पता चला कि उसे पूरा करने के लिए एक या अधिक एककों का स्थापित करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद रहेगा तो इन एककों की सहायता के लिए साधन उपलब्ध करने के प्रयत्न किए जाएंगे।

श्री कर्णी सिंहजी : सरकार ने देश के भीतर लक्ष्यभेदी शस्त्रास्त्रों के निर्माण के लिये भारत के राष्ट्रीय रायफल असोसिएशन की प्रार्थना को बारबार क्यों ठुकराया है जब कि हमें पता है कि इसकी बहुत कमी है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : माननीय सदस्य को इस बारे में मेरे से अधिक जानकारी है क्योंकि इस पर प्रस्ताव उनके जरिये ही पहल की गयी थी। लेकिन प्रश्न यह है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय यह अनुभव करता है कि यह बड़ा सूक्ष्म काम है और इस काम को कर सकना किसी गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठन के बस का नहीं है। वे यह महसूस करते हैं कि मांग को देखते हुए वे आवश्यकता पूरी कर सकेंगे लेकिन पिछले एक या दो या तीन वर्षों मे स्थिति निश्चय ही बदल गई है और इसलिये समूचा प्रश्न विचाराधीन है।

श्री कर्णी सिंहजी : क्या सरकार को पता है कि प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के कारण यदि असैनिक व्यक्तियों के लिये बन्दूकें और रायफलें केवल आयुध कारखानों में ही बनायी जाती रहें तो इस लक्ष्यभेदी आन्दोलन को गति प्राप्त होने में कई वर्ष लग जायेंगे ?

श्री त्रि० ना० सिंह : यही मैंने कहा है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा अपनी सेवाओं की आवश्यकता के लिये अन्य महत्वपूर्ण उत्पादनों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि समूचे प्रश्न पर विस्तार से विचार किया जाय और ऐसा किया जा रहा है। शस्त्रास्त्रों का निर्माण औद्योगिक नीति संकल्प की अनुसूचि 'क' के अनुसार है। इस प्रश्न पर भी विचार किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय : क्या संसदीय राइफल एसोसिएशन यह कार्य करने को तैयार है ?

श्री कर्णी सिंहजी : नहीं।

श्रीमती सावित्री निगम : इस बात को ध्यान में रखते हुए देश में यह राइफल प्रशिक्षण प्राप्त करने की बड़ी मांग है, क्या मैं जान सकती हूं कि मंत्रालय हवाई बन्दूकें (एयर गन) बनाने के लिये, जो लोगों को प्रशिक्षण देने में बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई हैं, तात्काल कदम क्यों नहीं हटा रहा है अथवा इसकी व्यवस्था करने के लिये अनुमति क्यों नहीं दे रहा है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हमने गुजरात में हवाई राइफलों के निर्माण के लिये एक कारखाने को लाइसेंस दिया है। दूसरा कारखाना जिसको पंजाब में लाइसेंस दिया गया था या दिया जाने वाला था, वह पूरा नहीं हुआ है।

श्री हेम राज : क्या सरकार को पंजाब सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि वे ये बन्दूकें बनाना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का कहना है कि वह इरादा छोड़ दिया गया है।

Shri Madhu Limaye : Is Government aware that in Monghyr the work of manufacturing guns, rifles is being carried on for long ? Now at present those workers are in great difficulty. Is it proposed to manufacture military or non-military arms on large scale by giving them help ?

Shri T. N. Singh : Certain persons make cartridges, but it is said by experts that this thing is not so reliable and these are not fit for defence purposes.

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : जब महिलाओं को राइफल प्रशिक्षण दिया जाता है तो क्या उनको राइफलें दी जायेंगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इसपर कोई आपत्ति कैसे हो सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : महिलायें स्वयं कारखाना क्यों नहीं खोल लेतीं ?

Shri Jagdev Singh Siddhanti : In 1947 at the time of Civil War the blacksmiths of Hariyana had manufactured guns, pistols and even canons. May I know, whether in view of needs of the public Government propose to give licences to these blacksmiths for manufacturing rifles etc. ?

Mr. Speaker : He has replied to that.

Shri Kashi Ram Gupta : After conflict with Pakistan it has become necessary that people should be given training on a large scale. The guns produced in Government factory are not even sufficient to meet the defence requirements. In view of this is it proposed to give licences to certain firms within one year which can supply guns according to requirements.

Shri T. N. Singh : There cannot be two opinions regarding need for training and the ministries of Home Affairs and Defence are making arrangements for

that. But so far as manufacture of arms is concerned the policy is to produce them in public sector than in the private sector. This is also in accordance with the Industrial Policy Resolution. Anyhow, in view of the present situation it is being considered.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : देश के कुछ भागों में गैर सरकारी निर्माताओं द्वारा बनाये जा रहे कुछ शस्त्रों की किस्म के बारे में क्या राय बनायी गयी है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मुझे पता नहीं है। अवैध रूप से कुछ बन रहा हो। लेकिन यह कानूनी तौर पर नहीं है ।

श्री शिकरे : जब कि यह प्रश्न असैनिक इस्तेमाल के लिये बन्दूकों और रायफलों के निर्माण के बारे में है, सरकार को अथवा प्रतिरक्षा मंत्रालय को उनकी किस्म के बारे में इतनी चिन्ता क्यों है ? अथवा क्या मैं यह समझूं कि इस मामले मे भी अहिंसा के गांधीवादी सिद्धान्तों को अपनाया जाये . . . .

अध्यक्ष महोदय : इसका गांधीवादी सिद्धान्तों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Yashpal Singh : Has it come to the notice of the Hon. Minister that the guns manufactured so far are not upto the standard and they become not quickly and it is also clear that ordnance factories are not able to meet the requirements. So, what is the objection in setting up of new factories in private sector to meet the present demand of the country ?

Mr. Speaker : This is what he said.

Gold Discovered near Gangtok

+

*774. **Shri S. N. Chaturvedi :** **Shri Parashar :**
Shri M. L. Dwivedi : **Shri S. C. Samanta :**
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item captioned "Gold Discovered near Gangtok" in Hindustan Times, dated the 29th August, 1965 wherein it is reported that gold has been discovered at a place called Digchu ;

(b) if so, whether Government have deputed experts to inspect the site and investigate the facts ;

(c) whether according to the opinion of experts, this gold is of high quality from commercial point of view ; and

(d) if so, the likely quantum of these deposits ?

इस्पात और खान मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) हां, महोदय ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) : इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स द्वारा किये गये अन्वेषणों के अनुसार तांबा खनिजायन के साथ सोने का अनुरेखण होना पाया गया है । सोने की मात्रा कच्ची धातु में अनुरेखण से एक टन में 0.3 ग्राम तक पाई जाती है और इसलिये व्यापारिक स्तर पर विदोहन के लिये मितोपयोगी नहीं है ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या जांच पड़ताल पूरी हो गई है और क्या सरकार ने इन खानों का विदोहन न करने का फैसला कर लिया है ?

श्री तिम्मय्या : जी, हां ।

श्री जोकीम आल्वा : संसार में सोने का उत्पादन करने वाले देश में भारत का दसवें स्थान से भी कम का स्थान है जब कि 30 वर्षों में सोवियत संघ का स्थान दूसरा हो गया है । हमारे यहां केवल 3 सोने की खानें हैं । क्या सरकार का देश में इन और अन्य खनिजों के विदोहन के लिये कोई विशेष कार्यक्रम है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : हमने इस विशेष स्थान के बारे में जांच पड़ताल की है । समूचे भारत का सर्वेक्षण नहीं किया गया है । जब भी कभी अच्छी मात्रा में सोना मिल सकेगा, हम उसका विदोहन करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : श्री आल्वा ने कुछ स्थानों का सुझाव दिया है । उनका विदोहन किया जाय ।

श्री संजीव रेडडी : निश्चय ही ।

Shri M. L. Dwivedi : May I know whether there is any difference between the quality of minerals produced from two new gold mines in Bichhu near Gangtok? What are the difficulties to exploit them on commercial basis and what is the outcome of the investigation made?

श्री तिम्मय्या : जब हमें इस खान का पता लगा तो इस सोने में तांबा चांदी और अन्य धातु मिली हुई थी । इन दो खानों से, बोन्टोक और बिच्चू में, भारतीय खान ब्यूरो ने कुछ नमूने निकाले । उनका धातुकर्मिक प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया और यह पता लगा कि सोने की मात्रा नगण्य है और यह इससे निकाला नहीं जा सकता ।

श्री सुबोध हंसदा : सभा सचिव ने कहा कि इसका विदोहन नहीं किया जा रहा है । यदि हां, तो इसको विदोहन के लिये किसी अन्य पक्ष को पट्टे पर दिया जायेगा ।

श्री तिम्मय्या : जी, नहीं । सिक्किम कारपोरेशन सीसा, जस्ता और तांबा जैसे अन्य खनिजों के लिये इन खानों का विकास कर रहा है और यें धातुएं निकाल रहा है ।

श्री स० चं० सामन्त : किस प्रकार के सर्वेक्षण किये गये थे ? क्या चुम्बकीय सर्वेक्षण भी किया गया था ?

श्री तिम्मय्या : मैंने बताया कि भूमि के अन्दर काम करके कुछ नमुने लिये गये हैं । हमने प्रयोगशाला में उनका परीक्षण किया हम इस परिणाम पर पहुंचे कि उनमें सोने की मात्रा नहीं के बराबर है ।

डा० रानेन सेन : सभा सचिव ने अभी बताया कि गंगटोक में घटिया किस्म के सोने की मात्रा पाई गई । क्या मैं जान सकता हूं कि कोलार सोने की खानों में पाये जाने वाले से की मात्रा क्या है ?

श्री संजीव रेड्डी : माननीय सदस्य गलती कर रहे हैं । यह किस्म नहीं है । मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिये बताना चाहता हूं कि कोलार में सोने की मात्रा 13.4 है जबकि वह 0.3 है ।

Shri Kashi Ram Gupta : It has been stated that copper contents have been found with the gold. May I know whether the copper contents are so much as to warrant its exploitations and if so, whether any steps are being taken in this regard?

Mr. Speaker : Copper is something else. The question relates to gold contents only.

आयात हकदारी योजना

+

*775. **श्री मधु लिमये :**

श्री राम सेवक यादव :

श्री बागड़ी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात हकदारी योजना में फेर-बदल करने से हमारी निर्यात आय में तथा विदेशी मुद्रा बचाने में कोई अन्तर पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) आयात हकदारी योजनाओं के सम्बन्ध में कोई पुनर्विलोकन नहीं किया गया है ।

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्मित वस्तुओं के निर्यात में बराबर वृद्धि हो रही है ।

Shri Madhu Limaye : May I know whether Government is aware that people are making money by setting the goods imported under the import entitle scheme and those goods have no demand in International Market and if so, whether Government have conducted any enquiry into this bogus export?

Shri Manubhai Shah : Many of the complaints of the hom. Member are not correct. Engineering goods under the scheme are in great demand. We are increasing the export of handicrafts which is in great demand. So far as the textile goods are concerned there is a big competition in this respect, our export of these goods is going smoothly. The export of all the manufactured goods under this scheme is increasing and we earned about Rs. 38 crores in two years on that account.

Shri Madhu Limaye : May I know whether the Exchange Control Department of the Ministry of Finance or the Reserve Bank has criticised the working of the Export Entitlement Scheme and if so what are its details and whether the Ministry of Finance has made any efforts in this regard?

Shri Manubhai Shah : Neither of the organisations has criticised it. We review the scheme every year and wherever find that exporters are taking undue advantage, we investigate the matter and immediately take necessary steps to stop such things.

Shri Ram Sewak Yadav : May I know the extent to which the exports have increased this year as compared to that of last year ?

Shri Manubhai Shah : It increased by 80 crores and this year the increase is by 35 crores.

Shri Bagri : What are the reasons for the decline of exports as compared to that of last year and whether efforts are being made to increase the exports ?

Shri Manubhai Shah : It has been stated on the floor of the House several times that the target of exports in the first and Second Five Year Plans was of the order of Rs. 600 crores whereas during the Third Plan we have reached the target of Rs. 815 crores. This target will be raised to Rs. 1050 crores in the Fourth Plan.

Shri Bade : It has been stated by you that import licences and export licences are granted to same persons which can be sold in the black market. May I know how many such cases were detected last year.

Shri Manubhai Shah : I have stated that out of 4 lakh exporters, defaulters are only 150 or 160 and it is such a small number that we should not give undue importance to it, rather should appreciate the performance of exporters.

श्री जसवन्त मेहता : भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा कमाने के लिये राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रेषण योजना आरंभ की है। क्या यह सच है कि भारत मूलक विदेशी नागरिकों पर यह योजना लागु नहीं होती और और यदि हां, तो क्या सरकार ने समस्या के इस पहलू पर विचार किया है ?

श्री मनुभाई शाह : यह एक नई योजना है जो अस्थाई रूप से आरंभ की गई है। जब मैं पूर्वी अफ्रीका गया था तो वहां के भारत मूलक लोगों ने मुझे इसके बारेमें बताया था। सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही है।

श्रीमती सावित्री निगम : कई अर्थशास्त्रियों ने कई बार कहा है कि इस योजना के परिणामस्वरूप काफी विदेशी मुद्रा जमा हो रही है और उसका देश में तथा विदेशों में दुरुपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो सरकार इस पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाती और उसकी और अधिक जांच करने के लिये कार्यवाही क्यों नहीं करती ?

श्री मनुभाई शाह : हम इसकी बराबर जांच कर रहे हैं। माननीय सदस्या अच्छी तरह जानती हैं कि इस योजना के अन्तर्गत जमा हो रही रकम का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। इसका योजना से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अब्दुल वहीद : क्या वाणिज्य मंत्री महोदय बता सकते हैं कि हमारी निर्यात हकदारी योजनायें पाकिस्तान की तुलना में किस प्रकार कार्य कर रही हैं।

श्री मनुभाई शाह : हम किसी के साथ अपनी तुलना करना नहीं चाहते हैं। यह प्रवृत्ति सारे विश्व में है। वास्तव में हमारे देश में निर्माताओं को बिना निर्यात की शर्त के आयात करने की अनुमति दी जाती है।

Ticketless Travel

+

*776. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Railway** be pleased to state :

(a) the steps taken to stop goondaism and ticketless travel on the Railways, particularly by students; and

(b) the results achieved therefrom ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Steps taken for prevention of goondaism and ticketless travel are detailed in the statement placed on the table of the House. **[Placed in the Library. See No. L.T. 5376/65.]**

(b) With the co-operation of the State Governments and Educational authorities some improvement has been effected. Further efforts are being made, particularly in notorious areas to inculcate among the students a sense of civic and responsible behaviour.

Shri M. L. Dwivedi : A railway guard was killed by students at Urai station in Jhansi Division of Central Railway while he was checking ticketless travellers but the prosecusion was not launched against them properly. Similarly a guard at Bhaunda station was threatened. May I know whether Government propose to take some special measures for the safety of Railway staff ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : Necessary security arrangements will be made at Bhaunda station immediately in order to protect the life of the said guard.

Shri M. L. Dwivedi : How far it is true that some staff of the Railways allow ticketless travelling by accepting bribes. They also allow ticketless passengers to travel on sleeping berths whereas passengers having tickets do not get sleeping berths ?

Dr. Ram Subhag Singh : We will take suitable action against the person concerned on receipt of complaints in this regard.

श्री अ० प्र० शर्मा : रेलवे के वर्तमान नियमों के अन्तर्गत कि किसी रेलवे कर्मचारी को कर्त्तव्य पालन सम्बन्धी न्यायोचित मामले के बारे में अपने खर्च पर मुकादमा लड़ना पड़ता है और उसे खर्च की गई राशि केवल मुकदमा जीत जाने की हालत में मिलती है। इस से उसे मुकदमा लड़ने में कठिनाई होती है और कभी कभी मामला कमजोर भी पड़ जाता है। चूंकि ये मामले उनके कर्त्तव्य पालन के दौरान उत्पन्न होते होते हैं अतः क्या उन्हें अपनी पैरवी करने के लिए सभी प्रकार की सुविधायें दी जायेंगी।

डा० राम सुभग सिंह : यह एक सुझाव है जिस पर विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में यह एक सुझाव है।

श्री स० चं० सामंत : क्या यह सच नहीं है कि तस्कर व्यापार करने वाले, जिन्हें बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, चल-टिकेट परीक्षकों को मारते हैं ? यदि हां, तो चल-टिकेट परीक्षकों को जो अपना जीवन खतरे में डालते हैं, क्या संरक्षण दिया जा रहा है ?

डा० राम सुभग सिंह : यदि तस्कर व्यापार करने वालों ने इस प्रकार की हरकतें कीं तो हम रेलवे कर्मचारियों को उचित संरक्षण देंगे।

Shri Gulshan : May I know whether any assessment has been made to find out in which State ticketless travel by the students is maximum and where they do not pay any heed to the railway staff ?

Dr. Ram Subhag Singh : Yes, Sir. In Bengal, Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra and Gujarat fifty per cent of people travel without ticket.

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि देश के किस भाग में अधिकतम बिना टिकट यात्रा होती है ?

डा० राम सुभग सिंह : मैंने अभी इसी प्रश्न का उत्तर दिया है।

Shri Sarjoo Pandey : May I know whether it is a fact that most of the students who travel without ticket belong to Congress Party or are related to the Ministers ?

Mr. Speaker : Swamiji.

Swami Rameshwaranand : May I know whether it is a fact that the children of rich people studying in higher classes travel without ticket and sometimes travel first class while they purchase tickets for third class.

Dr. Ram Subhag Singh : It is a fact, Sir, but persons like Swamiji do not have any children.

Swami Rameshwaranand : I have asked about the children of rich people.

Shri Jagdev Singh Sidhhanti : May I know whether the hon. Minister is aware that a ticket bearing no date was issued from Delhi to Calcutta and it was sent back to Delhi from there ?

Dr. Ram Subhag Singh : We have received such complaints and they are being looked into.

श्री दे० जी० नायक : कितने प्रतिशत यात्री बिना टिकेट यात्रा करते हैं और रेलवे को इससे कितनी हानि होती है ?

डा० राम सुभग सिंह : बिना-टिकेट यात्रा करने वाले व्यक्ति चार अथवा पांच प्रतिशत हैं और इससे प्रतिवर्ष पांच करोड़ रुपये की हानि होती है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : May I know whether hon. Minister is aware that the cause of this nasty habit of ticketless travel by the students is indiscipline based on selfishness while there is need for indiscipline motivated for common good and this type of indiscipline is curbed down; if so the action taken by the Government in regard thereto ?

Dr. Ram Subhag Singh : It is a fact that these tendencies increase because of social mismanagement and all of us have to put forth combined efforts to do away with this malady.....(**Interruptions**).

Shrimati Jayaben Shah : May I know whether it is a fact that the printed tickets are not available at many stations and as a result of this, people travel without tickets.

Dr. Ram Subhag Singh : We got such complaints regarding one or two Stations and the tickets were immediately made available there.

Shri K. D. Malaviya : May I know whether some steps would also be taken to remove poverty and spread education so that ticketless travelling is checked ?

Mr. Speaker : It is a suggestion for action.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच नहीं है कि उन गाड़ियों में बिना-टिकेट यात्रा अधिक होती है जिनमें भीड़ अधिक होती है; यदि हां तो क्या सरकार ने इस समस्या के इस पहलू पर भी विचार किया है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह सच है कि जब कभी गाड़ियों में भीड़ होती है, लोगों को कठिनाई का सामना करना पडता है और कभी कभी वे विना टिकेट यात्रा करते है । परन्तू गाडियो में भीड की समस्या की ओर निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है और हम समस्त देश में नई गाडियां चला रहे है तथा डिब्बों की संख्या बढ़ा रहे हैं ।

Mechanisation of Coal Mines

+

*777. **Shri Bagri :** **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Madhu Limaye : **Shri Sham Lal Saraf :**

Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) the number of coal mines which have been mechanised so far ;

(b) the number of coal mines yet to be mechanised ; and

(c) whether small coal units will be merged with bigger ones under this scheme?

इस्पात तथा खान मन्त्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) 88।

(ख) 743।

(ग) कोयले की खानों के यन्त्रीकरण के संबंध में ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अनुसार छोटी इकाइया बडी में मिलाई जा सकें ।

Shri Bagri : May I know whether the hon. Minister is aware that the coal is produced at the rate of 15 tons in America, 12 tons in England and half a ton in India ; if so, whether the hon. Minister is in a position to say how we would compete with the world under this low rate, and also the steps being taken to remove this difference ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : हम कोयला खानों में मशीनों के प्रयोग का प्रयत्न कर रहे हैं । मशीनों के प्रयोग से निश्चय ही कोयले का उत्पादन बढ़ रहा है और प्रति व्यक्ति उत्पादन-क्षमता भी बढ़ रही है । परन्तु विदेशों की तुलना में कुछ कठिनाइयां हैं । हम अपनी सभी खानों में मशीनों का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ।

Shri Bagri : May I know whether the hon. Minister is aware that there are some mill-owners having connection with the Government who take recourse to retrenchment on the plea of mechanisation, and get the work executed through the contractors ? If so, the steps being taken by Government to check it ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह सच है कि जब यंत्रीकरण होता है, कुछ छंटनी होती है । हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि जहां तक राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का सम्बन्ध है, वहां यथासम्भव न्यूनतम छंटनी हो । हम छंटनी किये गये व्यक्तियों को दुसरे स्थानों पर काम दिलाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं । जहां तक निजी क्षेत्र की कोयला खानों का सम्बन्ध है, जहां जहां यंत्रीकरण हुआ है, कुछ हद तक छंटनी हुई है ।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the Government is aware that China first gave us a defeat in the field of iron and steel production and then in the battle-field; if so, the steps taken by Government to produce the required machines in the country on large scale and to mechanise old and new mines without retrenchment and thus to increase the coal production ?

Shri P. C. Sethi : The scheme regarding increasing the coal production is being implemented. The fact is that the production of coal has increased while the consumption is comparatively low. As far as machines are concerned, they are being produced in the country now and we expect to be self-sufficient very soon.

Dr. Ram Manohar Lohia : The hon. Minister has admitted that mechanisation of coal mines in India is not sufficient and *per capita* production of coal

in India is half a ton while it is 12 tons in America. I would, therefore, like to ask the hon. Minister whether he proposes that at least all the new mines, whether they are in the public sector or in private sector, should be fully mechanised?

Shri P. C. Sethi : It is a fact. It is why the World Bank negotiated a loan for the private sector and many people benefited from that. In so far as new mines are concerned, Sudamdi Namdi mines which are new coking mines of N. C. D. C., are being worked from 2300 to 2500 feet under ground.

श्री अ० प्र० शर्मा : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों में यंत्रीकरण के परिणामस्वरूप अब तक कितने कर्मचारी बेरोज़गार हो गये हैं और उनको किस प्रकार नया रोज़गार दिलाया गया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैं इस बारे में पूर्व-सूचना चाहता हूं ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि चार या पांच वर्ष पूर्व भारत में निजी क्षेत्र की कोयला खानों के यंत्रीकरण के लिये भारत सरकार ने विश्व बैंक से एक ऋण के बारे में बातचीत की और खानों के मालिकों ने वह ऋण लेने से इनकार कर दिया जिसके परिणामस्वरूप कि भारत सरकार को भारी हानि हुई; यदि हां, तो भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह ठीक नहीं है । ऋण के बारे में बातचीत हुई थी और इस राशि में से 13 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण लिया जा चुका है और अब एक या दो करोड़ की राशि शेष रह गई है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या बलवंतराय मेहता समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने कोयले की खानों के स्वेच्छापूर्वक एकीकरण किये जाने के परिणामों की जांच की है; यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक एकीकरण का सम्बन्ध है, सरकार ने पहले स्वेच्छापूर्वक एकीकरण का प्रयत्न किया था परन्तु वह काम सफल नहीं रहा है । सरकार इस प्रयोजन के लिये विधान बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

Shrimati Jayaben Shah : The hon. Minister has observed that because of low consumption of coal, there is no need for increasing the production. May I know whether coal has been made available in the villages so that it can be used as fuel and it may replace cow-dung cakes. In my opinion the consumption is not that high as it should be. I would like the hon. Minister to inform us regarding this.

Shri P. C. Sethi : In so far as consumption of cow-dung is concerned, the villagers get it nearly free but the Government may try to supply them coal on minimum possible price, even then it cannot be supplied free of cost.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक विश्व बैंक से लिये गये ऋण का सम्बन्ध है क्या यह सच नहीं है कि समझौते में यह शर्त थी कि ऋण उन्हीं कोयला खान मालिकों को दिया जायेगा जो स्वयं भी उतनी ही राशि देंगे और क्या यही कारण है कि चूंकी छोटी कोयला खाने यह राशी उपलब्ध नहीं करा सकी, इसलिये वे ऋण न ले सकीं ? क्या सरकार ने समझौते की शर्तों में सुधार करने के सम्बन्ध में प्रयत्न किया है ताकि छोटी खानें ऋण ले सकें तथा उन्हें किसी और प्रकार से सहायता पहुंचाने का प्रयत्न किया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : हम बैंक गारंटियों द्वारा उन्हें धन सम्बन्धी सहायता देने का प्रयत्न करते हैं। जहां तक इन समनुरूप अनुदानों का सम्बन्ध है मैंने पहले ही कहा है कि विश्व बैंक द्वारा दिये गये ऋण में से 13 करोड़ रुपये का उपयोग हो चुका है । इसका अर्थ यह हुआ कि इस हद तक वे समनुरूप अनुदान दे सके हैं ।

कोयला और खनन मशीनें

\+

*779. **श्री सुबोध हंसदा :**

श्री स० चं० सामंत :

क्या **उद्योग** तथा **सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजना के अन्त तक कोयला और खनन मशीनों के उत्पादन में बहुत कमी हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस कमी के कारण देश की आवश्यकताओं पर प्रभाव पड़ेगा और कहां तक ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री सुबोध हंसदा : माननीय मंत्री ने कहा है कि कोयला खनन मशीनों की कमी नहीं होगी। इसलिये क्या मुझे यह समझ लेना चाहिये कि दुर्गापुर स्थित कोयला खनन मशीन परियोजना निर्धारित लक्ष्य के अनुसार काम कर रही है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हमारे पास सरकारी क्षेत्र में दुर्गापुर स्थित माइनिंग अलाइड मशीनरी परियोजना है जिसका चालू वर्ष में उत्पादन लक्ष्य 5,000 टन था। मुझे आशा है कि उससे उत्पादन अधिक हो कर लगभग 6,000 टन हो जायेगा ।

श्री सुबोध हंसदा : माननीय मंत्री ने कहा है कि उत्पादन निश्चित समय में निर्धारित लक्ष्य से अधिक हो जायेगा। इस लिये क्या वह हमें यह आश्वासन दे सकते हैं कि सरकार कोयला खान मशीनों की सामग्री का आयात करना बन्द कर देगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मांग बहुत अधिक है। हमने शुरूआत की है और हमारा उत्पादन निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हो रहा है ; फिर भी मांग इतनी है कि पूरी नहीं की जा सकती ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि कोयला और खनन मशीनों के उत्पादन के लिये जिस जिस कच्चे माल की आवश्यकता होती है वह देश में पाया जाता है; यदि नहीं, तो किस किस की आयात किया जाता है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं सभी कच्चा माल तो नहीं कह सकता क्योंकि इन मशीनों आदि के लिये जिस विशष धातुमिश्रित इस्पात तथा जिन अलौह धातुओं की आवश्यकता होती है उनमें से कुछ का अभी भी आयात किया जाता है; परन्तु धीरे धीरे हम सारा कच्चा माल देश में ही पैदा कर सकेंगे ।

श्रीमती सावित्री निगम : इन मशीनों की हमारी कितनी मांग है और इस विशेष कारखाने में पूरा उत्पादन आरम्भ हो जाने पर हमारी कितने प्रतिशत मांग पूरी हो सकेगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह अनुमान लगाया गया है कि दुर्गापुर स्थित इस माइनिंग अलाइड मशीनरी प्रोजक्ट में 1971—72 तक लगभग 45,000 टन का उत्पादन आरम्भ हो जायेगा और ऐसा महसूस किया गया है कि छटी योजना के अन्त तक कुल मांग 60,000 टन होगी जिस को हम गैर-सरकारी कारखानों की सहायता से पूरा कर सकेंगे ।

Shri Rameshwaranand : In the answer to the last supplementary the hon. Minister had said that the production of coal has exceeded our requirements. When it is so, then what are the reasons for stepping up production with the help of machinery which involves foreign Exchange ? May I know whether Government contemplated to make use of manpower or other such means to step up production of coal keeping in view the fact that there is already unemployment in the country and there is also the shortage of foreign Exchange ?

Mr. Speaker : The hon. Member has himself answered this question. He has said that the machine should not be imported and instead man power should be made us of.

Shri Rameshwaranand : When unemployment is increasing in the country, Government is contemplating to use machines. May I know the reaction of Government in regard thereto?

Mr. Speaker : The hon. Member has given a good suggestion.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि आजकाल दुर्गापुर कारखाने की कितनी क्षमता का प्रयोग कोयला खनन मशीनों के निर्माण और कितनों की ढांचे तथा अन्य मशीनों के निर्माण के लिये किया जाता है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हमने 5,125 टन की खनन मशीनों के लिये आदेश स्वीकार किया हुआ है। ऐसी मशीनें बनाने के लिए उत्पादन के प्रथम वर्ष अर्थात् 1965-66 के लिए निर्धारित हमारी क्षमता 5,000 टन की है और शेष 1,000 टन ढांचे तथा अन्य मशीनों के लिये है ।

संयंत्र तथा मशीनों का आयात

+

*780. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**	**श्री रामपुरे :**
श्री बृजराज सिंह :	**श्री कनक सबै :**
श्री गोकरन प्रसाद :	**श्री मुहम्मद कोया :**
श्रीमती सैमूना सुल्तान :	**श्री प्र० चं० बरूआ :**

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने सरकार को हाल ही में सुझाव दिया है कि संयंत्र और मशीनों की केवल ऐसी ही वस्तुओं का आयात किया जाना चाहिये जिनका देश में निर्माण नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो एसोसिएशन के सुझावों की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना सिंह) : (क) दि इंजीनियरिंग एसोसियेशन आफ इण्डिया, कलकत्ता ने हाल ही में सरकार को एक पत्र भेजा है जिसमें औद्योगिक लाइसेंस देने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये गये हैं किन्तु इस पत्र में उल्लिखित

आधार पर कोई भी सुझाव नहीं दिया गया है । फिर भी सरकार की घोषित नीति उस संयंत्र और मशीनों का आयात करने की अनुमति न देने की है जिनका देश में निर्माण होता है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know how much foreign Exchange we have to spend now on the import of plant and machinery and how much foreign Exchange will be saved in case their import is stopped ? How the demand of these goods will be met ? Are we going to manufacture them indigenously ?

Shri T. N. Singh : It is a comprehensive question regarding the industries. I cannot answer it without notice.

Shri Onkar Lal Berwa : It it is a comprehensive question the hon. Minister must answer it then.

Mr. Speaker : The hon. Minister has said that he wants notice.

Shri Onkar Lal Berwa : He can atleast tell the extent of foreign Exchange that is spent.

Mr. Speaker : The hon. Member can ask another question.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the names of the countries from whom the goods are imported and in case these goods are not imported how their demand will be met ? Will they be manufactured indigenously ?

Shri T. N. Singh : There are thousands of kinds of engineering goods and they are imported from various countries.

Mr. Speaker : What are the names of the countries from where these are imported ?

Shri T. N. Singh : European countries, U. S. A., Australia, Canada, East European countries and Russia etc.

श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह स्पष्ट ही है कि मुख्य प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नहीं दिया गया है । यह भी सच है कि भाग (क) में दिया गया सुझाव उस प्रश्न में नहीं है । परन्तु भाग (ख) का भाग (क) से कोई सम्बध नहीं है । इस लिये आप मंत्री महोदय को भाग (ख) का उत्तर देने के लिये कहे यानी कि एसोसिएशन के अभ्यावेदन में दिये गये सुझाव की मुख्य बाते क्या हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इन एसोसिएशनों मे से कुछ एक द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण बातें वर्तमान क्षमता का विकास तथा पूरा पूरा उपयोग करने के बारे मे हैं । कुछ विशिष्ट उद्योग हैं ; उदाहरण के तौर पर ड्रम और बैरल उद्योग है; उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं । रेजर ब्लेड उद्योगवाले कहते हैं कि चूंकि विदेशी से कच्चे माल को मंगवाना कठिन है इसलिये आगे किसी भी क्षमता के लिये लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिये । इस प्रकार के उन्होने सुझाव कुछ दिये हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार संयंत्र और मशिनो के आयात के मामले में स्वदेशी आन्दोलन चलाने के लिये विचार कर रही हैं और यदि हां, तो सरकार को इस आन्दोलन से कब तक शत प्रतिशत सफलता मिलने की सम्भावना है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : सरकार अधिक से अधिक विश्वास करने की आवश्यकता पर बल दे रही है । इस सम्बन्ध में निरंतर प्रयास किया जा रहा है और किया जाता रहेगा ।

श्री मुहम्मद इलियास : क्या एसोसिएशन ने रुपये वाले क्षेत्रों से संयंत्र और मशीनें आयात करने का सुझाव दिया है, और यदि हां, तो सरकार की उसपर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मेरे विचार से इस एसोसिएशन ने किसी विशिष्ट देश से आयात करने के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब यह पता चल जाता है कि आयात की जाने वाली मशीनों की लागत उसी किस्म की देश की बनी हुई मशीनों से कम बैठती है, तो सरकार की उसपर क्या प्रतिक्रिया होती है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : चाहे लागत अधिक भी हो तब भी हम देश की पूरी क्षमता का आयोग करने के लिये आग्रह करते हैं । हम इन वस्तुओं का आयात करने की तभी अनुमति देते हैं जब हम देश में उनका उत्पादन न कर सकें ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Are Government aware that in Ludhiana and other cities of Punjab there are persons who are very skilful and they can manufacture even the hardest machines as well as the electronic parts ? What are the reasons for not utilising their services ? Is it not one of the reasons that the patent rights or rights of patents of foreigners as well as fashion stand in the way ? If it is so then how long Government will take to remove this impediment ?

Shri T. N. Singh : I know fully well that the technicians and engineering firms of Ludhiana have done a good work and have also been doing and their services are also being utilised. But our country needs many goods and all of them cannot be manufactured in Ludhiana. The hon. Member must be knowing.....

Dr. Ram Manohar Lohia : I had asked a question regarding patents right and fashion. I can tell in a second that as prototypes were prepared in Russia.....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या विदेशियों के एकस्व से निर्माणकार्य में कोई बाधा पड़ती है ।

Shri T. N. Singh : The Patents law is there because every scientist, may, he be Indian or foreigner, expects to get something for his inventions. This applies here also .....

Mr. Speaker : It is right. He has said that in Ludhiana.....

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister of Commerce is prompting then. These are separate departments.

Mr. Speaker : There is nothing wrong in it.

Shri Ram Sewak Yadav : He should answer them.

Mr. Speaker : The person from whom the question has been asked will answer it.

His question is that the technicians of Ludhiana can manufacture and copy everything. They are not making progress on account of lack of facilities. The patents of foreigners come in their way.

Shri T. N. Singh : I have already said that we require so many machines, all of them cannot be manufactured in Ludhiana. But those who can manufacture, as I have seen them.....

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या इंजीनियरिंग एसोसिएशन के अभ्यावेदन में उद्योगों की बेकार पड़ी क्षमता के उपयोगीकरण के लिये कोई विशिष्ट सुझाव भी दिये गये हैं जिससे निर्यात में वृद्धि हो सके तथा इस देश के इंजीनियरिंग उत्पादों में उपयोगी पुर्जों तथा उत्पादनों की आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके और यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सुझावों के बारे में कोई निर्णय किया है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : जैसाकि मैंने बताया, कई प्रकार के सुझाव दिये गये हैं । कुछ लाइसेंस देने पर प्रतिबन्धों के बारे में हैं । कुछ क्षमता के पूर्ण उपयोगीकरण के बारे में हैं । कुछ का सम्बन्ध ऐसे मामलों से है जिनमें कच्चे माल का आयात करने की क्षमता नहीं है और इसलिये वे कहते हैं कि और एककों को लाइसेंस नहीं दिये जाने चाहिये । इस प्रकार उन्होंने विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न प्रकार के सुझाव दिये है न कि किसी उद्योग विशेष के सम्बन्ध के बारे में ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार ने उन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिये कोई योजना बनाई है जो ऐसी मशीनों का निर्माण करते हैं जो बाहर से आयात की जानेवाली मशीनों के स्थान पर उपयोग में लाई जा सकती हैं; और यदि हां, तो लुधियाना, बटाला तथा भारत में अन्य केन्द्रों में ऐसे व्यक्तियों को क्या प्रोत्साहन दिया गया है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं तो यह कहूंगा कि इस हम क्षेत्र के लिये वह सब कुछ करने का प्रयत्न करते रहे हैं, जो हमारे लिये करना सम्भव है । मैं ने स्वयं इस क्षेत्र का दौरा किया था । मैंने उन लोगों से काफी विचार विमर्श किया जो इस कार्य में लगे हुए हैं । वह हम से क्रय आदेश, प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता और अन्य मदद, जो हम दे सकते हैं, प्राप्त कर रहे हैं ।

Shri Sheo Narain : When big industrialists, and able and competent engineers are available in India, why do Government not get those machines fabricated here instead of importing them from abroad ?

Shri T. N. Singh : I fully agree with the hon. Member. It is what I want that these things should be manufactured here.

Shri K. D. Malaviya : The question of fuller utilisation of machine manufacturing units in the country has been before the Government for the last so many years. Even the eminent experts held the view that there is a need of designing units, prototype production and technological research. Now when Government want to take up big projects for attaining self-sufficiency, have Government taken any steps so that quick decisions could be taken in regard to these matters which are pending since long ?

Shri T. N. Singh : We have laid great emphasis on designs and prototype production and such other works. Besides, experts have arrived here from friendly countries like Russia and they are helping us a lot. We are getting substantial help in electricals, heavy engineering and medium engineering and work has also been started.

रेलवे लाइन का जम्मू तक बढ़ाया जाना

***781. श्री नि० रं० लास्कर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में रेलवे लाइन को 'जम्मू' तक बढ़ाने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्राथमिक कार्यवाही की गई हैं ; और

(ग) यदि कोई परियोजना प्रतिवेदन है तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क), (ख) और (ग) : रेलवे लाइन को कठुआ से आगे जम्मू तक बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण किये गये हैं और अन्य सम्बन्धित हितों के सहयोग से लाइन के वैकल्पिक मार्गों के बारे में विचार किया जा रहा है। लाइन के मार्ग और इस परियोजना को चौथी योजना में शामिल किये जाने के बारे में अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है। जब तक लाइन का मार्ग निर्धारित नहीं हो जाता तब तक उसका ब्योरा देना संभव नहीं है।

श्री नि० रं० लास्कर : चूंकि यह रेल सम्पर्क हमारे जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लिये बहुत ही सामरिक महत्व का है, सरकार इस बारे में निर्णय करने में इतना अधिक समय क्यों लगा रही है?

श्री शाम नाथ : यह सच है कि इस रेल सम्पर्क का काफी सामरिक महत्व है। परन्तु बात यह है कि उत्तर रेलवे ने कठुआ और जम्मू के बीच दो वैकल्पिक मार्गों का सर्वेक्षण किया था। तत्पश्चात प्रतिरक्षा मंत्रालय से सलाह पूछी गई तो उन्होंने सुझाव दिया कि प्रतिरक्षा दृष्टिकोण से इन दोनों में से किसी का भी इतना महत्व नहीं है। अतः उन्होंने एक अन्य मार्ग का सर्वेक्षण करने का सुझाव दिया। इस मार्ग का भी सर्वेक्षण किया गया है और जैसे ही प्रतिरक्षा मंत्रालय इस मार्ग का अथवा पहले वालों में से किसी एक मार्ग का अनुमोदन कर देगा, कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या मंत्री महोदय हमें यह आश्वासन देंगे कि इसे उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी?

श्री शाम नाथ : प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा अपना अन्तिम निर्णय दिये जाने के पश्चात यदि इस के लिये धन उपलब्ध होगा, तो इसे चौथी योजना में शामिल कर लिया जायेगा।

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Minister has just pointed out that final decision about the route between Kathua and Jammu has not yet been taken. May I know whether the main reason for this is that the Ministry of Railways propose to extend the Sialkot-Pasrur Railway line which has been occupied by India during the recent Indo-Pak conflict, up to Amritsar *via* Lahore?

Shri Sham Nath : How is this related with that?

श्री अ० प्र० शर्मा : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि सर्वेक्षण पूरा हो जाने के पश्चात इसे चौथी योजना में शामिल करने का प्रयत्न किया जायेगा। इस रेलवे लाइन के सामरिक महत्व को, जिसको माननीय मंत्री ने भी स्वीकार किया है, ध्यान में रखते हुए क्या यह सभा को यह आश्वासन दे सकते है कि इसे चौथी योजना में शामिल किया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

श्री दी० चं० शर्मा : यह प्रश्न पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। परन्तु हर बार ऐसा ही उत्तर दिया जाता रहा है। क्या सरकार इस रेलवे लाइन के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है अथवा इस मामले को टालमटोल करने के लिये कभी इस और कभी उस मंत्रालय से केवल सलाह ही करती रहेगी?

श्री शाम नाथ : सरकार बहुत गम्भीरता से विचार कर रही है परन्तु यह भी सही है कि हमें इस मामले में प्रतिरक्षा मंत्रालय की राय लेनी है और तभी आगे बढ़ना है।

श्री अब्दुल गनी गोनी : क्या यह समाचार सही है कि पठानकोट से कठुआ तक रेलवे लाइन जनवरी के महीने में चालू हो जायेगी?

श्री शाम नाथ : इसे जल्दी चालू कर दिया जायेगा। हो सकता है कि इसे आगामी जनवरी के पहले सप्ताह में ही चालू कर दिया जाये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार यह बता सकती है कि यह प्रस्तावना कब से विचाराधीन है और क्या सरकार ने इस बारे में अन्तिम निर्णय करने में पहले ही काफी अधिक समय नहीं ले लिया है ?

श्री शाम नाथ : मैं नहीं समझता हूं कि रेलवे ने बहुत अधिक समय ले लिया है। दो विभिन्न मार्गों का सर्वेक्षण किया गया था और तत्पश्चात प्रतिरक्षा मंत्रालय के सुझाव पर एक तीसरे मार्ग का भी सर्वेक्षण किया गया। इस के अतिरिक्त हमें इस प्रकार की किसी परियोजना के अनुमोदन के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय पर निर्भर करना पड़ता है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह परियोजना कब से विचाराधीन है ? इस बात का उत्तर देने की बजाय वह कहते हैं कि इस पर अधिक समय नहीं लगा है। इस बात का निर्णय करना तो हमारा काम है कि क्या इसमें अधिक समय लगा है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला कब से विचाराधीन है ?

श्री शाम नाथ : मैं निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कह सकता हूं।

पूर्वी अफ्रीकी देशों को भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल

*785. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री बृजवासी लाल :
श्री हिंमत सिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री राम हरख यादव :
श्री रामानन्द शास्त्री :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने उस उच्च शक्ति प्राप्त व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था जो नवम्बर, 1965 में पूर्वी अफ्रीको देशों को गया था, और

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मंडल किन-किन देशों में गया तथा विभिन्न देशों में हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिनिधि लण्डल केन्या, युगांडा और टेंजानिया गया था।

प्रतिनिधि मण्डल ने युगांडा में भारत तथा युगांडा के मध्य हुए पहले व्यापार करार को सम्पूर्ण किया और दोनों देशों के मध्य हुए मैत्री, तकनीकी, आर्थिक तथा वैज्ञानिक सहयोग के एक करार पर हस्ताक्षर किये। दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के अन्य विषयों पर भी वार्ता की गई।

टेंजानिया तथा केन्या में दोनों देशों की सरकारों के साथ व्यापार तथा अर्थ सम्बन्धी विभिन्न मामलों पर उपयोगी वार्ताएं हुई। व्यापार करारों के प्रारूपों को अन्तिम रूप दिया गया। इन पर 1966 के शुरू में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये जायेंगे। दोनों देशों की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

टेंजानिया को ढ़ाई करोड़ रुपये का ऋण देने का प्रस्ताव किया गया है और ढ़ाई करोड़ रुपये का ऐसा ही एक ऋण केन्या को।

वार्ताएं समाप्त होने पर तीनों देशों में जो संयुक्त विज्ञाप्तियां प्रकाशित की गई थीं उनकी प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

श्री प्र० चं० बरूआ : क्या प्रतिनिधि-मण्डल ने इन देशों में व्यापार तथा आर्थिक कार्यों के बारे में पाकिस्तान की भारत-विरोधी गतिविधियों के प्रभाव का निर्धारण किया था और यदि हां, तो वह निर्धारण क्या है और इस को निष्प्रभाव करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री मनुभाई शाह : सभा को यह समझा लेना चाहिए कि इन देशों में जाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यह नहीं था। हमारा मुख्य उद्देश्य तो यह था कि उन देशों से अपनी मैत्री तथा आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ बनाया जाये और इस में हमें सफलता मिली है।

श्री प्र० चं० बरूआ : क्या यह सच है कि हमारी वे वस्तुएं, जो परम्परागत नहीं हैं, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला नहीं कर सकती हैं और सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन करने के लिये अपनी ऐसी वस्तुओं में व्यापार को बढ़ावा देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मनुभाई शाह : वास्तविकता यह है कि कम्पाला तथा दर्-ए-सलाम में जिस संलेख पर हस्ताक्षर किये गये है उस के फलस्वरूप मैं यह आशा करता हूं कि हम इन पूर्वी अफ्रीकी देशों को इन तथाकथित अपारम्परिक वस्तुओं अर्थात निर्मित वस्तुओं के निर्यात में 4 करोड़ रुपये से भी आधिक वृद्धि कर सकेंगे।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि हमें इन तीनों देशों में, जिनका उन्होंने दौरा किया है, वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं के व्यापार में पाकिस्तान तथा चीन का काफी मुकाबला करना पड़ता है और यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय ने इससे हुई क्षति का अनुमान लगाया है और इस क्षति को पूरा करने के लिये उन्होंने क्या कार्यवाही की है। माननीय मंत्री ने इससे हुई हानि का कोई अनुमान लगाया है और उसे पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मनुभाई शाह : मुझे ऐसा भी आभास हुआ था; जब मैंने उन देशों का दौरा किया तो मुझे यह जानकर बहुत अचम्भा हुआ कि उस तरह की बात बिल्कुल नहीं है, वहां पर पाकिस्तान से कभी कभी कुछ स्पर्धा है और चीन से कुछ माल में केवल एक या दो बार प्रतिस्पर्धा होती है। कुल मिलाकर हमारे व्यापार की सराहना की जाती है और इसके परिणामस्वरूप तीन करारों के बारे में बातचीत चल रही है; एक पर हस्ताक्षर हो गये हैं और दो करारों पर एक ओर तनजानिया तथा भारत और दुसरी ओर केनिया तथा भारत के बीच नई दिल्ली में हस्ताक्षर हो जायेंगे। मेरा विचार है कि स्थिति में सुधार हो सकेगा और इन दोनों देशों से भविष्य में प्रतिस्पर्धा की आशंका कम हो जायेंगी।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the benefit likely to accrue from this trade delegation ?

Shri Manubhai Shah : This was not done with the intention of any benefit. This was done for the mutual benefit of boths the countries and not for any one country. Both the countries benefit from it.

Shri Ram Harkh Yadav : We are short of foreign exchange. In view of this, may I know whether there is any country which has agreed to trade on rupee account as a result of the talks the delegation held with them ? If so, what is the name of that country ?

श्री मनुभाई शाह : वैसे तो मैं बहुत ज्यादा नहीं समझा हूं लेकिन जैसा मैंने पहले बताया यह एक देश के लिये नहीं होता, व्यापार बढ़ने से दोनों देशों को फायदा होगा। हमारा निर्यात बढ़ जायेगा और हमें दोनों देशों से कुछ न कुछ अधिक ही खरीदना पड़ेगा। और सब से महत्व की बात यह है कि भारत के अनुभव, तकनीकी ज्ञान तथा तकनीकी सामान और तकनीकी कर्मचारियों से इन देशों के औद्योगीकरण में सहायता मिलेगी।

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether it was considered during the visit to these countries that like the new bilateral agreements entered into with the East European Countries the payments on either side should be made in rupees and in the currency of those countries or it would have to be made in dollars or sterlings ?

Shri Manubhai Shah : These countries are also members of the International Monetary Fund. Therefore such an agreement perhaps is not possible. But we have tried to have bilateral deals so far as their Governmental schemes are concerned so as to make it worthwhile.

अमरीका के सहयोग से उद्योगों की स्थापना

*786. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1956–65 में कितने नये अमरीकी समवायों ने भारत में भारतीयों के सहयोग से तथा स्वतंत्र रूप से व्यवसाय आरम्भ किया है;

(ख) वे मुख्य उद्योग क्या हैं जिन में ऐसे समवाय स्थापित किये गये हैं ;

(ग) इनमें भारतीयों तथा अमरीकी राष्ट्रजनों की अंश-पूंजी कितनी-कितनी प्रतिशत है ;

(घ) भारतीय हितों की रक्षा के लिए यदि कोई विशेष रक्षोपाय रखे गये हैं, तो वे क्या हैं; और

(ङ) इन फर्मों में जिनमें संयुक्त सहयोग है सरकार ने यदि कोई विनियोजन किया है तो क्या ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ङ) : सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) : यह सूचना अभी संकलित नहीं की गई है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने हाल ही में भारत में किये गये विदेशी सहयोग संबंधी करारों का एक विशद सर्वेक्षण शुरू किया है। आशा है कि इस सर्वेक्षण से देश के विभिन्न उद्योगों में विनियोजित विदेशी पूंजी अमरिकी पूंजी को सम्मिलित कर) के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इस सर्वेक्षण प्रतिवेदन के लगभग एक वर्ष में छपने के लिये तैयार हो जाने की सम्भावना है।

सरकार की सामान्य नीति इसका सुनिश्चय करने की है कि सम्मिलित उद्योगों में विदेशी पूंजी का हिस्सा कम से कम हो।

(ङ) (1) अमरीका के मैसर्स फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी के सहयोग से पेट्रोल साफ करने के लिये सरकार द्वारा स्थापित मैसर्स कोचीन रिफाइनरीज़ लि० नामक कारखाने में केन्द्रीय सरकार द्वारा 3.67 करोड़ रु० की राशि लगाई गई है।

(2) इण्डियन, टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि० में जिसमें केन्द्रीय सरकार ने 3.59 करोड़ रु० की राशि लगायी है, मैसर्स स्टैण्डर्ड इलेक्ट्रिक कारपोरेशन, न्यूयार्क ने भी 36 करोड़ रु० की राशि लगाई है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मेज पर रखे गये विवरण में अधिकतर प्रश्नों के उत्तर में कहा गया है कि जानकारी एकत्रित नहीं की गई है। यह बहुत ही अजीब बात है। विश्व के विभिन्न भागों में अमरीका के वित्तीय तथा पूंजीवादी योगदान की सब को जानकारी है और वह हमें कई

प्रकार से सहयोग दे रहा है। इतने पर भी हमारे पास उनके सहयोग के बारे में कोई आंकड़े नहीं हैं। हमारे सांख्यिकी विभाग के इतना ढीला होने के क्या कारण है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हमारे आंकड़े बिल्कुल सही नहीं थे और इसीलिये कुछ समय पहले रिजर्व बैंक को यह सर्वेक्षण करने के लिये कहा गया था। वह इसी अवधि के आंकड़े इकट्ठे कर रहा है। सर्वेक्षण शीघ्र ही पूरा हो जायेगा और तब तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये ताकि हमें सही आंकड़े प्राप्त हो सकें।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या मैं यह समझूं कि इतने पहले के, अर्थात्, 1956 के, आंकड़ें भी रिजर्व बैंक के पास नहीं है और यदि उसके पास ये आंकड़े हैं तो क्या विभिन्न पत्रिकाओं में छपे यें समाचार ठीक हैं कि अमरीकी सहयोगकर्त्ताओं को जो आय भारत से प्राप्त होती है उतनी अन्य किसी देश से नहीं होती ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हम विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अपने मंत्रालय के दस्तावेजों से कुछ जानकारी अवश्य ही दे सकता हूं। उदाहरणार्थ 1960 में विदेशी सहयोग के मामलों की संख्या 63, 1961 में 58 तथा 1962 में 69 थी।

श्री के० दे० मालवीय : उत्तर सुनाई नहीं पड़ रहा है। मैं यह उत्तर सुनना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह स्वाभाविक ही है।

श्री त्रि० ना० सिंह : हमारी जानकारी में विदेशी सहयोग की जो योजनाएं हैं, ऐसे मामलों, जिनमें अमरीका मुख्य रुप में भागीदार था, की संख्या 1961 में मुश्किल से 6, 1962 में 2, 1963 में 1 और 1964 अथवा 1965 में शून्य थी। परन्तु बहुत से सार्थों में वे वित्तीय सहयोग दे रहे हैं जिनकी संख्या पहले 50 थी और 1965 में केवल 15 रह गई है।

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन् नियम 54 के अन्तर्गत.....

अध्यक्ष महोदय : पहले अल्प सूचना प्रश्नों को निपटा लेने दीजिये।

श्री हरि विष्णु कामत : एक और श्वेत पत्र है; वह भी अल्प सूचना प्रश्नों के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : पहले अल्प सूचना प्रश्न समाप्त कर लेने दीजियें।

Price of Woollen Cloth

अ० स० प्र० सं० 11. Shri Yashpal Singh : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of woollen cloth have risen more than 100 percent during the past year ;

(b) if so, whether Government have made any enquiry into this matter ; and

(c) the steps Government proposed to take to bring down the prices ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) हमने ऊनी कपड़े के पिछले वर्ष के मूल्यों से बड़े ध्यान से तुलना की है। कुछ किस्मों के मूल्य 11.1 प्रतिशत बढ़े हैं, कुछ के 5 प्रतिशत और अन्य कुछ के 1.8 प्रतिशत बढ़ हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्य की इस टिप्पणी से सहमत नहीं हूं कि मूल्य 100 प्रतिशत बढ़ गये हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

Shri Yashpal Singh : Perhaps the hon. Minister has never purchased cloth. So may hon. Members are sitting here and every one of them will agree with me that in the villages woollen cloth cannot be had at any price and in Delhi itself it can only be had at the double the price.

Shri Manubhai Shah : So far as the hon. Member is concerned. . .

Mr. Speaker : His first question is whether the hon. Minister has ever purchased cloth.

Shri Manubhai Shah : I do admit that for the last 40 years I have not been wearing mill made cloth. But our inspectors and friends like Shri Yashpal Singh do visit the market. We have made enquries from them. The observation of the hon. Member is not correct.

Shri Yashpal Singh : Will the hon. Minister send any of his employees to Chandni Chowk to find out the increase in cloth prices in case he himself is unable to go there ?

Shri Manubhai Shah : We are here to carry out the wishes of the House. When a question is put, we have to ascertain the facts.

Mr. Speaker : It would be better if you send Shri Yashpal Singh himself there.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि दिल्ली में ही नहीं अपितु देश के अन्य बड़े शहरों में भी ऊनी कपड़े के ही नहीं बल्कि ऊन के दाम भी बहुत अधिक बढ़ गये हैं ? यदि हां, तो क्या ऐसा ऊन उपलब्ध न होने का कारण हुआ है अथवा जवानों को इसकी आवश्यकता होने के कारण दाम बढ़ गये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : मुख्य कारण विदेशी ऊन मंगाने के लिये विदेशी मुद्रा की कमी है। प्रायः सभी कते अथवा बने वस्त्र, जैसा कि सभा को मालूम है, स्विट्जरलैंड तथा न्यूजीलैंड से मंगाई जाने वाली ऊन से बनाए जाते हैं जिसके लिये इस समय विदेशी मुद्रा की कठिनाई होने के कारण समुचित रूप से व्यवस्था नहीं की जा सकती है।

एडवांस इंश्योरन्स कम्पनी, बम्बई

अ० सू० प्र० संख्या 12. श्री मधु लिमये : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमे का कारोबार करने के लिये एडवांस इंश्योरंस कम्पनी, बम्बई को एक लाइसेंस जारी किया गया है;

(ख) क्या उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों का, जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया था / जिनके लाइसेंस रद्द कर दिये गये थे, उक्त कम्पनी से कोई सम्बन्ध है;

(ग) क्या बीमा नियंत्रक ने सदाचार को रोकने के लिये इन सहयोगों तथा सम्बन्धों की जांच की है; और

(घ) हाल ही में बम्बई में जो छापे मारे गये थे क्या उन में उक्त व्यक्ति शामिल था/थे?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) एडवांस इंश्योरेंस कम्पनी को सामान्य बीमे का कारोबार करने के लिये एक बीमाकर्त्ता के रूप में बीमा अधिनियम के अन्तर्गत 1942 में पंजीकृत किया गया था और उनके पंजीयन का नवीकरण वर्षानुवर्ष अपने आप कर दिया जाता है।

(ख) और (ग) : इस कम्पनी के कुछ निदेशक पहले एक अन्य बीमा कम्पनी के जिसका पंजोयन बीमा अधिनियम के कुछ उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये रद्द कर दिया गया था, निदेशक थे। एडवांस इन्श्योरेंस कम्पनी के कार्यों की कोई संविहित जांच नहीं की गई है।

(घ) छापों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों में से एक व्यक्ति एडवांस इंश्योरेंस कम्पनी का निदेशक भी है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I want to seek a clarification. Part (c) of my question has not been replied properly. Should we take it that he has given the reply to the part (c) ? I asked; whether any probe has been made by the Controller of Insurance.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के भाग (ग) में यह पूछा गया है कि "क्या बीमा नियंत्रक ने सदाचार को रोकने के लिये इन सहयोगों तथा सम्बन्धों की जांच की है"।

श्री ब० रा० भगत : मैंने भी तो यही कहा है। एडवांस इन्श्योरेंस कम्पनी के कार्यों की कोई जांच नहीं की गई है, केवल संविहित जांच बीमा नियंत्रक द्वारा की जाती है।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the person whose licence had been cancelled is indulging in malpractices in the name of the Advance Insurance Company by appointing his son-in-law as its Managing Director and by becoming himself an ordinary director ?

Shri B. R. Bhagat : In so far as appointment of a *benami* managing director is concerned, I would require notice for it. I would look into this matter. But as regards his indulgence in malpractices after becoming an ordinary director, we have been vigilant and the matter about which he has now made a complaint has been enquired into and some papers etc. have been seized and they are being examined.

Shri Madhu Limaye : Are the Government aware that the marketing and corrupt practice which we find to-day are as a result of an unholy association between the big capitalists and the bureaucracy ? For example, the Inspecting Assistant Commissioner, Central Circle, Bombay tried to save that man again and again and the latter was able to evade income-tax amounting to Rs. 2 crores. What action will be taken by Government to check this unholy association and what steps will be taken by Government in regard to the case quoted by me above ?

Shri B. R. Bhagat : As I said, this particular case has been investigated by the Commissioner of Income-Tax and some papers etc. have been seized and they are being examined and the black money which is recovered will be taken over. Thus the association will not prove.

जोकिम अल्वा : सरकार उन साधारण लोगों के हितोंका कैसे संरक्षण कर रही है जो इस कम्पनी में अपना धन लगाते हैं ? एक अन्य कम्पनी से निकाल दिये गये निदेशकों को बीमा नियंत्रक इस कम्पनी के निदेशक बनने की अनुमति कैसे देता है ? या तो वह कम्पनी, जो पहले थी बन्द कर दी गई है अथवा इन निदेशकों को अयोग्य ठहरा कर वहां से निकाल दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बीमा नियंत्रक द्वारा किस प्रकार की सतर्कता बरती जाती है ?

श्री ब० रा० भगत : विधि द्वारा दी गई शक्तियों के अन्तर्गत पूरी सतर्कता बरती जाती है। जब तक कि किसी निदेशक को दुराचरण आदि के लिये दण्ड और कारावास का दण्ड नहीं दिया जाता है तब तक उसको एक निदेशक के रूप में कार्य करने से नहीं रोका जा सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि आयकर अधिकारी अथवा आयकर आयुक्त इस मामले की जांच कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि यह आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो क्या सरकार का विचार इन में से कुछ व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने का है ?

श्री ब० रा० भगत : यदि यह आरोप सिद्ध हो जायेंगे–यह उस व्यक्ति विशेष के विरुद्ध हैं न कि कम्पनी के विरुद्ध–तो निश्चय ही कानून के अन्तर्गत वह सारी कार्यवाही की जायेगी जो आवश्यक होगी।

Shri Prakash Vir Shastri : This report has been appearing in the newspapers for the last two or three days that the Income-Tax Authorities have not been able to break open a steel room in Rajasthan which contain a huge quantity of gold and a large number of diamonds, jewels etc., whether it is also connected with that company ?

Shri B. R. Bhagat : I will have to enquire into this matter.

Shri Bagri : Will the Minister be pleased to state the nature of restrictions which would be imposed on a company which allows persons dismissed from another company for their indulgence in malpractices with a view to evade income-tax, to become its directors or which is started by such persons and whether Government has the necessary power to impose these restrictions or not.

Shri B. R. Bhagat : It depends on this fact as to how they are penalised. If charges against them are proved, further action will be taken.

Shri Bagri : If two corrupt directors who were dismissed from a company as a result of their indulgence in malpractices form a new company, may I know whether Government would take any action against them or not ? This is what I want to know.

Mr. Speaker : It has already been replied.

अल्प सूचना प्रश्नों के बारें में
RE : SHORT NOTICE QUESTIONS

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमान्, मैं आपकी अनुमति से नियम 54 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। आज मुझे और सभा के दोनों पक्षों के मेरे सहयोगियों को एक श्वेत पत्र मिला जिसका शीर्षक "लिखित उत्तर के लिये गृहीत अल्प-सूचना

[श्री हरि विष्णु कामत]

प्रश्नों की सूची" था। मैं आपका ध्यान नियम 54 के उप-नियम (2) की ओर दिलाना चाहता हूं। क्या मैं इसे पढ़ूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह नियम अनिवार्य है। इस में कहा गया है कि यदि सम्बन्धित मंत्री उत्तर देने के लिये सहमत हों तो ऐसे प्रश्नों को उसके द्वारा दर्शाये गये दिन की सूची में शामिल कर लिया जायेगा और इसे तुरन्त पुकारा जायेगा। जब अध्यक्ष महोदय द्वारा कोई प्रश्न पुकारा जाता है तो वह लिखित उत्तर के लिये नहीं हो सकता है। नियम 46 के अन्तर्गत "पुकारे जाने" का अर्थ यह है कि आप उस सदस्य को पुकारेंगे जिसका वह अल्प-सूचना प्रश्न है। यदि आप इस प्रकार अल्प-सूचना प्रश्नों को लिखित उत्तर के लिये शामिल करने की प्रक्रिया का अनुसरण करने लग जायेंगे तो हम अन्तिम दिन लोकहित में प्रश्नों को पूछने के अपने अधिकार से वंचित हो जायेंगे। चार प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही लोक-महत्व के है और लिखित उत्तर अपने प्रभाव में असफल रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में उन्होंने सही कहा है कि यदि किसी प्रश्न को स्वीकार कर लिया गया हो और सम्बन्धित मंत्री उसका उत्तर देने के लिये तैयार हों तो उसे यहां पुकारना पड़ता है; परन्तु कल मैंने सभा की अनुमति ले ली थी। मैंने सभा को बता दिया था कि मैं अन्तिम दिन छः अथवा सात प्रश्न नहीं पूछ सकता हूं अतः मैं सूची में केवल दो प्रश्नों को ही शामिल करूंगा और कोई अन्य प्रश्न नहीं पूछने दूंगा। मैंने य निर्णय कल सभा की अनुमति से किया था।

श्री हरि विष्णु कामत : यह तो एक अनिवार्य नियम है। अदि आप चाहे तो नियमों में रूपभेद किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्रियों से मेरी यह शिकायत है कि अधिवेशन के आरंभ में तो वे अल्प-सूचना प्रश्नों को बहुत ही कम स्वीकार करते है परन्तु आज अन्तिम दिन उन्होंने 7 प्रश्नों का उत्तर देना स्वोकार कर लिया है। मैं अन्तिम दिन 7 प्रश्नों को सूची में कैसे शामिल कर सकता हूं ? यह एक विचित्र बात है **(अन्तर्बाधा)**

श्री ही० ना० मुकर्जी : इसमें गलत बात भी क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं 7 प्रश्नों को शामिल कर लेता हूं तो इन पर और 1 1/2 घंटा लग जायेगा ..... **(अन्तर्बाधा)**।

श्री ही० ना० मुकर्जी : ऐसा किसी व्यक्ति के दोष के कारण नही है ..... **(अन्तर्बाधा)**।

श्री हरि विष्णु कामत : यह राष्ट्रहित में है।

श्री ही० ना. मुकर्जी : ऐसा किसी सदस्य के दोष के कारण तो नही हुआ इसके लिये तो अल्प-सूचना प्रश्नों को स्वीकार करने की मंत्रियों की अनिच्छा ही जिम्मेवार है कि आज एक दिन में 7 प्रश्न इकठ्ठे हों गये हैं। इस में हमारा कोई दोष नहीं है।

जैसा कि श्री कामत ने बताया यदि किसी अल्प-सूचना प्रश्न के पूछने की अनुमति दी जाती है तो इससे सम्बन्धित सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल जाता है क्योंकि हम मुख्य प्रश्न में सभी बातें नही पूछ सकते हैं और मंत्री द्वारा दिये गये उत्तरों से कई त्रुटियों का पता चल जाता है और हमें अनुपूरक प्रश्न पूछने ही पड़ते हैं। अतः यदि अल्प-सूचना प्रश्न पूछने की अनुमति इस आधार पर दी जाती है कि वे अविलम्बनीय हैं तो सभा में उनका पूरा पूरा उत्तर देना पड़ता हैं। ..... **(अन्तर्बाधायें)**

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं आपसे यह निवेदन कर सकती हूं कि संसद के अन्तिम दिन हमने पहले कई अवसरों पर लगभग 4 अल्प-सूचना प्रश्नों तथा दो ध्यान दिलाने वाले नोटिसों को कई बार स्वीकार किया है। आप पिछले अभिलेख देख सकते हैं। आप को अल्प-सूचना प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का मौखिक उत्तर दिलवाने के लिये प्रश्न-सूची में सब से पहले रखने का भी अधिकार है। मेरे विचार में हमें अब इस मामले को भी उसी प्रकार से निपटाना चाहिये जैसे पहले निपटाते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बताया है कि जहां तक नियम का सम्बन्ध है, मुझे इसमें बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है और उनसे मेरी कोई भिन्न राय नहीं है। परन्तु मुझे इसे विनियमित तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने कल और आज भी यह कहा है कि मैं एक दिन के लिये 7 अल्प-सूचना प्रश्न शामिल नहीं कर सकता हूं। इसका अर्थ यह है कि जब मैं इन्हें अल्प-सूचना प्रश्न के रूप में शामिल करता हूं तो मुझे इन्हें विनियमित करना पड़ेगा (**अन्तर्बाधाएं**)।

श्री भागवत झा आजाद : आज अधिवेशन का अन्तिम दिन है। यदि कुछ महत्व पूर्ण प्रश्न हैं तो उन्हें पूछने की अनुमति दी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : इसका मैं केवल एक ही कारण बता सकता हूं (**अन्तर्बाधाएं**)।

श्री दाजी : हम कल बैठ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अल्प-सूचना प्रश्नों के लिये अधिवेशन को नहीं बढ़ाया जा सकता। मुझे अपने विवेक का उपयोग करना पड़ेगा, चाहे मंत्री इन प्रश्नों को स्वीकार ही क्यों न कर लें, फिर भी हो सकता है कि मैं इन्हें प्रश्न-सूची में शामिल न करूं, मैं उन्हें स्वीकार न करूं। यदि मैं केवल दो अल्प-सूचना प्रश्नों को ही शामिल करता तब भी सदस्यों को लाभ न होता। मैं चाहता था कि उत्तर सभी प्रश्नों के आने चाहिये। यह मैंने सदस्यों को यह सुविधा दी..... (**अन्तर्बाधाएं**)।

श्री भागवत झा आजाद : तब अल्प-सूचना का कोई अर्थ ही नहीं है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : आपने केवल इन प्रश्नों के लिये सत्र बढ़ाने की अनिच्छा प्रकट की है....

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा विकल्प नहीं है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं आपसे एक बात जिसको आप कुछ महत्वपूर्ण समझें, निवेदन करना चाहता हूं। कल हमें एक कार्य-सूची मिली थी जिस में कुछ अविलम्बनीय मामले शामिल किये हुए थे। मैं स्वयं प्रत्येक मामले के बारे में विवाद में भाग नहीं लेता हूं। परन्तु उसमें कुछ ऐसे मामले थे जिन पर, मैंने सोचा था कि मुझे भाग लेना चाहिये और इन्हें इसी अधिवेशन में निपटा दिया जाना चाहिये क्योंकि आगामी सत्र में और बहुत कार्य होगा। हमने इन सभी मामलों को कल की कार्य-सूची में पाया था परन्तु आज की कार्य-सूची में से उन्हें बिल्कुल निकाल दिया गया है।

संगठित दलों के रूप में हमसे संयुक्त समिति की सदस्यता के लिये नामों का और उस प्रकार की समस्त युक्तियोंका सुझाव देने के लिये कहा गया था, क्योंकि सरकार संयुक्त समिति में कुछ व्यक्तियों को सम्मिलित करना चाहती थी। हमें अपने सदस्यों की सहमति प्राप्त हो गई। हमने सदस्यों को सूचित किया; उन्होंने उन सदस्यों के नाम घोषित कर दिये। उन सदस्यों ने सम्भवतः अवकाश के दौरान अपना कार्यक्रम आदि बनाया। यकायक ही सब चीज़ समाप्त कर दी गई है। मेरा निवेदन यह है कि जब सरकार आपको कोई सूची देती है जो कि आपके आदेशानुसार सदस्यों को परिचालित कर दी जाती है और जबकि वह सूची आपके पास है और जबकि उसमें सभी बातें हैं जिनमें वे अल्प-सूचना प्रश्न भी सम्मिलित हैं जो

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

आप के निर्णयानुसार अल्प-सूचना प्रश्नों माने जाने चाहिए और मन्त्री जी भी इससे सहमत हैं, ये सारी बातें आप के सामने हैं और आप अपनी इच्छानुसार निश्चय ही सरकार को कल, थोड़े समय के लिये आने को कह सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो हम कुछ समय के लिय कल बैठ कर सकते हैं। मैं आपके विचारार्थ यह सुझाव दे रहा हूं। सरकार ऐसा क्यों कर रही है जिससे आपके लिये और सभा के लिये उचित प्रकार से कार्य करना असंभव हो जाये? **(अन्तर्बाधा)**।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मैं समझ सका हूं यह निर्णय करना कि संसद का अधिवेशन कब तक चलेगा, सरकार का काम है।

श्री हरि विष्णु कामत : पहले आपने कहा था.....

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं पहले आप की बात सुनूंगा, फिर बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : सत्ता रूढ़ दल, बहुमत दल को निर्वाचकों ने बहुमत में चुन कर भेजा है। यह उन का अधिकार है कि अपनी नीतियों, कार्यक्रमों तथा विधयकों पर जिन्हें वे पास करना चाहते हैं, सहमति प्राप्त करने तथा उनका अनुमोदन कराने के लिये संसद् का अधिवेशन बुलायें। जैसे ही वे किसी विशेष कालावधि के लिये अधिवेशन बुलाते हैं तो गैर-सरकारी सदस्यों को कुछ अधिकार अवश्य प्राप्त हो जाते हैं.....

श्री नाथ पाई : मैं निवेदन करूंगा कि हमारे अधिकार बहुत विस्तृत हैं और वे केवल सरकार की मांगों का अनुमोदन करने तक ही सीमित नहीं हैं। हमें आलोचना करने, संशोधन करने त ा नियंत्रण रखने का अधिकार है। आपने इन कार्यों का कोई उल्लेख नहीं किया आपने तो केवल अनुमोदन का ही उल्लेख किया है।

अध्यक्ष महोदय : जब सरकार को अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी तो अवश्य ही विरोधी दलों को आलोचना करने का अवसर मिलेगा। उनको यह अधिकार है।

श्री नाथ पाई : मैं निवेदन करूंगा कि आपने केवल अनुमोदन का उल्लेख किया था तथा अन्य विस्तृत अधिकारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : जब सरकार अनुमोदन करने को कहेगी तब विपक्ष को आलोचना का अवसर भी मिलेगा। उन्हें आलोचना करने, विरोध प्रगट करने, रुकावटें पैदा करने तथा हर कार्यवाही, जो वे करना चाहत हैं, करने का अवसर मिलेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : सरकार की कलई खोलने, उसका विरोध करने तथा उसे सत्ता से हटाने का हमें अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : यह कैसे संभव है कि केवल रुकावट डालने के लिये मैं संसद का अधिवेशन बुलाउ, जबकि सरकार ने कोई प्रस्ताव ही पेश न किया हो, जिस में आप रुकावट डालना चाहते हैं। जब ससद का अधिवेशन बुलाया जाता है तो गैर-सरकारी सदस्यों को सभा में अपना कार्य प्रस्तुत करने का प्राधिकार है। उन्हें यह अधिकार है कि व अपना मत व्यक्त करें, आलोचना करें। बाधाएं डाले तथा जो चाहे करें यदि सरकार सभा की अनमति के लिये कोई महत्वपूर्ण कार्य पेश करती है और फिर अचानक ही उसे वापस ले लेती है, तो मैं उसे कैसे मजबूर कर सकता हूं कि उस पर विचार किया जाये। यह उन का कार्य है...

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम हैं।

श्री मी० रु० मसानी : श्रीमान्, यह तो आप ही निर्णय करेंगे कि जो कार्य रोक लिया गया है उसके लिए कल बैठक हो या नही। आपके कथनानुसार यह निर्णय करने का अधिकार कि सभा की कितनी बैठकें हों या अधिवशन कितने दिन चले, केवल सरकार को ही प्राप्त है। सभा के स्थगन संबंधी प्रक्रिया नियमों के नियम 15 को देखते हुए मैं नहीं समझता कि यह कथन बिल्कुल ठीक है।

नियम 15 इस प्रकार है :

"अध्यक्ष वह समय निर्धारित करेगा जबकि सभा की बैठक अनिश्चित काल के लिये या किसी और दिन तक के लिये या उसी दिन के किसी समय या भाग तक के लिये स्थगित की जायेगी : परन्तु अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, उस तिथि विशेष या समय से पूर्व, जब तक के लिये कि सभा की बैठक स्थगित की गई हो, या सभा के अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित होने के बाद किसी भी समय, सभा की बैठक बुला सकेगा।

इससे यह स्पष्ट है कि यदि आप सभा के स्थगित होने के बाद उसकी बैठक पुनः बुला सकते है तो सभा की बठक को एक दिन के लिये यदि आप चाहें, तो सरलता से बढा सकते हैं।

हमे इस की वैधानिक स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि अध्यक्ष पीठ से आपको यह निर्णय देने का कि सभा की बैठक कल होगी, पूर्ण अधिकार है। यह आपकी इच्छा पर है कि आप ऐसा करते हैं या नहीं परतु इस में कोई संदेह नहीं कि आप वही करेंगे जो उचित होगा।

श्री उ० म० त्रिवेदी : नियम 15 के संबंध में जो यह चर्चा हुई इसके बारे में सरकार के कुछ भी न कहने के क्या कारण हैं ? उन्हें कहना चाहिए था कि वे कल बैठने को तैयार हैं ताकि इस मामले पर भी चर्चा की जा सके और उस विधेयक पर भी जिसे उन्होंने वापस ले लिया है विचार किया जा सके। इस में क्या आपत्ति है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हमें नियम 13 को भी देखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी नियम 13 को भी पढ़ रहा था। क्या माननीय मंत्री को भी कुछ कहना है ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं यह किसी विधेयक पर चर्चा न करने की बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि सभा के सामने कुछ ऐसे प्रस्ताव है जिन पर कुछ विचार किया जा चुका है और कुछ ऐसे विधेयक हैं जिन पर आंशिक रूप से चर्चा की जा चकी है और उन्हें पुनः सभा में विचार के लिये नहीं लाया जा रहा है। क्या आप इन पर निर्णय नहीं दे सकते कि इन पर विचार किया जाए और उन बातों को जिन पर आधी चर्चा हो चुकी है दो महीने बाद बुलाये जाने वाले अधिवशन के लिये उठा कर न रखा जाये ?

श्री नाथ पाई : मैं कहना चाहता हूं कि आप सभा का बैठक काल बढ़ा सकते हैं। यह अधिकार केवल सरकार का ही नहीं है बल्कि सभा को भी इसका पूर्ण अधिकार है। मैं आप का ध्यान नियम 14 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका अर्थ है कि यह अधिकार केवल आपको दिया गया है और इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। नियम 14 इस प्रकार है :

"यदि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दे तो सभा की बैठकें प्रतिदिन साधारणतया 17.00 बजे समाप्त हो जायेंगी।"

अध्यक्ष महोदय : फिर मैं कह सकता हूं कि सभा कि बैठक छः या सात बजे तक होगी **(अन्तर्बाधाएं)**।

श्री नाथ पाई : अन्तर्बाधाओं के कारण मैं अपनी बात खत्म नहीं कर पाया हूं। जैसा कि श्री कामत ने कहा यदि अल्प-सूचना प्रश्नों का उत्तर आज दे दिया जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होती। यदि आप बैठक को कल तक नहीं बढ़ाना चाहते, तो आप निदेश दे सकते हैं कि सभा की बैठक सात बजे तक होगी और इसमें कोई संदेह नहीं कि सभा की बैठक को दो घण्टे तक बढ़ाना पूर्णतः आपके अधिकार में है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा....

श्री स० मो० बनर्जी : श्री मसानी और श्री कामत का समर्थन करते हुए मैं आज की कार्य-सूची में सभा के कार्य के क्रम की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं अल्प-सूचना प्रश्नों अथवा उन विधेयकों के बारे में नहीं कह रहा हूं जो कार्य-सूची में नहीं दिये गये हैं। आज 4 बजे हमारे प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री एक वक्तव्य देने वाले हैं। इसके पश्चात् 3 दिसम्बर 1965 को सीमेंट के विनियंत्रण के बारे में मेरे द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाना है, जिस पर पहले थोड़ी सी चर्चा हो चुकी है। अभी कई दलों के सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त नहीं किये है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत सोच विचार के बाद और आपकी सहायता से हम इंजीनियरी, धातु तथा अन्य उद्योगों में देश व्यापी बड़े पैमाने पर छटनी और जबरी छुट्टी के बारे में चर्चा कर सके हैं। इसके दौरान देश में कपड़ा मिलों के बन्द होने के बारे में भी विचार होगा। मेरा निवेदन है कि यदि श्री मधु लिमये चर्चा आरम्भ करते हैं और केवल वह अकेले ही बोल पाते हैं और उनकी बातों का उत्तर नहीं दिया जाता तो इससे न तो हमारे साथ और नहीं श्रमिकों के साथ और नहीं देश के साथ न्याय होगा। अतः मेरी प्रार्थना है कि कार्य को खत्म करने के लिये आज हम 9.00 बजे तक बैठें और यदि आवश्यक हो तो सभा की बैठक को कल तक भी बढ़ा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक नियम 14 का सम्बन्ध है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि अध्यक्ष बैठक का समय जब तक चाहें बढ़ा सकते हैं और कह सकते हैं कि सभा की बैठक इतने बजे तक होगी। परन्तु कठिनाई यह है कि हम ने माननीय राष्ट्रपति जी को सांवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन की संस्था का उद्घाटन करने की प्रार्थना की है तथा हमें उस सम्मेलन में जाना है।

श्री स० मो० बनर्जी : यदि ऐसा है, तो हम कल बैठ सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : आप सभा की बैठक को एक दिन के लिये बढ़ा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कल की बैठक के बारे में मैं यह कहूंगा कि जब माननीय मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि बैठकें 10 तारीख तक होंगी, तो शायद अन्य सदस्यों ने भी उसी के अनुसार कार्यक्रम बना लिया होगा; उन्होंने इस को निर्णय माना होगा और सभा ने भी उस का अनुमोदन किया है।

श्री हरि विष्णु कामत : सभा अपना निर्णय बदल सकती है।

अध्यक्ष महोदय : सभा यदि चाहे तो सब कुछ कर सकती है, मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं।

श्री भागवत झा आजाद : यदि हमें श्री हुकम चन्द कछवाय और श्री कामत का सहयोग प्राप्त हो जाये कि वे गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठायेंगे, तो हम 10 बजे तक बैठ सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं इसे नहीं उठाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा यह चाहती है कि अल्प सूचना प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाये तो सभा की बैठक आज 5.30 बजे तक होगी और 5.00 से 5.30 बजे तक अल्प सचना प्रश्न पूछे जायेंगे और उनका उत्तर दिया जायेगा। कल सभा की बैठक नहीं होगी।

श्री हरि विष्णु कामत : आप के विनिर्णय के बारे में मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठक आज 5.30 वज तक होगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मद्रास में व्यापारियों द्वारा स्थानापन्न वस्तुओं का गलत प्रयोग

***778. श्री कपूर सिंह :**
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मद्रास में कुमारापलायम के कुछ व्यापारियों द्वारा स्थानापन्न वस्तुओं के गलत प्रयोग के बारे में 18 सितम्बर, 1965 के 'मार्च आफ दि नेशन' साप्ताहिक में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस समाचार में कोई सचाई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : व्यतिक्रम करने वालों फर्मों को दण्ड देने के लिये विदेशी विनिमय नियंत्रण और आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियमों के अन्तर्गत कारवाई आरम्भ हो चुकी है और इसमें तेजी से प्रगति की जा रही है।

इस्पात निर्यात

***782. श्री जो० ना० हजारिका :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में प्रमुख (प्राइम) इस्पात, तामीराती तथा ग़ैर-तामीराती इस्पात का कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उस निर्यात का कुल मूल्य कितना है ;

(ख) इस निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई और इस प्रकार अर्जित विदेशी मुद्रा की कितनी रकम वास्तव में विदेशी मुद्रा आय खातों में जमा की गई ;

(ग) प्रमुख उत्पादकों और अन्य निर्यातकों द्वारा वस्तु-विनिमय सौदों के अन्तर्गत तथा प्रत्यक्ष भुगतान तथा वस्तुविनिमय के अधीन कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ; और

(घ) (एक) ऐसे निर्यातकों के नाम और संबंधित निर्यात वस्तुओं का विवरण और मूल्य क्या है ;

(दो) इन निर्यातकों द्वारा वास्तव में अर्जित और बैंक खातों में जमा की गई विदेशी मुद्रा की रकम कितनी है ;

(तीन) ऐसे गैर-सरकारी प्रत्येक निर्यातिक को दिये गये आयात लाइसेंसों का मूल्य क्या है; और

(चार) इन निर्यातकों को ये आयात लाइसेंस किन-किन तारीखों को दिये गये थे और किन किन तारीखों को इन निर्यातकों से विदेशी मुद्रा वसूल की गई थी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) से (घ) तक : विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 5377/65 ।]**

उर्वरक कारखाना नेवेली

*783. **श्री धर्म लिंगम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली में प्रस्तावित उर्वरक कारखाना चालू हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) नेवेली लिगनाइट परियोजना का उर्वरक एकक चालू होने वाला है । वातीयन-यंत्र जुलाई 1965 में चालू हुआ था तथा वात-शुद्धीकरण यंत्र अगस्त 1965 में । अमोनिया तथा युरिया यंत्र अभी चालू नहीं किए गए हैं ।

(ख) अक्टूबर 1965 में वातीयन यंत्र से वात-विघायन के समय उसमें आशा के विपरित अशुद्धियों के पाए जाने के कारण अमोनिया तथा यूरिया यंत्र संचालित नहीं किए जा सके । ठेकेदार उन अशुद्धियों को दूर करने के उपाय कर रहे हैं ।

मोटरगाड़ियों के पुर्जों का आयात

*784. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि मोटर गाड़ियों के पुर्जों के आयात के लिए दिए गए लाइसमों का लाइसेंस प्राप्त करने वालों ने गत छः महीनों में दुरुपयोग किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नही ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Power Transmission Line in Nigeria

*787. **Shri Bade :**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Indian firm has laid power transmission line in Nigeria ;

(b) if so, the particulars thereof ; and

(c) whether Government propose to encourage other Indian firms for carrying out such other works abroad with a view to earning foreign exchange ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) and (b). Yes Sir; An Indian firm has completed the construction of a 62 mile 132 KV Transmission Line Project in Nigeria using Indian made towers and other materials.

(c) It is Government's policy to encourage Indian firms to undertake such turn-key jobs in foreign countries, for earning more foreign exchange.

तेल शोधक संयंत्र का निर्माण

*788. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री किन्दर लाल : **श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूमानिया सरकार ने भारत में तेलशोधक कारखाने के उपकरण बनाने के लिए एक संयंत्र लगाने में सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ग) : रुमानियां की मेसर्स इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट से अन्य चीजों के साथ ही तेल शोधक कारखानों के लिए उपकरणों का भी उत्पादन करने के वास्ते एक कारखाने की स्थापना करने के लिए एक प्रायोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है । इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है ।

इंधन की खपत

*789. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे वर्तमान अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिये विस्तृत रूप में प्रयोग होने वाले गोबर तथा कृषि अपशिष्टों, जैसे प्राकृतिक खादों के स्थान पर साफ्ट कोक का प्रयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ख) देश में, ईंटों तथा घरों में प्रयोग होने वाले ईंधन की बढ़ती हुई मांग को पूरी करने के हेतु ईंटों के भट्टे खोलने तथा साफ्ट कोक डिपुओं को खोलने के लिये लाइसेंस देने की वर्तमान प्रक्रिया को उदार बनाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार को कोयला उत्पादक संस्थाओं से कोई ऐसा ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें ईंधन के खपत पैटर्न को राष्ट्रीय संसाधनों के अनुसार बनाने का सुझाव दिया गया है ; और

(घ) यदि हा, तो ज्ञापन में दिये गये सुझावों तथा उसमें उल्लिखित कठिनाइयों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) साफ्ट कोक के वितरण पर नियंत्रण को ढीला करना, तथा इसके नए डिपो खोलें जाने के लिए लाइसेंस प्रणाली को उदार करना, कोयला-आधारित उद्योगों पर अधिक जोर देना तथा राज्य सरकारों को शीघ्र उपजने वाले रोपणों और गोबर गैस यंत्रों को अधिक जनप्रिय बनाने के लिए राय देना आदि कुछ ऐसे कदम हैं जो सरकार ने ले लिए हैं ।

(ख) नए ईंट के भट्टे व साफ्ट कोक के डिपों खोलने के तरीके व नीति को उदार बनाने के लिए राज्य सरकारों को राय दी गई है।

(ग) हां, महोदय ।

(घ) ईंधन उपभोग के प्रतिरूप को पुनरनुस्थापित करने, साफ्ट कोक व निम्न श्रेणी के कोयले को देहातों में भी अधिक जनप्रिय बनाने तथा यातायात के नियंत्रणों को दूर करने के संबंध में दिए गए सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं।

अच्छे किस्म के कोयले में किफ़ायत

*790. **श्री व० कु० दास :**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की समूची राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में अच्छे किस्म के कोयले के स्थान पर, जिसके ज्ञात निक्षप बहुत ही सीमित है, घटिया किस्म के कोयले का यथा सम्भव प्रयोग करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) घटिया किस्म के कोयले का जो देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अधिक प्रयोग करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार का विचार वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा किस्म में सुधार करके घटिया किस्म के कोयले का धातुकर्म के लिये यथासंभव प्रयोग करनें के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का हैं, और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था द्वारा किये गये प्रयोगों का क्या परिणाम निकला ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) विभिन्न उद्योगों को कोयले का श्रेणीबद्ध आंवंटन एक परिशिष्ट के अनुसार नियंत्रित किया जाता है जो उद्योग या विधाविशेष में प्रयोग किये जाने वाली भट्टी के आधार पर उसमें उपयुक्त कोयले की श्रेणी के अनुसार बनाई गई है। इसके अतिरिक्त धातुकार्मिक उद्योगों में प्रयोग के लिये निम्न श्रेणी के कोकिंग कोल को धोने के बाद अधिशांधित किया जाता है ।

(ख) निम्न श्रेणी के कोयले के प्रयोग को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) सभी नई विद्युतशालाएं इस प्रकार बनाई जा रही है कि वे ज्यादा राख वाले कोयले को जला सकें ;

(2) निम्न श्रेणी के कोयलों पर लगा हुआ वितरण नियंत्रण हटा लिया गया है ;

(3) ईंट के भट्टे व सोफ्ट कोक के डिपो खोलने के लिए लाईसेंस उदारतापूर्वक दिये जा रहें हैं ।

(4) बंगाल बिहार के कोयला क्षेत्र के श्रेणी दो व तीन के कोयले की कीमतें "उच्चतम कीमतें" अधिसूचित कर दी गई हैं ;

(ग) और (घ) : इस समय नोन कोकिंग श्रेणी के कोयले से धातुकार्मिक को तैयार किए जाने की संभावना पर अध्ययन किया जा रहा हैं।

सीमेंट पर से नियंत्रण हटाना

*791. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री सीमेन्ट पर से नियंत्रण हटाने के सरकार के निर्णय के बारे में 18 नवम्बर, 1965 को सभा में दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेन्ट पर से प्रयोगात्मक रूप में नियंत्रण हटाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली स्थिति का अध्ययन करने के लिये संसद् सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस समिति के कृत्य और अधिकार क्या होंगे ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ग) : इस प्रकार का सुझाव अनौपचारिक सलाहकार समिति की बैठक में तथा राज्य सभा में दिया गया था। इस पर विचार किया जा रहा है ।

न्यूयार्क विश्व मेला

*792. **डा० श्रीनिवासन :**
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इसका अनुमान लगाया है कि न्यूयार्क के विश्व मेले में, जो 17 अक्तूबर, 1965 को समाप्त हुआ था, भारतीय मंडप को भारतीय वस्तुओं की बिक्री में कितनी सफलता मिली ;

(ख) यदि हां, तो किन भारतीय वस्तुओं में विदेशियों ने रुचि दिखाई तथा इन वस्तुओं के निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) मेले में भारतीय मंडप की दुकानों पर कुल कितने मूल्य की भारतीय वस्तुयें बिकीं ; और

(घ) भारतीय स्टालों पर कुल कितना धन व्यय हुआ ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ) : न्यूयार्क विश्व मेला 17 अक्तूबर, 1965 को समाप्त हुआ। विदेशी दर्शकों/आयातकों की भारतीय सामान के आयात में रुचि को देखते हुए ऐसा अनुमान है कि इस मेले के माध्यम से अमरीका के हाथ भारतीय वस्तुओं की बिक्री में काफी अधिक वृद्धि हुई है। जिन मुख्य वस्तुओं का अधिक परिमाण में मंगाने तथा अभिकरण प्रबन्ध होने के लक्षण दिखाई दिये हैं, वे ये हैं : मशीनी औजार, काटने के औजार, ढले लोहेकी पाईप फिटिंग्ज, हल्का इंजीनियरी सामान जैसे बुनाई की मशीनें, स्टेनलेस स्टील का सामान, साइकिलें, सिलाई की मशीनें, डिब्बाबंद समुद्री खाद्य पदार्थ तथा फल, चाय, काजू, मसाले, काथा तथा जूट का माल, प्लास्टिक की वस्तुएं, दस्तकारी तथा हथकरघा उत्पाद, कपड़े, चमड़े का सामान, उड़नशील तेल, अभ्रक आदि।

मंडप से विभिन्न भारतीय वस्तुओं के लिये 483 पूछताछें की गई तथा इन पूछताछों के सम्बन्ध में विदेशी आयातकों के साथ बातचीत चल रही है। हमें सूचना मिली है कि भारतीय निर्माताओं के साथ 2.70 करोड़ रु० के माल की पक्की बुकिंग हो चुकी है। इन वस्तुओं में औद्योगिक केनवेस, सूती वस्त्र, सिले-सिलाये वस्त्र, बुनाई की मशीनें, हस्तशिल्प की वस्तुएं, हथकरघा सामान, प्लास्टिक की वस्तुएं, स्टेनलेस इस्पात का सामान, ढले लोहेकी पाइप फिटिंग्ज्, जूते तथा स्लीपर, साबुन, अलौह धातु की ढली वस्तुएं आदि हैं ।

इन तमाम पूछताछों से ज्ञात होता है कि इस मेले द्वारा अमरीका तथा अन्य बाजारों को हमारी वस्तुओं की कुल 20 करोड़ रु० की निर्यात-बिक्री होने का अनुमान है।

मेले के दो अधिवेशनों में, मंडप तथा इन्टरनेशनल प्लाजा के यूनिटों के बिक्री विभागों पर 1,00,10,151 रु० के बराबर 21,02,973 डालर मूल्य की स्मरणीय बिक्री हुई। इस बिक्री में भारतीय जलपानगृह में तैयार किये गये भारतीय खाद्य पदार्थों तथा जलपान के पदार्थों की बिक्री भी शामिल है।

मेले में भारत के शामिल होने के कारण, सरकार द्वारा जो वास्तविक व्यय किया गया है उस के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं फिर भी सरकारी स्तर पर भारत के शामिल होने के कारण अनुमानित व्यय विदेशी मुद्रा में 130 लाख रु० तथा भारत में 35 लाख रु० है। निजी पार्टियों, जिन्होंने भारतीय मंडप तथा इन्टरनेशनल प्लाजा क्षेत्र की दुकानों में अपनी बिक्री का प्रबन्ध किया था, उनके खर्च का जहां तक सम्बन्ध है वह उन पार्टियों द्वारा ही किया गया था।

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची

*793. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 7 मई, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1235 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची में भारी इन्जिनियरिंग निगम के संयंत्र में आग लगने के कारणों की जांच-पड़ताल पूरी हो गई है, और यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला ;

(ख) क्या किसी पाकिस्तान-समर्थक व्यक्ति को इस के लिये दोषी पाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरों के सहयोग से बिहार राज्य के सी०आई०डी० विभाग द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा आगजनी का एक मामला दर्ज किया गया है। अब तक पुलिस द्वारा 19 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच करने और उसे अदालत में भेजने से पूर्व कुछ और गिरफ्तारियां होने की सम्भावना है।

ब्रिटेन तथा अमरीका से व्यापार

*794. **श्री राम हरख यादव :**

श्री रामानन्द शास्त्री :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-अमरीकी तथा भारत-ब्रिट्रिश व्यापार बढ़ रहा है,

(ख) 1960-61 की तुलना में 1964-65 में अमरीका तथा ब्रिटेन से अलग अलग कितना व्यापार हुआ ; और

(ग) क्या क्या वस्तुयें इन दोनों देशों को निर्यात की जा रही हैं तथा क्या क्या वस्तुयें उनसे आयात की जा रही हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। 1961-62 से 1964-65 तक के वर्षों में भारत-अमरीकी तथा भारत-ब्रिटिश व्यापार बढ़ा है।

(ख) तथा (ग) : एक विवरण सदन की मेज़ पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5078/65।**]

यूरोपीय साझा बाजार के सदस्य देशों के साथ व्यापार

*795. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय साझा बाजार के सदस्य देशों के साथ भारतीय व्यापार बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) चालू वर्ष में अब तक इन देशों के साथ कितना व्यापार हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिये हम ने जो कदम उठाये हैं, वे दो प्रकार के है :—

(1) ब्रुसेल्स स्थित हमारे आर्थिक मिशन द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के आयोग से राजनयिक सम्पर्क करना, साझा बाजार को होने वाले हमारे निर्यात पर लगे टैरिफ तथा टैरिफ-इतर प्रतिबन्धों को दूर करने का अनुरोध करके भारत के व्यापार के लिये गाट में रियायतें प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करना, और

(2) इस क्षेत्र में गहन व्यापार संवर्धन का कार्य करना ।

समुदाय को निर्यात किये जाने वाली अनेक भारतीय वस्तुओं पर लगे टैरिफ तथा टैरिफ इतर दोनों प्रकार के प्रतिबन्धों को हटाने का प्रश्न ब्रुसेल्स स्थित हमारे आर्थिक मिशन द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के आयोग के समक्ष निरन्तर उठाया जाता रहा है । इसके परिणामस्वरूप 1 जनवरी, 1964 से दो वर्ष की अवधि के लिये प्रथमतः भारत के हित की कुछ वस्तुओं पर से समुदाय की साझा बाह्य टैरिफ दरें बिल्कुल स्थगित अथवा कम कर दी गयी हैं जैसे काजू की गिरियां, इलायची, धनिया, अदरख, करी का मसाला तथा पेस्ट, आम की चटनी, अरंडी का तेल, तंबाकू बीज का तेल, लाल मिर्च, चमड़ा, क्रिकेट तथा पोलो का सामान । ब्रिटेन से हुये एक करार के अन्तर्गत यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने चाय और ऊष्ण कटिबन्धीय सख्त लकड़ी पर से भी शुल्क स्थगित कर दिये हैं। इन रियायतों को 31 दिसम्बर, 1965 के बाद की अवधि के लिये, जब तक वे केनेडी वार्ता माला में शामिल नहीं की जातीं, जारी रखने के लिये हम यूरोपीय आर्थिक समुदाय से मिले हैं ।

यूरोपिय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों ने व्यक्तिगत रूप से परिमाणात्मक प्रतिबन्ध हटा लिये हैं अथवा वस्तुओं के कोटे उदार कर लिये हैं, जैसे, चमड़ा, जूट, बोरे और बोरियां, खास किस्म के बने हुये वस्त्र, बुनाई वस्त्र, सिलाई मशीनें, अरण्डी का तेल, सूत, जूट तथा ऊन का धागा, ऊन अथवा पशुओं के बाल, नमदे तथा कम्बल । इसी प्रकार द्विपक्षीय व्यापार संबंधी बातचीत में, जोकि प० जर्मनी और फ्रांस के साथ प्रतिवर्ष की जाती है, भारत की निर्यात-योग्य वस्तुओं के लिये, जिन पर अभी प्रतिबन्ध लगे हुये हैं, अधिक कोटे प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जाते हैं ।

ब्रुसेल्स स्थित हमारे आर्थिक मिशन के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप यूरोपीय संसद ने 23 नवम्बर, 1965 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा भारत के बीच व्यापारिक संबंधों के बारे में एक प्रस्ताव अंगीकार किया जिसे यूरोपीय संसद के इतालवी सदस्य श्री जी० एल० मोरो ने पेश किया था । इस में भारत सरकार के प्रतिनिधियों से सम्पर्क करने तथा उन्हें गहन करने के लिये यूरोपीय आर्थिक समुदाय के आयोग से कहा गया था जिससे व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिये भारत तथा समुदाय के देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत शुरू की जा सके ।

निर्यात संवर्धन के क्षेत्र में राज्य व्यापार निगम, दस्तकारी एवं हथकरघा निर्यात निगम, इन्जीनियरी, सूती वस्त्र तथा काजू निर्यात संवर्धन परिषादों और चाय बोर्ड ने प० जर्मनी, बेल्जियम तथा नीदरलैण्ड में, समुदाय के देशों में भारतीय निर्यात उत्पादों के लिये बाजार ढूंढ़ने के उद्देश्य से कार्यालय खोले हैं । हमने इन देशों में लगे कई मेलों में भाग लिया है और 1966 में लगभग छः मेलों में भाग लेने का विचार है । कई प्रतिनिधि मण्डलों और निर्यात संवर्धन परिषदों के बिक्री-दलों ने पिछले दो वर्षों में बाजार

की विस्तृत खोज करने के लिये समुदाय के देशों का दौरा किया। कुछ देशों ने अपने देशों में लगने वाली प्रदर्शनियों में भारत द्वारा भाग लिये जाने के लिये हमें वित्तीय सहायता भी दी है। विशिष्ट उत्पादों के उत्पादन, जैसे, संघटक, फालतू पुर्जे तथा इन्जीनियरी का अन्य सामान, परिष्कृत खाद्य, चमड़ा निर्मित माल, जिनका निर्यात इन देशों को किया जा सकता है, में हमारे कुछ निर्यात-अभिमुख उद्योगों के बारे में प० जर्मनी और इटली के प्रविधिक विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। प० जर्मनी को निर्यात हो सकने की सम्भावना वाले इन्जीनियरी उत्पादों की जानकारी प्राप्त कर ली गयी है और प० जर्मनी के आयातकों को उनमें रुचिकर बनाकर उनके निर्यात का प्रबन्ध करने के लिये विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं। हमारी दस्तकारियों तथा हथकरघा उत्पादों, परिष्कृत खाद्य, चाय, मसाला, काजू की गिरियों आदि को लोकप्रिय बनाने के लिये विभागीय भण्डारों में उनका प्रदर्शन करने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं। लौह अयस्क तथा मेंगनीज अयस्क की बिक्री करने के लिये खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने समुदाय की इस्पात मिलों के साथ सम्पर्क स्थापित किये हैं।

(ख) अप्रैल/अगस्त 1965 की अवधि में समुदाय के छः देशों को किये गये निर्यात का मूल्य 21.8 करोड़ रु० था और इन देशों से आयात, जिसमें मुख्यतः पूंजीगत माल, मशीनें, उपकरण और औद्योगिक कच्चा माल शामिल था, का मूल्य 77.4 करोड़ रु० था।

अमरीका सहायता माल का छोड़ा जाना

*796. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी दूतावास से भारत को, हाल के भारत-पाक संघर्षों के दौरान रोके गये अमरीकी सहायता माल को, छोड़ देने के लिए मना लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाना

*797. **श्री शिंकरे :** **श्री गो० कु० सिंह :**
श्रीमती सावित्री निगम : **श्री श्यामलाल सर्राफ :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले आयव्ययक पर वाद विवाद के दौरान माननीय मंत्री के भाषण को ध्यान में रखते हुए, कि वह सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों का सेवाकाल बढ़ाये जाने के पक्ष में नहीं हैं, क्या तब से कुछ प्रथम क्षेणी के कर्मचारियों का सेवाकाल बढ़ाया गया है और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा किस आधार पर उनका सेवाकाल बढ़ाया गया है ;

(ख) क्या सरकार इस प्रकार सेवाकाल बढ़ाये जाने का उन अधिकारियों के मनोबल तथा कार्यकुशलता पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर अब भी विचार कर रही है जिनकी इस प्रकार सेवाकाल न बढ़ाये जाने पर पदोन्नति होती ;

(ग) क्या प्रथम श्रणी के कुछ अधिकारियों ने, जिनका सेवाकाल समाप्त होने वाला है अथवा जो सेवाकाल बढ़ाये जाने पर सेवा कर रहे हैं, सेवाकाल और बढ़ाये जाने के लिये आवेदन पत्र दिये ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वे किन विभागों में कार्य करते हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम सुभग सिंह) : (क) सार्वजनिक हित में प्रथम श्रेणी के 13 अधिकारियों का सेवा-काल बढ़ाया गया है ।

(ख) इस पहलू को हमेशा ध्यान में रखा जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

विशाखापट्टणम में कच्चे लोहे के कारखाने की स्थापना

*798. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स कुलजियन लिमिटेड ने कच्चे लोहे की परियोजनाओं के बारे में सरकार को दिय गये अपने प्रतिवेदन ने कहा है कि कच्चे लोहे का बड़ा कारखाना स्थापित करने के लिये विशाखापटणम उपयुक्त स्थान नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मेसर्स कुलजियन कारपोरेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को निम्नलिखित क्षेत्रों में कच्चे लोहे के उत्पादनार्थ बड़े आकार की धमन भट्टियां स्थापित करने की शक्यता का अध्ययन करने के लिए कहा गया था :

(i) सिन्दरी-बर्मो-रामगढ़ क्षेत्र (बिहार)

(ii) बाराजमदा-वाराकोट-वौनेगढ़-हीराकुड-तलचर क्षेत्र (उड़ीसा)

(iii) प्रादीप (उड़ीसा)

(iv) काकीनाडा (आंध्र)

(v) रोघाट (मध्य प्रदेश)

(vi) नागपुर-चान्दा-पंच घाटी क्षेत्र (महाराष्ट्र)

(vii) जिल्ली मिल्ली क्षेत्र (मध्य प्रदेश)

(viii) हल्दिया (पश्चिमी बंगाल)

उन्हें जिन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया था वे क्षेत्र प्रथम दृष्टि में ऐसी भट्टियों की स्थापना के लिए उपयुक्त समझे जाते थे परन्तु ऐसा संकेत नहीं दिया गया था कि फर्म अन्य क्षेत्रों पर विचार न करे जो उनकी दृष्टि में उपयुक्त हो सकते हों ।

तटवर्ती स्थानों में ऐसी भट्टियों की स्थापना के लिए अध्ययन करते समय मेसर्स कुलजियन कारपोरेशन (इंडिया) प्रइवेट लिमिटड ने स्वेच्छा विशाखपट्टणम में बड़े आकार की धमन भट्टियां स्थापित करने की शक्यता पर विचार किया था । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जहां साधारणत: तटवर्ती स्थानों में कच्चा माल इकट्ठा करने और तैयार वस्तुओं के वितरण की लागत के बारे में प्रतिकुल टिप्पणी की है वहां उन्होंने ऐसी बातों का भी उल्लेख किया है जिन्हें यदि पुरा कर दिया जाए तो ऐसे स्थानों पर बड़े आकार की ऐसी भट्टियां स्थापित करना उचित होगा । उन्होंने जिन चार तटवर्ती स्थानों—हल्दिया, प्रादीप, काकीनाडा और विशाखापट्टणम का सर्वेक्षण किया है उनके विचार में इन चारों में से विशाखापट्टणम में कच्चा माल इकट्ठा करने की लागत सबसे कम होगी ।

रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है ।

रेलवे स्टेशनों पर किताबों की दुकानें

*799. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न जोनों में रेलवे स्टेशनों पर किताबों की दुकानों पर कुछ कम्पनियों ने, विशेष रूप से मैसर्स व्हीलर्स एण्ड कम्पनी ने, एकाधिकार कर रखा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत किताबों की दुकानें इस कम्पनी की हैं और अन्य कौनसी कम्पनियों की ऐसी दुकानें हैं ; और

(ग) इन दुकानों पर किताबों के प्रदर्शन तथा विक्रय पर किस प्रकार नियंत्रण रखा जाता है ?

रेलवे मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं ।

(ख) रेलों पर 65 प्रतिशत पुस्तकों की दूकानें मैसर्स व्हीलर एण्ड कम्पनी की हैं । सभा-पटल पर एक बयान रखा है, जिसमें पुस्तकों की दूकानों के अन्य ठेकेदारों के नाम दिये हुए हैं ।

(ग) स्टाल का ठेकेदार मांग के अनुसार पुस्तकें बेचने के लिये स्वतंत्र है, लेकिन अश्लील विषयों पर लिखी गयी पुस्तकों की बिक्री मना है ।

क्रम सं० पुस्तकों की दूकानों के ठेकेदारों के नाम

1. मैसर्स हिग्गिनबाथम्स (प्रा०) लि०
2. मैसर्स स्वदेशमित्रन् (प्रा०) लि०
3. मैसर्स गुलाबसिंह एण्ड सन्स (प्रा०) लि०
4. अखिल भारत सर्व सेवा संघ
5. जलगांव ज़िला सर्व सेवा समिति
6. गीता प्रेस
7. मैसर्स मातृभूमि प्रिंटिंग एण्ड पब्लिशिंग कम्पनी लि०
8. मैसर्स सरस्वती बुक डिपो
9. श्री बी० एस० कुलकर्णी
10. श्री एल० शेषाद्रि
11. मैसर्स ए० के० ब्रदर्स
12. मैसर्स राष्ट्रीय साहित्य मन्दिर कम्पनी
13. श्री जगन्नाथ जोशी
14. मैसर्स भोगी लाल तन्ना
15. मैसर्स के० एम० आग्रेवाल एण्ड सन्स
16. मैसर्स ए० एच० पाण्डया एण्ड सन्स
17. 64 फुटकर ठेकेदार जिनके पास पुस्तकों की एक-एक दुकान है ।

कपड़ा मिलों का बन्द होना

*800. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में बहुत से कपड़ा मिल बन्द कर दिये गये हैं जिसके फलस्वरूप उत्पादन में हानि हुई है और उन मिलों में काम करने वाले मज़दूरों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनूभाई शाह) : देश में अधिकांश सूती कपडा मिल, जिनकी संख्या 560 से अधिक है तथा जिनकी कुल क्षमता 160 लाख तकुए एवं 2.06 लाख करघे की है, सूचारु रूप से कार्य कर रहे हैं और ये 10 लाख कारीगरों को रोजगार दे रहे हैं ।

अत: बन्द होने की समस्या केवल 12 मिलों, जिनमें 2.90 लाख तकुए तथा 4720 करघे और 22,600 कारीगर है, तक ही सीमित हैं । इन मिलों को फिर से चलने योग्य बना देने के सम्बन्ध में सब प्रकार की यथा सम्भव सहायता दी जा रही है जैसे बैंकों से ऋण मिलने की सुविधाओं में उदारता, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की गई गारंटियों पर ऋणों की स्वीकृति आदि ।

2. देश में कपड़ा मिलों के बन्द होने की स्थिति पर सरकार पूरी निगरानी रख रही है । जब कभी आवश्यकता समझी जाती है तो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 15 अन्तर्गत जांच कराई जाती है तथा जांच प्रतिवेदनों के आधार पर उचित मामलों में मिलों को चलाने के लिये अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत अधिकृत नियन्त्रक नियुक्त करके कार्यवाही की जाती है। अधिकृति नियन्त्रकों/अधिकृत मैनेजिंग एजेन्टों के प्रबन्ध के अन्तर्गत इस समय 6 मिल चलाये जा रहे हैं ।

अमृतसर में औद्योगिक संस्थान

***801. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर में सैकड़ों औद्योगिक संस्थान 6 सितम्बर, 1965 से बन्द हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त संस्थानों में मालिकों ने मशीने हटाना तथा मजदूरों की छंटनी करना आरम्भ कर दिया है;

(ग) क्या सरकार ने पंजाब के इस प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र में औद्योगिक संस्थानों के इतने बड़े पैमाने पर और लगातार बन्द रहने के कारणों का पता लगाया है ; और

(घ) स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (घ) : सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5379/65।]**

न्यूयार्क विश्व मेला

***802. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूयार्क विश्व मेले के दो सत्रों में भारतीय मण्डप को क्या वास्तविक लाभ और हानि, सफलता अथवा असफलता हुई,

(ख) क्या इस आधार पर संतुलन-पत्र तयार किया गया है और यदि हां, तो उसका विवरण क्या है,

(ग) क्या भारत निकट भविष्य में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मेलों अथवा प्रदर्शनियों में भाग लेगा,

(घ) यदि हां, तो कहां और कब,

(ङ) क्या सरकार ने कुछ अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों अथवा मेलों में भाग न लेने का निश्चय किया है, और

(च) यदि हां, तो किन में और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (च) : एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया। [देखिए संख्या एल० टी० 5380/65।]

पश्चिम अफ्रीका मे उद्योग

2219. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी अफ्रीका में, वहा के देशों के औद्योगिक विकास में चि लेने वाले देशो के संयोग से वहा उद्योगों की स्थापना करने की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए किसी प्रतिनिधि मंडल को भेजने के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिनिधि मंडल कब तक भेजा जायेगा ; और

(ग) ऐसे उद्योगों का भविष्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ग) : जी, नहीं । हां कुछ विख्यात भारतीय औद्योगिकों के एक औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल ने अक्तूबर-नवम्बर, 1965 में कुछ पश्चिमी अफ्रीको देशों का दौरा, अन्य बातों के साथ यह खोजने के लिए भी किया कि उस क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की सम्भावताएं कितनी है । दौरा किये गय देशों में हुए कार्यक्रम तथा प्रतिनिधि मंडल में सम्मीलित लोगों को प्रकट करने वाले अनुबन्धों की एक एक प्रति संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5381/65।**]

प्रतिनिधि मंडल मध्य नवम्बर, 1965 में ही भारत लौटा है । इस क्षेत्र में भारतीय सहयोग से संयुक्त औद्योगिक उपक्रम स्थापित किये जाने के विषय में, आशा है, प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन में प्रकाश डाला जायेगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैंगनीज का उत्पादन

2220. **श्री मधु लिमये** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद भारत में मैंगनीज का उत्पादन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या जापान जसे देशों को बड़ी मात्रा में मैंगनीज निर्यात करने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं; और

(घ) उनका क्या परिणाम निकला ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : कच्चा मैंगनीज मुख्यत: निर्यात किया जाता है और केवल अंशत: ही वह देशी इस्पात उद्योग में प्रयोग होता है । फलत: कच्चे मैंगनीज़ का उत्पादन मुख्य रूप से निर्यात संभावनाओं पर ही निर्भर करता है । 1961 से 1964 तक मैंगनीज़ का उत्पादन निम्न प्रकार था :

1961 . . .	14,05,000	मीटरी टनों में
1962	16,36,000	,,
1963	13,16,000	,,
1964	14,05,000	,,

(ग) और (घ) : हां, महोदय । इसके फलस्वरूप मिनरल मैटल ट्रेडिंग कारपोरेशन ने 1965-66 कच्चे मैंगनीज़ के 4,54,000 टन का निर्यात जापान को करने के लिए एक समझौता कर लिया है तथा निजी क्षेत्र द्वारा भी 60,000 टन के निर्यात का समझौता हो चुका है ।

उड़ीसा में बारबिल में लो शाफ्ट भट्टी के लिये विदेशी मुद्रा

2221. **श्री प्र० के० देव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलिंग उद्योगों अथवा इसकी किसी साहयक साथीं को बारबिल उड़ीसा में लो शाफ्ट भट्टी लिये, इसके आरम्भ से लेकर अब तक, वर्षवार, कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई है ; और

(ख) उक्त कार्य के लिये कितनी विदेशी मुद्रा का उपयोग किया गया है ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

शोरानूर तथा कोचीन के बीच रेलगाड़ी

2222. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में शोरानूर तथा कोचीन के बीच यात्रा करने में साधारण यात्री रेलगाड़ी को कितना समय लगता है !

(ख) इतनी कम दूरी के लिए अधिक समय लगने के क्या कारण हैं ; और

(ग) रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) इस समय शोरानूर और कोच्चिन हार्बर टर्मिनस के बीच साधारण सवारी गाड़ी से यात्रा में लगभग पांच घंटे, कम से कम चार घंटे 20 मिनट और अधिक से अधिक 5 घंटें 35 मिनट, लगते हैं ।

(ख) चूंकि इस खण्ड में तेज घुमाव के कारण रफ्तार पर पाबन्दी लगी है और इन गाड़ियों में चौपहिये डिब्बे लगाये जाते हैं और ये गाड़ियां प्रायः सभी स्टेशनों पर ठहरती हैं, इन कारणों से इनकी निर्धारित रफ्तार कम है यात्रा में कुल जितना समय रखा गया है वह यातायात, संरक्षा और परिचालन-सम्बन्धी वर्तमान आवश्यकताओं की दृष्टि से न्यूनतम है ।

(ग) सवारी गाड़ियों में चौपहिये डिब्बों की संख्या सीमित करके, इन गाड़ियों को तेज करने की संभावना की जांच की जा रही है ।

Railway Lands

2223. **Shri Rananjai Singh :**
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it has been decided to grow vegetables or foodgrains on the surplus lands available with the Railways ;

(b) if so, when the said decision would be implemented ; and

(c) whether these lands would be cultivated by the Railway Department itself or would be given to some farmers temporarily for growing foodgrains ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, on cultivable lands.

(b) Instructions have been issued. The Railways have been working on these lines already and they are implementing the decisions as far as possible in time for this sowing season.

(c) Railways would not be cultivating themselves. Land in the Station yards would be allotted to the Railway employees, and that along the track to the cultivators for growing vegetables and other crops by direct dealings upto June 1966, as per latest instructions.

दिल्ली के निकट यमुना पर पुल

2224. **श्री लखमू भवानी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजकल दिल्ली के निकट यमुना पर दो नये रेलवे पुल बनाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ये कब बन कर पूरे हो जायेंगे ; और

(ग) ये पुल कैसे हैं (अर्थात् केवल रेलवे पुल हैं अथवा रेल एवं सड़क पुल हैं) तथा इनका पूरा ब्यौरा क्या है और इनके निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) से (ग) : हाल ही में, दिल्ली में पुराने किले के पास यमुना पर एक नया पुल बनाया गया है। यह पुल गाजियाबाद-तुगलकाबाद माल परिहार लाइन परियोजना का एक भाग है। यह रेल और सड़क का मिला-जुला पुल नहीं, बल्कि दोहरी बड़ी लाईन का रेलवे पुल है। इसमें 12×150 फुट के स्पैन लगे हैं और इसके दोनों किनारोंपर पांच-पांच फुट चौड़ी पगडण्डी है। पुल तो पूरा हो चुका है, लेकिन परिहार लाइन योजना से सम्बन्धित दुसरे काम अभी किये जा रहे हैं और आशा है कि पूरी योजना जून, 1966 के अन्त तक खोल दी जायेगी।

भारतीय तम्बाखू संस्था

2225. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय तम्बाकू संस्था से 1965 की वर्जिनिया तम्बाकू की फसल तथा 1966 की सभी किस्मों की फसल के नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : भारतीय तम्बाकू संस्था गुन्टूर से हाल ही में एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें 1964 के न्यूनतम/अधिकतम निर्यात मूल्य से 1964 की फसल के पी० एल० वर्ग के तम्बाकू को न हटाने की सरकार से प्रार्थना की गई थी क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया था कि विदेशी खरीददार 1965 के बाद की तम्बाकू सम्बन्धी फसलों के बारे में भी ऐसी छूटों के लिये दबाव डालेंगे। सरकार ने संस्था को सूचित किया था कि सभी सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 1964 की फसल के० पी० एल० वर्ग तम्बाकू को न्यूनतम मूल्य सूची से हटा दिया गया था। तम्बाकू निर्यात संवद्धन परिषद की प्रशासन समिति की 77 वीं बैठक, जो कि 29 अक्तूबर, 1965 को हुई, में एफ० सी० वी० तम्बाकू की 1966 की फसल के न्यूनतम मूल्यों को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया गया और परिषद् से विस्तृत सुझाव प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

रेलवे डिजायन एण्ड स्टैण्डर्ड आर्गेनाइजेशन, लखनऊ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

2226. **श्री मरंडी :**

श्री उटिया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे डिजायन एण्ड स्टैण्डर्ड आर्गनाईजेशन, लखनऊ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के (एक) स्थायी और (दो) अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(i) अनुसूचित जाति : स्थायी--34

(ii) अनुसूचित आदिम जाति : स्थायी--3

(iii) अनुसूचित जाति : अस्थायी--148

(iv) अनुसूचित आदिम जाति : अस्थायी--5

3 ए० के० और 4 ए० के० पैसेंजर गाड़ियां

2228. **श्री राम हरख यादव :**

श्री मुरली मनोहर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के खेमकरन-अमृतसर सेक्शन पर चलने वाली 3 ए० क० और 4 ए० क० पैसेंजर गाड़ियों के समय में हाल में परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो नये समय का ब्योरा क्या है; और

(ग) हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान इस क्षेत्र के निवासियों को हुई भारी परेशानी को ध्यान में रखते हुए समय बदलने के क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) से (ग) : 1-10-1965 से अमृतसर और घरयाला के बीच चलने वाली 3 ए० के० अप/ 4 ए० के० डाउन सवारी गाड़ियों का चालन-क्षेत्र जनता की मांग पर 11-10-65 से बलटोहा तक बढ़ा दिया गया है ।

4 ए० के० डाउन सवारी गाड़ी के समय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन जिस तारीख से 3 ए० के० सवारी गाड़ी का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया है, उसी तारीख से, परिचालन-सम्बन्धी कारणों से, बलटोहा और घरयाला के बीच इसका समय बदल दिया गया है । अब 3 ए० के० अप सवारी गाड़ी बलटोहा से 13.00 बजे छूटती है और 13.40 बजे घरयाला पहुंचती है । घरयाला से आगे यह गाड़ी 1-10-1965 से लागू समय सारणी में दिये गये समय के अनुसार चलती है ।

श्रीकाकुलम अमुदालावत्सा रेल सम्पर्क

2229. **श्री सत्य नारायण :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जंगल से काटी गई इमारती लकड़ी को देश के अन्य भागों को भेजना सुविधाजनक बनाने के लिये श्रीकाकुलम के जिला मुख्यालय को सात मील की दूरी पर स्थित अमुदालावत्सा (दक्षिण पूर्व रेलवे) से मिलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

कच्ची फिल्म उद्योग

2230. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन राज्यों में कच्ची फिल्म उद्योग कार्य कर रहे है;

(ख) 1964–65 में कितनी कच्ची फिल्मों का उत्पादन हुआ और क्या भारत इस सम्बन्ध में स्वावलम्बी है ;

(ग) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्र से मैसूर राज्य में एक कच्ची फिल्म का औद्योगिक कारखाना स्थापित करने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : कच्ची फिल्में बनाने के लिये केवल एक योजना मेसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि० ऊटाकमंड मद्रास राज्य (केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। 1966 में जब देश की आवश्यकता का भाग इससे पूरा होने लगेगा तो इसके उत्पादन को नियमित सुरक्षण प्रदान किया जायेगा। इसी बीच कच्ची फिल्मों की आवश्यकता को आयात के द्वारा पूरा किया जाएगा।

(ग) तथा (घ) : जी, नहीं, लेकिन मैसूर सरकार ने अपनी "मैसूर एसिटेट एण्ड कैमिकल्स कम्पनी" में रंगीन फिल्में तथा एक्स रे का उत्पादन करने की सम्भावनाओं के लिये केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया है। उन्हें सूचित कर दिया गया है कि एच० पी० एफ० द्वारा इन वस्तुओं को अपने उत्पादन कार्यक्रम में शामिल कर लिए जाने के कारण मैसूर के कारखाने को इनका उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं है।

Export and Import of Films

2231. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of Indian films exported and the number of foreign films shown in the cinemas throughout the country during the current your so far; and

(b) the amount of foreign exchange earned by India through export of films ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) Information regarding export of films is available in terms of metres and not number of films exported. The total length of Indian films exported during January-August, 1965, for which figures are available was 39, 36,097 metres. The total numbers of imported features and shorts certified by the Central Board of Film Censors during the period 1st January, 1965 to 5th November, 1965 were 167 and 1111 respectively.

(b) The value of films exported during April-August, 1965 was of the order of Rs. 74·05 lakhs.

आयात लाइसेंस का जारी किया जाना

2232. श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 15 अगस्त, 1947 से 15 अगस्त, 1965 के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के मंत्रियों के रिस्तेदारों की निम्नलिखित श्रेणियों को आयात लाइसेंसों के जारी किये जाने के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है : ।

(एक) पुत्र तथा पुत्रियां; (दो) दामाद तथा पुत्रों की पत्नियां; (तीन) भाई; (चार) माता पिता; (पांच) भतीजे भतीजियां तथा भांजे भांजियां; और (छः) पत्नियां; और

(ख) यदि हां, तो उस अध्ययन का क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

औद्योगिक लाइसेंसों का जारी किया जाना

2233. श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 15 अगस्त, 1947 से 15 अगस्त, 1965 के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के मंत्रियों के रिस्तेदारों की निम्नलिखित श्रेणियों को औद्योगिक लाईसेंसों के जारी किये जाने के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है :

(एक) पुत्र और पुत्रियां; (दो) दामाद तथा पुत्रों की पत्नियां; (तीन) भाई; (चार) माता पिता; (पांच) भतीजे भतीजियां तथा भांजे भांजियां; और (छः) पत्नियां; और

(ख) यदि हां, तो उस अध्ययन का क्या परिणाम निकला ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) औद्योगिक उपक्रमों के 1952 के नियमों के अन्तर्गत उद्योगों के रजिस्ट्रेशन तथा लाईसेंसीकरण के लिये प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी के लिए केन्द्र या राज्य के किसी मंत्री से अपने सम्बन्ध के बारे में जानकारी देना आवश्यक नहीं है। अतः अपेक्षित जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है तथा इस बारे में कोई अध्ययन भी नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

Express Train on the Jhansi-Manikpur Section

2234. Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the reasons for postponing the introduction of the proposed Express Train on the Jhansi-Manikpur section of the Central Railway;

(b) whether Government are aware that lot of passenger traffic in Jhansi Division is shifting to road transport on account of the non-availability of Express train on this section; and

(c) whether Government propose to introduce any Express Train atleast on an experimental basis to assess its utility ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) There has been no proposal to introduce an Express Train on the Jhansi-Manikpur section. The existing services were, however, accelerated by 1 hour to 1 hour 45 minutes from 1-10-64.

(b) It is not correct that a lot of passenger traffic in Jhansi Division is shifting to road transport because of non-availability of an Express train on the Jhansi-Manikpur Section.

(c) As the existing services meet adequately the requirements of traffic, there is no proposal to introduce an Express Train on the section even as an experimental measure.

Threat to Railway Guard on Kanpur-Banda Section (C. Rly.)

2235. Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 25th September, 1965, some students of Maudaha stopped the 112-Up Passenger train by pulling its alarm chain between Ragaul and Akona stations on the Kanpur-Banda Section of the Central Railway;

(b) whether it is also a fact that those students posed a threat to the life of the Guard of the said train;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the action taken by Government against those students ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The Guard questioned the students 3 days earlier for unauthorised pulling of alarm chain and this appears to have annoyed the students.

(d) The matter has already been taken up with the educational authorities to deal with the students concerned in the affair. Besides this, the Government Railway Police have been alerted. The Senior Superintendent of Police, Kanpur as well as Superintendent of Police, Hamirpur have also been requested for taking precautionary measures.

Manufacture of Machines for making Ice Flakes

2236. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state:

(a) whether any machine has been invented by the Central Machanised Engineering Research Institute, Durgapur for making ice flakes; and

(b) if so, whether this machine is being manufactured in any unit on a commercial scale and the cost of this machine ?

The Minister of Industry in the Ministry of Industry & Supply (Shri T. N. Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. The prices range between Rs. 52,000 to Rs. 2,60,150 depending upon the capacities of the machine varying between 3 ton and 30 ton.

इलायची सम्बन्धी संविहित बोर्ड

2237. **डा० सरोजिनी महिषी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची संबंधी एक संविहित बोर्ड बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका मुख्य कार्यालय स्थापित करने के लिये कौन सा स्थान चुना गया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में म्हैसूर राज्य को मुख्य स्थिति पर विचार किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) इलायची बोर्ड का मुख्य कार्यालय, एर्नाकुलम में रहेगा। इसका स्थान निश्चित करने में सम्बद्ध तथ्यों, जैसे कि इलायची पैदा करनेवाले राज्यों में इसका क्षेत्रफल और इसके उत्पादन पर उचित रूप से विचार किया गया है।

"मैसूर प्रिंसेस" नामक रेशम

2238. **डा० सरोजिनी महिषी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर प्रिंसेस नामक मलबैरी रेशम की किस्म की जिसकी मैसूर में खोज की गई है ; विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान तथा प्रक्षिण संस्था, मैसूर में विकसित की गई रेशम के कीड़ों की नई जाति पर इस समय क्षेत्रीय परीक्षण हो रहा है। एक विशेषज्ञ समिति क्षेत्रीय परीक्षणों का मार्गदर्शन कर रही है जिन्हें नई जाति की वाणिज्यिक सम्भावनाओं के ठीक ठीक मूल्यांकन के लिए किया जा रहा है। इसका भावी विकास इस समय किये जाने वाले क्षेत्रीय परीक्षणों के परिणाम पर निर्भर रहेगा।

रेलवे में कमर्शियल क्लार्कों के पदों का ग्रैड बढ़ाना

2239. **श्री गुलशन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने सभी रेलों पर प्रतिशतता के आधार पर विभिन्न ग्रेडों में कमर्शियल क्लर्कों के पदों के ग्रेड बढाने के लिये नवम्बर, 1965 में आदेश जारी किये थे ;

(ख) यदि हां, तो इन आदेशों का पालन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ रेलों में इन आदेशों पर अमल किया जा चुका है और दूसरी रेलों में अमल किया जा रहा है।

(ग) इन आदेशों पर अमल करने में विलम्ब का कारण यह है कि जिन कर्मचारियों की पदोन्नति होनी है, उनकी उपयुक्तता-परीक्षा लेनी है तथा उनका चुनाव किया जाना है तथा क्रमोन्नत पदों में उनका वेतन निर्धारित किया जाना है। यह काम भी किया जा रहा है।

इस्पात और खान के लिये विदेशी मुद्रा

2240. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के लिये उनके मंत्रालय की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं पर पुनर्विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पुनर्विचार किन मुख्य बातों पर किया गया है ; और

(ग) इसका क्या परिणाम निकला ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं कारखानों से मंगाए गए विस्तृत प्रस्तावों के आधार पर आंकी जाती हैं। कारखाना वलन, उष्मसह, टिन तांब आदि की आवश्यकताओं तथा हस्तगत स्टाक को ध्यान में रखते हैं।

विदेशी मुद्रा की नाजुक हालत के कारण उपर्युक्त बताई गई आवश्यकताओं पर समय समय पर पुनर्विचार किया गया है जिससे सीमित मात्रा में उपलब्ध विदेशी मुद्रा से कारखानों की आवश्यकताएं जहां तक हो सके अधिक से अधिक मात्रा में पूरी की जा सक। अधिक से अधिक देशीय सामान का उपयोग करने के लिए भी प्रयत्न किए गए हैं।

काकीनाडा (आन्ध्र प्रदेश) में कच्चे लोहे का कारखाना

2241. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में काकीनाडा में गैर सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे का एक कारखाना खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या होगी ;

(ग) इस पर कितना खर्च होगा और इसके लिये विदेशी सहयोग का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कारखाना कब खोला जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

खली उद्योग

2242. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कपूर सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन खली उद्योगों ने चालू वर्ष में अपने उत्पादन की निर्यात किया उनको सरकार ने क्या क्या सहायता दी;

(ख) 1965 में अब तक कुल कितनों खली का निर्यात किया गया है; और

(ग) इससे यदि विदेशी मुद्रा मिली है, तो कितनी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) सरकार खलों निर्यातकों को प्रोत्साहन दान कर उनकी सहायता कर रही है और इस समय ये नीचे बताये अनुसार दिये जा रहे हैं :—

(1) **मूंगफली की तेलरहित खली** : तेलरहित खलों के निर्यात उनके द्वारा किय गये निर्यात के जहाज तक निःशुल्क मूल्य के 1 प्र० श० भाग तक के लिये आयात लाइसेंस पाने के हकदार है जबकि फालतू हिस्से, मशीनों और रसायन के आयात के लिये होंगे। इसके अतिरिक्त, उनके लिए 2 प्र० श० का कर-ऋण भी उपलब्ध होगा।

(2) **अलसी की तेलरहित खली** : निर्यातक उनके द्वारा किये गये निर्यात के जहाज तक निःशुल्क मूल्य के 10 प्र० श० भाग तक के लिये नारियल/ताड़ तेल का आयात करने के आयात लाइसेंस पाने के हकदार होंगे।

(3) **नारियल तेल खली** : (रोटेरी अथवा एक्सपैलर द्वारा उत्पादित) निर्यातक उनके द्वारा किये गये निर्यात जहाज तक निःशुल्क मूल्य के 75 प्र० श० भाग तक के लिय नारियल/ताड़ तेल के आयात लाइसेंस पाने के हकदार होंगे।

(4) **छिलका रहित बिनौलो की खली** : निर्यातक उनके द्वारा किये गये 3.5 मी० टन खली के निर्यात पर 1 मी० टन नारियल के आयात लाइसेंस पाने के हकदार होंगे।

(ख) और (ग) : 1965 में (अगस्त तक) कुल 621,188 मी० टन जिसका मूल्य 2,632 लाख रु० था, का निर्यात किया गया है।

सिले हुए कपड़ों का निर्यात

2243. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन देशों में भारत में सिले हुये कपड़ों की बहुत मांग है;

(ख) 1963–64, 1964-65 तथा 1965-66 में अब तक कितने मूल्य का निर्यात हुआ है; और

(ग) क्या इस बात का पता लगाया गया है कि सिले हुये कपड़ों का निर्यात किन-किन देशों को हो सकता है?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : सिले हुए भारतीय कपड़ों के मुख्य बाजार संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत रूस, ब्रिटेन, वेस्ट इण्डीज़, मलाया, सिंगापुर, मध्य-पूर्व और अफ्रीकी देश हैं। 1963–64, 1964-65 और 1965-66 में सिले हुए कपड़ों के निर्यात मूल्य इस प्रकार रहे हैं :—

	(लाख रु० में)
1963-64	292.85
1964-65	276.08
1965-66 (अप्रैल-अगस्त 1965)	124.46 (जब कि अप्रैल-अगस्त 1964 में यह 90.36 लाख रु० का हुआ था)

सिले हुए कपड़ों का निर्यात करने के लिये जिन नये देशों की खोज की गई है वे पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र में हैं जहां हाल में ही कपड़े बनाने वालों का एक प्रतिनिधि मण्डल गया था।

कुतुब रोड, पुल, दिल्ली

2244. **श्री शिव चरण गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुतुब रोड पुल को चौड़ा करने के काम में एक गैर-सरकारी व्यक्ति द्वारा न्यायालय से व्यादेश प्राप्त करने के कारण विलंब हो रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह व्यादेश कई वर्षों से अनिर्णित पड़ा है; और

(ग) न्यायालय द्वारा इस मामले में निर्णय देने में विलंब करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : पुल चौड़ा करने का काम रेलवे को करना था और यह काम जुलाई, 1957 में ही पूरा हो गया। लेकिन पुल के पहुंच-मार्गों को चौड़ा करने का काम दिल्ली-प्रशासन को करना है। पहुंच-मार्गों को चौड़ा करने के सिलसिले में कुछ लोगों को रेलवे की जमीन से हटाना है जिस पर उन्होंने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। इसके लिए दिल्ली प्रशासन ने दीवानी अदालत में मुकदमा दायर कर रखा है।

(ग) रेलवे को यह नहीं मालूम है कि किन कारणों से अदालत के निर्णय में देरी हो रही है।

टीन की धातु की कमी

2245. **श्री बृजराज सिंह :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री गोकरन प्रसाद :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टीन की धातु के न मिलने के कारण जमशेदपुर स्थित ब्रिटिश टिनप्लेट कम्पनी के 4,500 कर्मचारियों को 18 अक्तूबर, 1965 से जबरी छुट्टी दे दी गई है, और

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी के बंद विभागों को दोबारा चालू करने और टीन की धातु की कमी को पुरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) गोलमुरी में टिनप्लेट कम्पनी के कारखाने में ब्लाक टिन का स्टाक कम हो जाने के कारण 18 अक्तुबर, 1965 की सुबह से 1068 श्रमिकों को काम से हटा दिया गया। इस महीने के तीसरे सप्ताह से 1651 और श्रमिकों को काम से हटाये जाने की आशंका है।

(ख) टिनप्लेट के उत्पादन में ब्लाक टिन एक आवश्यक कच्ची सामग्री है। इसे मलेशिया अथवा संयुक्त राज्य अमरीका से आयात किया जाता है। मलेशिया से ब्लाक टिन मंगवाने के लिए उन्मुक्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है और संयुक्त राज्य अमरीका से इसका आयात करने के लिए यू० एस० एड के अन्तर्गत उपलब्ध किए गए ऋण का उपयोग करना पड़ता है। विदेशी मुद्रा की वर्तमान स्थिति में टिनप्लेट कम्पनी की उन्मुक्त विदेशी मुद्रा बहुत कम मात्रा में उपलब्ध की जा सकती थी। यू० एस० एड नान प्राजेक्ट ऋण के अन्तर्गत किये गये आवंटन प्रवर्तनशून्य रहे क्योंकि अभी तक अन्तिम रूप से ऋण का प्रबन्ध नहीं हुआ है। जब तक विदेशी मुद्रा कार्यसाधक रूप में उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कुछ नहीं किया जा सकता। हाल में टिनप्लेट कम्पनी को स्क्रेप के निर्यातकों द्वारा उपार्जित 20 लाख रुपए की उन्मुक्त विदेशी मुद्रा का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

टेनिस की गेंदों का निर्माण

2246. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में निर्मित टेनिस की गेंदें कम मिल रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) भारत सरकार को इस प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Ticket Examiners

2247. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Ticket Examiners on being sued by ticketless travellers detected by them, have to arrange their defence in the law courts at their own expense instead of such arrangements being made departmentally; and

(b) if so, the reasons therefor, considering that such cases should be defended by Government themselves ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). Defence of the Ticket Examiners is arranged by the Government on consideration of the circumstances and merits of each case. In those cases in which Ticket Examiners arrange their defence at their own cost, the question of re-imbursement of legal expenses is considered on merits of each case after the conclusion of the cases in their favour.

Night Duty and Mileage Allowances to Ticket Examiners on the Western Railway

2248. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Railways** be plaesed to state :

(a) Whether it is a fact that the Night Duty and Mileage Allowances is not being paid to the Ticket Examiners on the Western Railways; and

(b) if so, the reasons therefor considering that other employees in the same category are paid the night duty allowance ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). The T.T.Es are not eligible for night duty allowance and mileage allowance. The question of payment of these allowances on Western Railway or any other Railway does not arise.

Quarters for Ticket Examiners

2249. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Ticket Examiners on all the Zonal Railways who have been allotted Government quarters so far;

(b) the number who have not been allotted Government quarters;

(c) the number of those who neither have their own houses nor they have been allotted Government accommodation; and

(d) the reasons therefor?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) 1504.

(b) 5559.

(c) 4786.

(d) Non-availability of sufficient number of quarters.

इंडियन आक्सीजन लिमिटेड, कलकत्ता

2250. श्री मुहम्मद इलियास :

श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स इंडियन आक्सीजम लिमिटेड, कलकत्ता को अभी तक कितने प्रकार के लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) किन किन निर्माताओं को इसी प्रकार के लाइसेंस दिए गये हैं ;

(ग) क्या इन निर्माताओं ने इन लाइसेंसों का पूरी तौर से उपयोग किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री वि० ना० सिंह) : (क) मेसर्स इंडियन आक्सीजन लि० कलकत्ता को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक गैसों जैसे, आक्सीजन, घुली एसीटिलीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रस आक्साइड, आर्गोन तथा वेल्डिंग इलैक्ट्रोड्स, बिजली का वैल्डिंग का सामान, गैस वैल्डिंग और कटाई करने का सामान, टार्च तथा वाल्व इत्यादि के उत्पादन के लिए लाइसेंस दिए गए हैं।

(ख) एक विवरण नत्थी किया जाता हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5382/65 ।]**

(ग) सभी मामलों में नहीं ।

(घ) आयात होने वाले सामान के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा के लिए इंतजाम करने और सहयोग की शर्तों आदि के कारण कुछ योजनाएं क्रियान्वन के विभिन्न चरणों में हैं। सरकार इन फर्मों को अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उस समय सभी सम्भव सहायता देती है जब इनकी समस्याएं उसके सामने आएं ।

दाहक साधित्र

2251. श्री स० चं० सामन्त :

श्री सुबोध हंसदा :

श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात कारखानों में नया दाहक उपकरण तयार करने अथवा वर्तमान ईंधन दाहक साधित्र में सुधार करने के सम्बन्ध में किये गये अनुसन्धान का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यदि अब तक इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन नहीं किया गया, तो क्या सरकार का विचार यह कार्य केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान अथवा ईंधन दक्षता सेवाओं को सौंपने का है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बायलरों का निर्माण

2252. श्री हिम्मतसिंहका :

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 30 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2872 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 200 मेगावाट और उससे अधिक की क्षमता वाले बड़े तापीय बायलरों के निर्माण के लिये एक नया एकक स्थापित करने के लिये संभाव्यता अध्ययनों का काम जिस अमरीकी फर्म को सौंपा गया था उससे सरकार को कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) चतुर्थ योजना अवधि के अन्त तक कितनी अनुमानित क्षमता उपलब्ध होगी तथा बायलरों की अनुमानित मांग क्या होगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री वि० ना० सिंह) : (क) जी, नहीं। अमरीकी फर्म के साथ अभी एक करार किया जाने को है ।

(ख) देश म 1970-71 तक तैयार किये जाने वाले तापीय विद्युत उपकरण के अनुरूप बायलरों की आवश्यकता का अनुमान 21 लाख किलोवाट लगाया गया है और विद्यमान एककों से उस समय 10 लाख 25 हजार किलोवाट क्षमता उपलब्ध हो सकेगी । तिरुचिरापल्लि स्थित बायलर एकक का यथाशीघ्र विस्तार करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है । यहां विस्तार हो जाने के पश्चात् 25 लाख किलोवाट क्षमता उपलब्ध हो जायेगी ।

रेलवे लाइन के आस पास की भूमि

2253. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे ने पूर्वोत्तर रेल्वे की लाइनों के आसपास की तथा इसी रेलवे के स्टेशनों के निकट की हजारों एकड़ भूमि या तो रेलवे कर्मचारियों को अथवा बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों को खाद्यान्न उत्पादन की योजना के अन्तर्गत फसल उगाने के लिए दी है ; और

(ख) यदि हां, तो यह भूमि कितने एकड़ है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अन्न की उपज बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे की 16150 एकड़ जमीन राज्य सरकारों को सौंप दी गयी है और 3500 एकड़ ज़मीन रेल कर्मचारियों को दे दी गयी है । रेल-प्रशासनों को हिदायत दी गयी है कि खेती लायक जो बाकी ज़मीन है, उसमें भी चालू वर्ष में जहां तक संभव हो, खेती शुरू कर दी जाये ।

उर्वरक कारखाना, रूरकेला

2254. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धूलेश्वर मीना :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला उर्वरक कारखाने का उत्पादन हाल में ही कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : जी, नहीं । इसके विपरीत कैलसियम एमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन बढ़ा है जैसा कि नीचे दिखाया गया है :—

	टन
1962-63 (नवम्बर 1962 से मार्च 1963 तक) . . .	40,000
1963-64	120,000
1964-65	181,000
1965-66 (अप्रैल से अक्तूबर 1965 तक) . . .	108,000

राउरकेला उर्वरक कारखाने का रूपांकन इस प्रकार किया गया है जिससे यह कारखाना चार स्ट्रीमों में प्रतिवर्ष 5,80,000 टन कैलसियम एमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन कर सके । इस्पात कारखाने से कोक ओवन गैस की अपर्याप्त सप्लाई मिलने के कारण यह कारखाना अभी केवल दो स्ट्रीमों पर ही काम करता है । रिपोर्ट में बताई गई मात्रा से इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम है और कार्बन डाइक्साआइड की मात्रा अधिक है । हाल ही में एक विशेषज्ञ-समिति ने इस बातकी जांच की है । इस समिति के अध्यक्ष विज्ञान-उद्योग-अनुसंधान परिषद के महा निदेशक डा० हुसैन जहीर थे । सरकार ने और हिन्दुस्तान स्टील लि० ने समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है । प्रत्युप्यायों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और आवश्यक संयंत्र और उपकरणों के लिए शीघ्र ही आर्डर दे दिए जाएंगे ।

Misuse of Railway Passes

2255. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether some cases about the misuse of the First Class Complimentary Railway Passes have been detected recently ;

(b) whether it is a fact that some persons misuse their position and exercise pressure on the Railway employees to permit their friends and relatives to perform journeys on such complimentary passes without purchasing tickets ; and

(c) if so, the steps taken by Government in the matter to stop such malpractices ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, four only.

(b) No such cases have come to notice.

(c) There are regular ticket checking staff and also special Squads to check tickets and passes on all Railways.

Export of Textile Goods to East African Countries

2256. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the East African countries have discontinued purchasing Indian textile goods ;

(b) if so, the quantity that was being exported to those countries per year ; and

(c) the loss suffered by us on that account ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) to (c). East African countries continue to purchase cotton textiles from India. The quantity of cotton piecegoods and cotton yarn exported to East Africa from 1963-64 is as follows :—

	Cotton Piece-goods (in lakh metres)	Cotton Yarn (in lakh kilograms)
1963-64	464·46	6·88
1964-65	366·04	4·33
1965-66 (April-August, 1965) . .	120·02	2·26

The decline in the export of cotton textiles to East Africa is due to the keen competition from other exporting countries, and increase in the indigenous production of cotton textiles in East Africa. There are, however, good prospects of our textile exports to this region going up during the next few months.

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची

2257. श्री प्र० कु० घोष :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री सोलंकी :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, रांची द्वारा आरम्भ की गई मल निकास योजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ख) क्या इस मल को कृषि के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस गन्दगी और मल के प्रयोग के लिये राज्य सरकार से सहयोग करने के लिये कोई प्रयत्न किये गये है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) 86 लाख रु०।

(ख) जी हां, आठ महीनों के दौरान जब बरसात नहीं होती।

(ग) राज्य सरकार के सहयोग से 100 एकड़ का एक आदर्श फार्म स्थापित करने की एक योजना की जांच की जा रही है।

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची

2258. श्री प्र० कु० घोष :
श्री सोलंकी :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची द्वारा रांची में इसकी परियोजनाओं के लिये कुल कितने एकड़ भूमि प्राप्त की गई है ;

(ख) इसमें से कुल कितने एकड़ भूमि कारखाने, स्टोर और कार्यालय की इमारतों तथा नगरबस्ती के रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण के लिये प्रयोग में लाई गई है; और

(ग) अब तक कुल कितने एकड़ भूमि बिना प्रयोग की हुई पड़ी है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) 6,885 एकड़।

(ख) 4,390 एकड़ ।

(ग) 2,495 एकड़ ।

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची

2259. **श्री गुलशन :**
श्री सोलंकी :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इंजीनियरिंग निगम में विभिन्न राज्य सरकारों के कितने प्रतिनियुक्त व्यक्ति काम कर रहे हैं ;

(ख) भारी इंजीनियरिंग निगम द्वारा ये व्यक्ति कितने समय तक रखे जायेंगे, और

(ग) नियमित कर्मचारियों को जो भत्ते आदि दिये जाते हैं उनके अतिरिक्त इन प्रतिनियुक्त व्यक्तियों की निगम द्वारा प्रतिनियुक्ति भत्तों तथा अन्य भत्तों का कुल कितनी राशि प्रति वर्ष दी जाती है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) 338।

(ख) प्रतिनियुक्ति की अवधि अलग अलग मामलों में अलग अलग होती है तथा निगम की आवश्यकताओं की अपेक्षाओं पर निर्भर करती है। यह अवधि उसी अवस्था में बढ़ाई जाती है जबकि कार्य के हित में प्रतिनियुक्त कर्मचारी के स्थान पर कोई अन्य उपलब्ध न हो।

(ग) 292 प्रतिनियुक्त व्यक्तियों ने निगम के वेतनमान में काम करना आरम्भ कर दिया है तथा उन्हें वेतन और भत्ता निगम के नियमित कर्मचारियों के समान ही दिया जाता है। अन्य 6 प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को 24,336 रु० वार्षिक प्रतिनियुक्ति भत्ते के रूप में दिये जाते हैं।

Textile Workers in Madhya Pradesh

2260. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have asked the Government of Madhya Pradesh to provide alternative jobs to those textile workers in the State who have been rendered unemployed due to the fall in the production of cotton ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) and (b). There have been no reports of unemployment of textile workers in Madhya Pradesh because of any fall in the production of cotton ; and the question of providing alternative jobs does not arise.

चार पहियों वाले वैगन

2261. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ब० कु० दास :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिन में पांच घंटे लदान करने का वर्तमान प्रतिबन्ध, विशेषतया चार पहियों वाले वैगनों में, कुछ ढीला कर दिया है क्योंकि कोयले का सन्तोषजनक रूप से लदान करने में यह समय बहुत अपर्याप्त पाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : 1 फरवरी, 1963 से पहले सभी किस्म के मालडिब्बों में कोयले के लदान के लिये पांच घंटे की समय-छूट दी जाती थी। व्यापारियों की ओर से अभ्यावेदन मिलने पर, 1 फरवरी, 1963 से एक ही समय 20 या इससे अधिक बाक्स मालडिब्बों के लदान के लिये समय-छूट बढ़ाकर दस घंटे कर दी गयी । बाद में 17 फरवरी, 1964 से 11 से लेकर 19 बाक्स मालडिब्बों के सामूहिक लदान के लिये सात घंटे की समय-छूट दी गयी ।

चौपहिए मालडिब्बों के लिये पांच घंटे की ही समय-छूट दी जा रही है ।

इसमें किसी प्रकार की और रियायत करने का विचार नहीं है ।

रूस से व्यापार करार

2262. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **वाणिज्य** मंत्री 19 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 332 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस से वह व्यापार करार कर लिया है जिसके लिए व्यापार शिष्टमंडल हाल में ही भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : जी, अभी नहीं। रूसी व्यापार शिष्टमंडल जोकि इस समय यहीं है, के साथ सहमति प्राप्त अनुसूचि के अनुसार व्यापारिक बातचीत चल रही है और इसके शीघ्र समाप्त हो जाने की आशा है ।

डीजल के इंजन

2263. **श्री ब० कु० दास :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विदेशों से डीजल के आयात की अनिश्चित संभावनाओं के तथा विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति के कारण रेलवे बोर्ड अभी भी अपने पहले निर्णय को मानता है कि 1970–71 तक भाप के इंजन समाप्त कर दिये जायेंगे और उनके स्थान पर डीज़ल इंजन चलाये जायेंगे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : एक बयान नत्थी है ।

विवरण

रेलवे बोर्ड ने इस तरह का कोई निश्चय नहीं किया है कि 1970–71 तक भाप के रेल इंजनों को पूरी तरह हटाकर उनकी जगह डीज़ल रेल इंजनों का इस्तेमाल किया जाये। इस सम्बन्ध में 20 नवम्बर, 1964 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न 101 का जो उत्तर दिया गया था, उसका उद्धरण नीचे दिया गया है :—

"(ग) और (घ) : अभी से यह बताना संभव नहीं है कि चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में भाप रेलइंजनों का निर्माण पूरी तरह बन्द करके उनकी जगह बिजली रेल इंजनों का निर्माण कब से शुरू किया जा सकेगा। फिर भी, ऐसी संभावना है कि जब और जैसे भारतीय रेलें :

(1) अपने लिए तथा अन्य वांछित और उपयुक्त प्रयोजनों के लिये, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में बिजली रेल इंजनों के उत्पादन की सुविधायें जुटा लेंगी ; और

(2) अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपेक्षित स्तर तक बिजली और डीज़ल रेल इंजनों का उत्पादन बढ़ा लेंगी ;

तब चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में भाप रेल इंजनों का निर्माण धीरे-धीरे बन्द कर दिया जायेगा।"

ऊपर जो स्थिति बताई गयी है उसमें कोई खास काम नहीं पड़ा है और रेल प्रशासन चाहता है कि चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में बिजली रेल इंजन के उत्पादन के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही भाप रेल इंजनों का उत्पादन धीरे-धीरे कई चरणों में बन्द किया जाये।

रेलों के पास इस समय लगभग 10,800 भाप के रेल इंजन हैं, जिनमें से लगभग 2,900 इंजन 40 वर्ष से ऊपर काम कर चुके हैं। यदि पुराने और बेकार इंजनों को छोड़ दिया दिया जाये, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में रेलों के पास 9,800 चालू भाप रेल इंजन बच रहेंगे और उस समय भी भाप डीज़ल और बिजली के कुल मिलाकर जितने रेल इंजन उपलब्ध होंगे, उनमें भाप रेल इंजनों का समानुपात बहुत अधिक होगा। किसी भाप रेल इंजन का इस्तेमाल तब तक बन्द नहीं किया जा रहा है या उसकी जगह डीज़ल या बिजली रेल इंजन तब तक नहीं चलाया जा रहा है, जब तक उपयोगिता और आर्थिक दृष्टि से वह बिल्कुल बेकार नहीं हो जाता।

जहां तक रेलों द्वारा डीज़ल तेल के इस्तेमाल का सम्बन्ध है, अनुमान है कि रेलों के महत्वपूर्ण मार्गों पर डीज़ल इंजन से गाड़ी चलाने के फलस्वरूप चौथी योजना के अन्त में रेलों को प्रतिवर्ष केवल 6.5 लाख मीटरिक टन डीज़ल तेल की जरूरत होगी जबकि उस वर्ष भारत के सभी तेल शोधक कारखानों में कुल लगभग 47 लाख मीटरिक टन डीज़ल तेल उपलब्ध होने की आशा है और रेलों की यह ज़रूरत उस समय उपलब्ध कुछ डीज़ल तेल का केवल 14 प्रतिशत होगी। इस तरह डीज़ल तेल सम्बन्धी रेलवे की मांग देश की डीज़ल तेल सम्बन्धी कुल मांग का अंशमात्र है।

साहिबगंज लूप तक बड़ी लाइन निकालना

2264. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि मनिहारी घाट होकर पूर्व रेलवे के साहिबगंज लूप तक पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लिये दूसरी बड़ी लाइन निकाली जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या निर्णय है ; और

(ग) प्रस्तावित योजना का अनुमानित व्यय क्या होगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता।

बेबी फूड का आयात

2265. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अब तक विदेशों से बेबी फूड का आयात करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिये कितनी कम्पनियों ने आवेदन पत्र दिये हैं ; और

(ख) ये लाइसेंस किन कम्पनियों को दिये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) चालू लाइसेंस अवधि में 13 नवम्बर, 1965 तक "बेबी फूड" का आयात करने के लिये कोई आवेदन पत्र नहीं मिला है। दुग्ध-चूर्ण और घनीभूत दुग्ध जिसमें शिशुओं को दिया जाने वाला भी शामिल है का आयात करने के लिये गोआ की 79 पार्टियों से विशेष लाइसेंस दिये जाने के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ख) जिन पार्टियों को विशेष लाइसेंस दिये गये हैं उनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 5383/65 ।]**

स्कूटरों का निर्माण

2266. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **उ ोग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने 60,000 स्कूटर वार्षिक क्षमता से स्कूटरों का निर्माण करने के हेतु औद्योगिक लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव ी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी , हां ।

(ख) हैदराबाद में एक विदेशी पार्टी के सहयोग से एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है । इसमें पूंजीगत उपकरणों का आयात करने के लिये 2 . 5 करोड़ रुपये की तथा पुर्जों और कच्चे माल का आयात करने के लिये प्रतिवर्ष लग ग 1 करोड़ की विदेशों मुद्रा खर्च होगी ।

फरक्का खजूरिया घाट नौका यातायात सेवा

2267. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री प्र० चं० बरूआ : **श्री वारियर :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर सिलीगुड़ी के जोगीघोपा के बीच माल यातायात के लिये बड़ी लाइन के खुल जाने से इस लाइन पर प्रति दिन 1000 माल डिब्बे अधिक सामान ढोया जा सकेगा और क्या फरक्का खजूरियाघाट नौका यातायात सेवा इतने बड़ यातायात के भार को संभाल सकेगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो गंगा नदी पर माल की ढुलाई के लिये क्या वैकल्पिक प्रबन्ध करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) अभी हाल में ही फरक्का-खजुरियाघाट फेरी की क्षमता प्रतिदिन बड़ी लाइन के 250 माल डिब्बा प्रतिदिन से बढ़ाकर 400 माल डिब्बा कर दी गयी है । जब फरक्का बांध और उसके ऊपर सीधा रेल-सम्पर्क बन कर तैयार हो जायेगा, तो प्रतिदिन बड़ी लाइन के लगभग 600 माल डिब्बे दोनों ओर से भेजे जा सकेंगे। यह क्षमता यात्री यातायात के अतिरिक्त होगी ।

(ख) बंगाईगांव-गौहाटी खंड पर केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण की व्यवस्था कर के मीटर लाइन की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। मीटर लाइन की इस क्षमता के साथ 400 माल-डिब्बा प्रतिदिन की यह बढ़ी हुई नौका परिवहन क्षमता लगभग पूरी तौर से चौथी पंचवर्षीय योजना की परिवहन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त समझी जाती है। बांध और उसके ऊपर रेल-सम्पर्क का काम पूरा हो जाने के बाद, जब अन्त में 600 माल डिब्बों की क्षमता उपलब्ध हो जायेगी तो उससे स्थिति में और भी सुधार होगा। इसलिये, वैकल्पिक प्रबन्ध की व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जी० टी० तथा सदर्न एक्सप्रेस

2268. **डा० श्रीनिवासन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी दूरी तक चलने वाली जी० टी० तथा सदर्न एक्सप्रेस गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभगसिंह) : (क) और (ख) : इस समय ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस को तेज करना सम्भव नहीं है, क्योंकि इस मार्ग पर विकास सम्बन्धी अनेक निर्माण-कार्य हो रहे है जिनकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर पाबन्दी लगी हुई है और इस पाबन्दी के कारण गाड़ियां जितना समय लेती हैं, उसे कम करने की कोई आशा निकट भविष्य में नहीं है।

लेकिन जब पर्याप्त संख्या में डीज़ल रेल इंजन उपलब्ध होने लगेंगे और उनके अनुरक्षण की सुविधायें विकसित हो जायेंगी तो नयी दिल्ली और मद्रास के बीच चलने वाली सदर्न एक्सप्रेस/वातानूकूल एक्सप्रेस को डीज़ल रेल इंजन से चलाने का विचार है और जब ये गाड़ियां डीज़ल इंजन से चलने लगेंगी, तो इनको कुछ तेज करना सम्भव हो सकेगा।

Impounding of Cargo by Pakistan

2270. **Shri Onkarlal Berwa** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan has impounded some ships belonging to the Scindia Steam Navigation Company Ltd. ; and

(b) if so, the number thereof and the quantity of goods loaded in them ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) Two ships involving 2460 tons of goods.

उत्तर रेलवे के जूनियर रैंक के प्रशासन अधिकारी

2271. **श्री बूटा सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के सतर्कता निदेशालय अथवा गृह-कार्य मंत्रालय के सतर्कता निदेशालय को 1965 में अब तक उत्तर रेलवे के कुल कितने जूनियर रैंक के प्रशासन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और कदाचार के मामले प्राप्त हुए हैं ;

(ख) प्रत्येक में क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) प्रत्यक अधिकारी किस विभाग में काम कर रहे हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभगसिंह) : (क) से (ग) : 1-1-1965 से 30-11-65 तक उत्तर रेलवे के अवर प्रशासी ग्रेड के अफसरों से सम्बन्धित 6 शिकायतें या मामले

रेल मंत्रालय के सतर्कता निदेशालय को मिले। इन शिकायतों में से एक की प्रतिलिपि केन्द्रीय जांच ब्यूरो और केन्द्रीय चौकसी आयोग को भी मिली है।

जैसा कि नीचे बताया गया है, इन शिकायतों या मामलों से सम्बन्धित अफसर विभिन्न विभागों के हैं :—

यातायात (परिवहन) और वाणिज्य विभाग . .	2
सिविल इंजीनियरिंग विभाग . .	1
यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग . . .	1
सिगनल और दूर संचार विभाग . . .	1
भण्डार विभाग . .	1

इन मामलों में से एक की जांच की गयी और केन्द्रीय चौकसी आयोग के परामर्श से सम्बन्धित अफसर के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की गयी है।

एक शिकायत की जांच की गयी और केन्द्रीय चौकसी आयोग के परामर्शसे इस सम्बन्ध में आगे विचार किया जा रहा है।

दो शिकायतों की जांच की जा रही है।

बाकी दो शिकायतों की प्रारंभिक जांच की जा रही है।

उपर्युक्त 6 अफसरों के अलावा, केन्द्रीय जांच ब्यूरो से प्राप्त रिपोर्टों में से एक में उत्तर रेलवे यातायात (परिवहन) और वाणिज्य विभाग के अवर प्रशासी ग्रेड के एक अफसर के नाम का भी उल्लेख है। केन्द्रीय चौकसी आयोग इस रिपोर्ट पर विचार कर रहा है।

भारतीय रेलवे लेखा विभाग के प्रथम श्रेणी के क्लर्क

2272. **श्री बूटा सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे लेखा विभाग में प्रथम श्रेणी के कुछ वरिष्ठतम क्लर्कों को उन से जूनियर क्लर्कों (प्रथम और द्वितीय श्रेणी के क्लर्कों के रूप में जूनियर) से कम वेतन मिलता है ; और

(ख) इस असमानता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, कुछ मामलों में।

(ख) यह एक सामान्य असंगति है जो न केवल लेखा विभाग में, बल्कि रेलवे के दूसरे विभागों के साथ-साथ गैर-रेलवे विभागों में भी पायी जाती है। इस असंगति को दूर करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

असिस्टेंट इन्स्पेक्टर आफ वर्क्स

2273. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे, नयी दिल्ली के डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने 1964 में असिस्टेंट इन्स्पेक्टर आफ वर्क्स के पद के लिए चुनाव किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस चुनाव का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और परिणाम घोषित करने के लिये नियत तिथि क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय का कार्यालय

2274. **श्री गलशन** : क्या **उद्योग** तथा **सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे स्टोर्स निदेशालय के कुछ कमचारी सम्भरण और निपटान महा-निदेशक के कार्यालय में गत 2 वर्षों के अधिक समय से लगातार उन सीटों पर काम करते चले आ रहे हैं जिन पर दर-संविदा सम्बन्धी कार्य होता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या प्रशासन का विचार उन्हें अन्य अनुभागों में भेजने का है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण मंत्री (श्री रघु रामय्या) : (क) से (ग) : जी हां । तीन क्रय अधिकारी और पांच सहायक ऐसे हैं । वर्तमान क्रियाविधि के अनुसार राजपत्रित और अराजपत्रित अमले को एक अनुभाग/सीट से अन्य अनुभाग/सीट पर, चार वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर बदला जाता है । ऐसी बदलियां वार्षिक पुनर्विलोकन के आधार पर की जाती हैं ।

खनन वित्त निगम

2275. **श्री हिम्मतसिंहका** :

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज अयस्क निर्यात सलाहकार समिति ने खानों के विकास के लिये एक खनन वित्त निगम स्थापित करने की सिफारिश की है ;

(ख) समिति ने अपनी हाल की बैठक में क्या अन्य सिफारिशें की थीं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) मिनरल ओर्स एक्सपोर्ट एडवाइज़री कमेटी की दिनांक 22-11-1965 की मीटिंग में माइनिंग फाइनेंस कारपोरेशन की स्थापना आदि के बारे में प्राप्त सुझाव पर सामान्य विचार विमर्श होना जाहिर होता है । तथापि इस विषय में कमेटी की कोई सिफारिश सरकार के समक्ष नहीं प्रस्तुत की गयी है ।

(ख) सरकार को अभी तक कमेटी की कार्यवाही संक्षिप्ति जिसमें अन्य सिफारिशें है, नहीं प्राप्त हुई हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे में यात्री गाइडों का वेतन-क्रम

2276. **श्री किशन पटनायक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलों में इस समय यात्री गाइडों का वेतन क्रम क्या है ;

(ख) क्या 1955 से पहले वेतन क्रम अधिक था और 1955 से पहले 100 से 185 रुपये अथवा 150 से 225 रुपये के वेतन-क्रम में कोई नियुक्तियां की गयी थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसे कम करने के क्या कारण हैं और क्या इससे 1955 से पहले नियुक्त किये गये यात्री गाइडों की पदोन्नति-स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 110–4–150–द० रो०–4–170–5–180–द० रो०–5–200 रुपये (प्राधिकृत)/60–150 रुपये (निर्धारित)।

(ख) और (ग) : तीसरे दर्जे के यात्रियों की सहायता के लिए, 1948 में जब समाज सेवी संस्थाओं से सोशल गाइडों की भर्ती की योजना विशुद्धतः परीक्षण के रूप में शुरू की गयी थी उस समय उनका वेतन मान 100–185 रुपये निर्धारित किया गया था। चूंकि सामाजिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा इस योजना के संचालन से वांछित परिणाम नहीं निकला, इसलिये इस पद का नाम बदलकर "पैसेंजर गाइड" रखने और अपेक्षित अनुभव वाले रेल कर्मचारियों को उन पदों पर नियुक्त करने का निर्णय किया गया है और कार्य भार को देखते हुए उनके लिये 60–150 रुपये का वेतन-मान नियत किया गया। तत्कालीन सोशल गाइडों में से जिन्हें उपयुक्त और पात्र समझा गया उन्हें 60–150 के निर्धारित वेतन-मान में रख लिया गया। लेकिन जो सोशल गाइड उच्चतर ग्रेड में थे, उन्हें उनका वैयक्तिक ग्रेड दिया गया। फरवरी, 1962 से, पदोन्नति के प्रयोजन के लिये, उनको अपने वैयक्तिक ग्रेड में, उसी ग्रेड के टिकट कलक्टरों के नीचे, वरिष्ठता दी गयी है। इस प्रकार उनकी पदोन्नति के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

खुर्दा डिवीजन में यात्री गाइड

2277. श्री किशन पटनायक : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा-डिवीजन में यात्री-गाइडों को पिछले नौ वर्षों से साप्ताहिक छुट्टी नहीं दी जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या जिन दिनों उन्होंने अतिरिक्त काम किया है उसके लिए प्रतिकर के रूप में उन्हें समयोपरि भत्ता देने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

मेसर्ज इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड, कलकत्ता

2278. श्री ही० ना० मुकर्जी :

श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में मेसर्ज इंडियन आक्सीजन लिमिटेड का, जिसका मुख्य कार्यालय कलकत्ता में है, वास्तविक एकाधिकार है, और यदि हां, तो किस हद तक ;

(ख) इसमें कितनी विदेशी पूंजी विनियोजित है और इसके कितने प्रतिशत अंश ब्रिटेन के मेसर्स ब्रिटिश आक्सीजन लिमिटेड के पास हैं ;

(ग) क्या इसकी 1957 से विस्तार की कोई योजनाएं रहीं और वे क्या हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उन योजनाओं का केन्द्रीय सरकार ने अनुमोदन किया था ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री वि० ना० सिंह) : (क) देश में आर्गोन, नाइट्रियस आक्साइड, तथा गैस के काटने और वैल्डिंग के सामान बनाने की मेसर्स इंडीयन आक्सीजन लिमिटेड लगभग एक ही फर्म है। आक्सीजन, घुली हुई एसीटिलीन तथा नाइट्रोजन के क्षेत्र में देश के कुल उत्पादन

में इस फर्म के भाग में कुछ कमी हुई है लेकिन अब भी देश में इन गैसों के कुल उत्पादन में इस फर्म का काफी महत्वपूर्ण भाग है। जहां तक वैल्डिंग इलैक्ट्रोड्स तथा हाइड्रोजन का सम्बन्ध है मेसर्स इंडीयन आक्सीजन के अलावा अन्य कारखानों का देश के कुल उत्पादन में बड़ा भाग है।

(ख) मेसर्स इंडियन आक्सीजन लि० की पूंजी में यू० के० की मेसर्स ब्रिटिश आक्सीजन कम्पनी लि० का 67.7 प्रतिशत भाग है। अन्य विदेशियों का शेयर पूंजी में विशेष भाग नहीं है।

(ग) तथा (घ) : 1957 से सरकार ने फर्म की आक्सीजन/घुली हुई एसिटिलीन इत्यादि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये बम्बई, विशाखापतनम, जमशेदपुर, बर्नपुर, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर तथा अहमदाबाद के कारखाने में विस्तार की अनुमति दे दी है। सरकार ने फर्म के कलकत्ता में गैस द्वारा कटाई और वैल्डिंग का सामान तथा निरन्तर/विशेष इलैक्ट्रोड्स की और मद्रास में नरम इस्पात की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के सुझाव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

टैंकों के लिये इस्पात के बख्तरों का उत्पादन

2279. **श्री रघुवीर सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला में टैंकों के लिये इस्पात के बख्तरों का उत्पादन आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रांसफार्मरों और केपेसिटरों का निर्माण

2280. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 5 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 203 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नांगल में ट्रांसफार्मर और केपेसिटर बनाने के लिये एक नये एकक स्थापित करने की पंजाब सरकार की योजना पर विचार करने तथा सिफारिशें करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ख) यह समिति अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत करेगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : नंगल में ट्रान्सफार्मर और कैपेसिटर बनाने के लिये एक नया एकक स्थापित करने हेतु पंजाब राज्य सरकार की योजना पर विचार करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई भी समिति नहीं बनाई है। भारत सरकार ने भारी वैद्युत उपकरणों की विद्यमान क्षमता का पता लगाने तथा उनकी भविष्य में मांग को ध्यान में रखते हुए उसकी क्षमता और अधिक बढ़ाने के लिये एक समिति नियुक्त की है जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1. श्री बी० एस० नाग	अध्यक्ष
2. श्री एम० के० गोपालायंगार	सदस्य
3. श्री के० एल० विज	सदस्य
4. श्री बी० डी० कालेलकर	सदस्य

5. श्री के० बी० माथुर (एवजी श्री वी० कृष्णमूर्ति) . सदस्य
6. श्री के० सी० लाल (एवजी श्री एस० स्वयम्बू) . सदस्य
7. श्री हरि भूषण . . . . . सदस्य
8. श्री के० एन० रामास्वामी . . . . सदस्य सचिव

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर उपर्युक्त समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायगा। इस समिति का प्रतिवेदन अभी अभी प्राप्त हुआ है और उसकी जांच की जा रही है।

चाय बोर्ड

2281. श्री हेम राज : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान चाय बोर्ड का कार्यकाल कब समाप्त होगा ;

(ख) इसके लिये नये सदस्य कब नामज़द किये जायेंगे ; और

(ग) क्या बोर्ड में राज्य सरकारों के पदाधिकारियों के स्थान पर कुछ गैर-सरकारी सदस्य लेने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : 31 मार्च, 1966 को जब कि तीन वर्ष की अवधि के लिये नये सदस्य नियुक्त किये जायेंगे।

(ग) जी, नहीं।

दिल्ली के बड़े स्टेशन पर पार्सल कार्यालय

2282. श्री गुलशन : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने 21 अक्तूबर, 65 को दिल्ली के बड़े स्टेशन पर पार्सल कार्यालय पर छापा मारा था ;

(ख) क्या कोई कदाचार और अनियमितताएं पकड़ी गईं थीं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेलवे बोर्ड की केन्द्रीय जांच एजेंसी ने 21—10—65 को दिल्ली मेन स्टेशन के पार्सल आफिस की जांच की।

(ख) जी हां।

(ग) आगे आवश्यक कार्रवाई के लिये इस मामले की रिपोर्ट रेल प्रशासन से कर दी गयी है।

दुर्गापुर में चौथी धमन भट्टी

2283. श्री दीनेन भट्टाचार्य :

डा० रानेन सेन :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने में चौथी धमन-भट्टी लगा दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण है और इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

इस्पात और खानमंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : चौथी धमन भट्टी निर्माणाधीन है और जनवरी, 1966 में चालू होने के लिये सुनियोजित है। अक्तूबर, 1965 में एक भीषण दुर्घटना के कारण घण्टी और घण्टी की शलाका को बहुत हानि हुई है। यदि क्षतिग्रस्त भागों की वही मरम्मत

हो जाए जिसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है, तो एक महीने की देरी होने की आशंका है। यदि घण्टी की शलाका को बाहर से मंगवाना पड़ा तो एक महीने की और देरी हो जाएगी। उस हालत में भट्टी मार्च, 1966 के अन्त तक तैयार होगी। उत्पादन पर इसके कुप्रभाव का तभी पता लग सकता है जब वास्तविक देरी के बारे में पता लग जाये।

"उद्योग पत्रिका"

2284. **श्री सूर्य प्रसाद :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "उद्योग पत्रिका" के हिन्दी प्रकाशन को निकट भविष्य में बन्द करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। 1 सितम्बर, 1965 से इसे बन्द कर दिया गया है।

(ख) सचिवों की समिति ने किफायत और वित्तीय क्षमता के दृष्टिकोण से विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं तथा अन्य प्रकाशनों का पुनर्विलोकन किया, और यह निश्चय किया कि अन्यों के साथ, हिन्दी पत्रिका "उद्योग व्यापार पत्रिका" को संकटकालीन अवधि चलने तक के लिये बन्द कर दिया जाये।

केरल में लौह अयस्क भण्डार

2285. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री अ० व० राघवन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के कज्जिकोड और कालीकट जिलों में लौह अयस्क का काफी भण्डार है ;

(ख) यदि हां, तो इस भंडार की अनुमानित मात्रा क्या है ; और

(ग) केरल राज्य में अन्य खनिजों के बारे में किये गये सर्वेक्षण के क्या परिणाम हैं ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : 1956–57 में जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया द्वारा कच्चे लोहे के बहुत से उपलब्ध जिनका निक्षेप अनुमानत: 17 मिलियन टन है पाए गए। यह उपलब्ध पर्याप्त नहीं समझे गए हैं।

(ग) जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के फलस्वरूप चिकनी मिट्टी, अयोरंजजारिज और शीशे की रेत के कई करणीय निक्षेपों का पता चला है। चूने के थोड़े निक्षेप का भी विवरण है।

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची

2286. **श्री प्र० कु० घोष :**
श्री बूटा सिंह :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह 12 नवम्बर, 1965 को सभा में एक ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में दिये गये अपने वचन के अनुसार भारी इंजीनियरी निगम, रांची के फालतू सिविल इंजीनियरों के प्रतिनिधियों से मिलें ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य शिकायतें क्या थी और सरकार ने उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रतिवेदन उन्हें अन्य स्थानों में खपा लेने के बारे में था। सरकार इसके लिये यथा सम्भव यत्नशील रही है। और फालतू इंजीनियरों के नामों को सरकारी क्षेत्र में उन संबंधित अधिकारियों के पास परिचारित कर दिया गया है, जिन्हें उनकी सेवा की आवश्यकता हो।

Construction of Hospital near Lalgarh Railway Workshop (Bikaner Dn.)

2287. Shri P. L. Barupal :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri Bagri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Rattan Lal :
Shri Sadhu Ram :
Shri Yashpal Singh :
Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that teak wood of the most inferior quality has been used in the construction of the Hospital near Lalgarh Railway workshop in Bikaner Division of Northern Railway ;

(b) if so, the reasons for making payment for superior quality of wood; and

(c) whether it is due to the collusion between the contractors and engineers and whether Government propose to appoint a Committee to conduct an enquiry into the matter ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The payment that has been made to the contractor relates to teak wood that has been used in construction in accordance with Railway's specifications. About 2000 sq. ft. of teak wood used in window shutters has been found to be sub-standard. The contractor has been asked to replace the same.

(b) and (c). Do not arise.

Construction of Hospital Near Lalgarh Railway Workshop (Bikaner Div.)

2288. Shri P. L. Barupal :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri Bagri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Rattan Lal :
Shri Sadhu Ram :
Shri Yashpal Singh :
Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that payment has been made to the contractors for 1st grade bricks which have actually not been used in the construction of the hospital near Lalgarh Railway Workshop in Bikaner Division of the Northern Railway ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government propose to appoint an enquiry committee in this connection ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). The cost of 87·5% of the bricks used in the construction has been paid to the contractor as for first class bricks. The best quality of locally available bricks have been used in the construction. Since, however, they do not conform to first class specification of the Northern Railway, a suitable reduction in the rate is under consideration.

(c) The matter is already under examination of the Central Bureau of Investigation to whom a report on technical aspect would be sent as desired by them as soon as ready.

केंसिगा रेलवे फाटक पर उपरिगामी पुल

2289. **श्री प्र० के० देव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे पर केंसिगा रेलवे फाटक पर एक उपरिगामी पुल का निर्माण करने के लिये सरकार द्वारा बारबार आश्वासन दिये जाने के बावजूद विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) निर्माण कार्य कब आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) राज्य सरकार ने अभी अन्तिम रूप से यह तय नहीं किया है कि ऊपरी सड़क पुल कहां बनाया जाये ।

(ख) अभी से यह बताना सम्भव नहीं है ।

पुस्तकों का आयात

2290. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 3 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1490 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तकों के आयात के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ; और

(घ) इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा पुस्तकों का आयात कितना कम होगा तथा इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष कितना आयात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : समिति ने सिफारिश की है कि :

(1) चालू वर्ष के दौरान में पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं के आयात के लिये कम से कम 1.5 करोड़ रु० के मूल्य की विदेशी मुद्रा दी जाय ।

(2) 1.50 करोड़ रु० में से 40 लाख रु० विश्वविद्यालयों, शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं आदि में बांटने के लिये शिक्षा मंत्रालय को दे देना चाहिये ।

(3) शेष 1.10 करोड़ रु० में से 1 करोड़ रुपये 50 प्र० श० कोटा के आधार पर कोटा लाइसेन्स जारी करने के लिये चाहिये जैसा कि चालू रेड बुक में पहले ही घोषित किया जा चुका है ।

(4) शेष 10.0 लाख रु० उन अनुमतिप्राप्त मैगज़नों, जर्नलों, पत्र-पत्रिकाओं के आयात के लिये केवल ऐसे पुराने आयातकों को उपयोग करने के लिये दिये जाने चाहिये जो पहले ऐसी पत्र-पत्रिकाओं का आयात करते रहे हैं ।

(ग) समिति की उपरोक्त सिफारिशें विचाराधीन हैं और विदेशी मुद्रा दिलाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। विदेशी मुद्रा मिल जाने के बाद ही अगली कार्रवाई की जा सकती है।

(घ) अगस्त 1965 तक 155.60 लाख रु० मूल्य की पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं का भारत में आयात किया गया है, जब कि 1964 की इसी अवधि में 148.50 लाख रु० मूल्य की पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं का आयात किया गया था। विचार है कि 1964 में 330.83 लाख रुपये मूल्य के कुल आयात के मुकाबले में 1965 में पुस्तकों के आयात में बहुत कमी नहीं होगी क्योंकि गत अवधि में अधिक संख्या में जारी किये गये लाइसेन्सों का प्रयोग चालू अवधि में किया जायगा। अगले वर्ष के आयात का अनुमान अभी से नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि यह विदेशी मुद्रा को उस समय की स्थिति पर निर्भर रहेगा। वास्तव में यह समिति इसलिये बनाई गई थी कि वह चालू अवधि के लिय घोषित पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं की आयात नीति का पुनरीक्षण करें और संशोधन, यदि कोई हो तो, उसकी सिफारिश करें। अगले वर्ष के आयात के प्रश्न पर उसे विचार नहीं करना था।

यूरोपीय आर्थिक संस्था

2291. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक संस्था ने अपने साथ भारत के वाणिज्यिक संबंधी के बारे में कोई रिपोर्ट तैयार की है ;

(ख) यदि हां तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यदि रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया तो उनका संस्था के साथ भारत के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : भारत की संसद् के आमंत्रण पर, योरपीय संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 9 से 14 दिसम्बर, 1963 के बीच भारत की यात्रा की। इसके पश्चात योरपीय संसद के विदेश व्यापार आयोग को योरपीय आर्थिक समुदाय और भारत के मध्य व्यापार सम्बन्धों पर एक अन्तरिम प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। योरपीय संसद के समक्ष श्री जी० एल० मोरो द्वारा तैयार किया गया यह अन्तरिम प्रतिवेदन 23 नवम्बर, 1965 को प्रस्तुत किया गया।

इस प्रतिवेदन में ब्रुसेल्स स्थित भारत के आर्थिक आयोग द्वारा यो० आ० स० आयोग से द्विपक्षीय सम्पर्क स्थापित करने सम्बन्धी प्रयासों का संक्षिप्त ब्योरा, भारत और समुदाय के व्यापार संबंधों पर वार्ता करने के उद्देश्य से दिया गया है। इसमें योजनाओं की शृंखला के माध्यम से होने वाले भारत के विकास सम्बन्धी प्रयासों का विश्लेषण किया गया है और भारत पर चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजना को अमल में लाने के कारण पड़ने वाले वित्तीय भार की विशालता पर बल दिया गया है तथा उसे केवल आर्थिक सहायता देने पर ही नहीं वरन् उसे अपने व्यापार सम्बन्धों का विकास करने में सहायता देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है, जिससे आर्थिक क्षेत्र में भारत को अन्तर्राष्ट्रीय स्थिरता पुनः प्राप्त हो सके। योरपीय आर्थिक समुदाय के देशों से भारत के व्यापार में जो भारी असन्तुलन है वह भी इस प्रतिवेदन में स्पष्ट बताया गया है।

प्रतिवेदन में निम्नलिखित पर प्रत्यक्ष कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है : (1) समुदाय के सदस्य देशों में ऋण क्षेत्र के कार्यक्रमों में समन्वय ; और (2) सुनिश्चित उत्पादों के विशाल विशिष्ट करारों का अध्ययन जिससे भारतीय उत्पादों का समुदाय को स्थिर और बढ़ती हुई गति के साथ निर्यात सुनिश्चित हो सके।

योरपीय संसद् ने अपने एक संकल्प द्वारा अन्तरिम प्रतिवेदन पर विचार किया और यो० आ० स० आयोग को आमन्त्रित किया कि वे भारत सरकार के प्रतिनिधियों से अपना सम्पर्क इस दृष्टि से बढ़ायें जिससे कि भारत तथा समुदाय देशों के मध्य वास्तविक द्विपक्षीय वार्त्ता के आरम्भ की तैयारी हो सके।

इसमें समुदाय के 6 सदस्य देशों के लिये आर्थिक तथा वित्तीय सहायता सम्बन्धी समन्वित कार्यक्रम पर कार्यवाही करने के महत्व पर भी बल दिया गया है। संसद के अध्यक्ष से कहा गया कि वह प्रतिवेदन सम्बन्धी इस संकल्प को यो० आ० स० आयोग तथा सदस्य सरकारों तक पारेषित करें।

(ग) सरकार, योरपीय समुदाय द्वारा भारत की अर्थ व्यवस्था विकसित करने सम्बन्धी समस्याओं पर दिखायी गयी जागरूकता का स्वागत करती है और योरपीय संसद द्वारा पास किये गये संकल्प की प्रशंसा करती है, और आशा करती है कि योरपीय संसद द्वारा की गयी इस पहल द्वारा भारत और योरपीय आर्थिक समुदाय के मध्य दृढ़ संबंधों की नींव पड़ेगी।

श्रीलंका रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था

2292. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री राम हरख यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका को रेलवे सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिये सहायता देना स्वीकार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता देने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) श्रीलंका सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत उसे दो महीने के लिये एक विशेषज्ञ की सेवाएं उधार दी जायें जो श्रीलंका की सरकारी रेलों के सुरक्षा-सेवा-संगठन से सम्बद्ध समस्याओं की जांच करे और उन पर रिपोर्ट दे। तदनुसार भारतीय रेल के रेलवे सुरक्षा दल के महानिरीक्षक की सेवाएं श्रीलंका सरकार को उधार दे दी गयी हैं।

नौका यातायात सेवा

2293. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री वारियर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलवे द्वारा साहिबगंज/सकरीगली घाट-मनीहारी घाट और फरक्का-खेजुरिया घाट पर नौका यातायात सेवा बनाये रखने के लिये प्रतिवर्ष कितना व्यय किया जाता है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : सकरीगली घाट से मनिहारी घाट और फरक्का से खजुरिया घाट के लिये फेरी व्यवस्था के अनुरक्षण पर पिछले दो वर्षों में जो रकम खर्च हुई, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	खर्च
1963–64	38.31 लाख रुपये।
1964–65	39.52 लाख रुपये।

इन आंकड़ों में वह रकम शामिल नहीं है, जो मोकामा में मेरीन कारखानों में जहाजों की आवश्यक बड़ी मरम्मत पर खर्च हुई। यह खर्च हर वर्ष अलग-अलग रहा है। 1964–65 में उपर्युक्त फेरी व्यवस्था में चलने वाले जहाजों तथा महादेवपुर घाट से बरारी घाट और पहलेजा घाट से महेन्दुघाट तक आने जाने वाले जहाजों की मरम्मत पर लगभग 12 लाख रुपये खर्च हुए।

मलाया और सिंगापुर को निर्यात

2294. **श्री वारियर :** **श्री दाजी :**

श्री वासुदेवन नायर : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965 की गत तिमाही में मलाया और सिंगापुर को हमारे माल के निर्यात में भारी कमी हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्यात घट जाने से हमारा व्यापार संतुलन प्राय: बिगड़ गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 1964-65 (अप्रेल-अगस्त) में मलाया तथा सिंगापुर को भारत से हुआ निर्यात 7.29 करोड़ रु० स घट कर 1965–66 की उसी अवधि में 5.123 करोड़ रु० रह गया है ।

(ख) तथा (ग) : यह कमी मुख्यत: पैट्रोलियम उत्पादों, सूती कपड़े के थान, चीनी, सूती तथा संश्लेषित वस्त्रों और पहनने के वस्त्रों में हुई है । जिसका कारण चीनी और पैट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करने में हमारी असामर्थ्य और सूती तथा सिले सिलाये वस्त्रों के उत्पादन के लिए सिंगापुर में कारखानों की स्थापना हो जाना है । 1963-64 और 1964–65 में सिंगापुर और मलाया के साथ भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था और उपर्युक्त अवधि में निर्यात में कमी होने से व्यापार सन्तुलन के बिगड़ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । वर्ष की शेष अवधि में हमारे निर्यात के बढ़ जाने की सम्भावना है ।

बंगलौर चिक-बल्लापुर-बेंगरपेट-रेलवे लाइन

2295. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर-चिक-बल्लापुर-बेंगरपेट रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) क्या इसे परिवर्तित करने के लिये जनता की बहुत मांग है ;

(ग) क्या चित्तौड़ और आन्ध्र प्रदेश के लोग मदन पल्लि से चिन्तामणि को रेल द्वारा मिलाने का विरोध कर रहे हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : बंगलौर-चिकबल्लापुर-बंगारपेट्टै छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये अभ्यावेदन मिले हैं । यद्यपि इस परिवर्तन के सिलसिले में कोई नियमित सर्वेक्षण नहीं किया गया है, तो भी इस सम्बन्ध में की गयी जांच से पता चला है कि वित्तीय दृष्टि से इस छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदलने का औचित्य नहीं है ।

(ग) और (घ) : इस लाईन के निर्माण के लिये अभ्यावेदन मिले हैं लेकिन इस प्रस्ताव को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये पर्याप्त अग्रता नहीं दी जा सकती क्योंकि आगामी योजना में नयी लाईनों के लिये उपलब्ध रकम बहुत ही सीमित है । इसलिये अभी आगे कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं है ।

मालूर रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल

2296. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर-मद्रास बड़ी रेलवे लाइन पर मालूर रेलवे स्टेशन में मालूर-भास्ती सड़क पर ऊपरी पुल बनाने के लिये प्राक्कलन तैयार किया गया है ;

(ख) पुल बनाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) पुल कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने अभी अन्तिम रूप से यह तय नहीं किया है कि ऊपरी पुल कहां बनाया जाये।

(ग) अभी से यह बताना सम्भव नहीं है ।

हिसार में कच्चे लोहे का कारखाना

2297. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिसार (पंजाब) में कच्चे लोहे का एक कारखाना स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक कितनी राशि खर्च हुई है ; और

(ग) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) सितम्बर, 1963 में उद्योग संचालक, पंजाब को 100,000 टन वार्षिक कच्चे लोहे के उत्पादनार्थ एक औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए एक इन्टेन्ट पत्र जारी किया गया था। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि प्रस्तावित कारखाने के लिए भूमि पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। इस समय योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। अभी तक उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस नहीं दिया गया है।

(ख) राज्य सरकार ने अभी तक इस प्रायोजना पर 14 लाख रुपये व्यय किए हैं।

(ग) भारत सरकार से मंजूरी मिलने से कारखाना चौथी योजना में उत्पादन के लिये तैयार हो सकता है ।

भिलाई इस्पात कारखाने में नियुक्त विदेशी

2298. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात कारखाने में कुल कितने विदेशी काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या भिलाई इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिये किये गये करार में उच्च तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में कोई उपबन्ध है ;

(ग) यदि हां, तो कितने विदेशी कर्मचारियों को और कितने समय तक कारखाने में काम करते रहने देने का विचार है ; और

(घ) उनके वेतन, भत्तों और आवश्यक सुविधाओं पर कितना वार्षिक व्यय होता है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 30 नवम्बर, 1965 को निर्माण-कार्य में 298 और परिचालन तथा संधारण कार्यों में 54 विदेशी कर्मचारी काम कर रहे थे।

(ख) जी हां ।

(ग) 1964 के अन्त में 2.5 मिलियन टन विस्तार सम्बन्धी इंजीनियरिंग, रुपांकन और निर्माण/उपकरण खड़े करने के कामों में 301 विदेशी कर्मचारी काम कर रहे थे। संधारण तथा परिचालन में 21 विदशी कर्मचारी थे। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार निर्माण-कार्य में इनकी संख्या बहुत कम हो जाने की

आशा है परन्तु 2.5 मिलियन टन तक विस्तार सम्बन्धी नई इकाइयों का सुचारू रूप से चलाने के लिये 1966 में लगभग 80 विदेशी कर्मचारी काम करते रहेंगे। 1967 में केवल कुछ उच्च पदों के लिए बहुत थोड़े विदेशी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। ज्यों ज्यों भारतीय कर्मचारी परिचालना/संधारण, इंजीनियरिंग, रूपांकन और निर्माण/उपकरण खड़े करने के कामों में विदेशी कर्मचारियों का स्थान ले रहे हैं। विदेशी कर्मचारियों की संख्या घटाई जा रही है।

(घ) 1965–66 में अनुमानित व्यय 126 लाख रुपये के लगभग होगा।

विशेष इस्पात के लिये कारखाना

2299. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विशेष इस्पात तैयार करने के लिये एक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर विचार करने में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है, तो उसकी रूपरेखा क्या है और उस पर अनुमान से कितनी लागत आयेगी और उसमें यदि विदेशी सहयोग अपेक्षित होगा तो कितना ; और

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : 25 अगस्त, 1965 को टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को बिहार में एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लि ाइसेंस-पत्र दिया गया है। इसमें प्रतिवर्ष 50,000 टन मिश्र तथा विशेष इस्पात का उत्पादन होगा। प्रायोजना की कुल लागत 21 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसमें 9 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा होगी। विदेशी वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग जापान के निशो कम्पनी लिमिटेड तथा कोबे स्टील वर्क्स से प्राप्त करने का विचार है।

(ग) सहयोगियों की साम्मिक साझेदारी (ईक्विटी पार्टीसीपेशन) तथा येन क्रेडिट के आवंटन को अन्तिम रूप देने के तीन वर्ष बाद कारखाने के उत्पादन शुरू करने की संभावना है।

पाण्डिचेरी में भारती कपड़ा मिल

2300. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी में श्री भारती कपड़ा मिल 20 नवम्बर, 1965 से कतई बन्द है ;

(ख) क्या मिल के बन्द होने का कारण वर्तमान मालिकों का वित्तीय कुप्रबन्ध तथा कुप्रशासन है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मिल को अपने हाथ में लेकर कर्मचारियों के सहयोग से चलाने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : यह सूचना दी गई थी कि कुप्रबन्ध और वित्तीय दुरावस्थाओं के कारण मिल का काम तेज़ी से बिगड़ता जा रहा था। 16–11–1965 को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत इस मिल के मामले की जांच करने के लिये एक जांच समिति नियुक्त की गई। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

मशीनी औजार कारखाने

2301. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अनेक मशीनी औजार कारखाने, वास्तव में प्रत्येक राज्य में कम से कम एक, खोलने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश में भी अति निकट भविष्य में कारखाना खोला जायगा ;

(ग) यदि हां, तो कब ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ग) : प्रत्येक राज्य में मशीनी औजार का एक-एक कारखाना स्थापित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। चौथी योजना की अवधि में सरकार दो और नये मशीनी औजार के कारखाने स्थापित करेगी जिसमें से एक गुजरात के भावनगर में और दूसरा राजस्थान के अजमेर में होगा। इसके अलावा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, पंजाब, केरल और आन्ध्र प्रदेश स्थित अपने विद्यमान एककों का विस्तार करेगा ; इनके साथ ही उसकी योजना दो नये एकक भी स्थापित करने की है। ये नये एकक चौथी योजना के अन्त तक स्थापित किये जा सकते हैं। निश्चय यह किया गया है कि इनमें से एक एकक मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाना चाहिये।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

2302. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ महीने पहले ब्रिटेन की विदेश सहायता तथा विकास मंत्री ने हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल का दौरा किया था ;

(ख) क्या उन्होंने इस कारखाने के अधिक सुचारू ढंग से काम करने के लिये सरकार के सामने कुछ प्रस्ताव रखे थे ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) वे अब तक कितनी हद तक क्रियान्वित किये गये हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : मंत्री महोदया ने कोई औपचारिक अथवा विशिष्ट प्रस्ताव नहीं किया था। फिर भी उन्होंने ब्रिटेन से विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ प्राप्त करने के महत्व पर बल दिया था। इसको यथा-सम्भव कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रथम पग के रूप में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ग्यारह ब्रिटिश टेंकनीशियन प्राप्त किये जा रहे हैं।

एक डिवीजन से दुसरे डिवीजन में और एक रेलवे से दूसरी रेलवे में रेलवे अधिकारियों का स्थानान्तरण

2303. **श्री अ० प्र० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री राजपत्रित अधिकारियों के एक डिवीजन से दूसरे डिविजन में और एक रेलवे से दूसरी रेलवे में स्थानान्तरण के बारे में 26 नवम्बर, 65 के तारांकित प्रश्न संख्या 492 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक ही रेलवे के एक डिविजन से दूसरे डिविजन में और एक रेलवे जोन से दूसरे रेलवे जोन में अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अपनाई जा रही प्रक्रिया का ब्योरा क्या है ; और

(ख) विभिन्न रेलवे में किसी विशेष स्टेशन पर तीन वर्ष से अधिक समय तक रह रहे अधिकारियों की संख्या क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेलवे के एक मण्डल से दूसरे मण्डल में तथा एक रेलवे से दूसरी रेलवे में अफसरों का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकताओं और समय-समय पर विभिन्न विभागों में संवर्ग की स्थिति को ध्यान में रख कर किया जाता है। प्रशासन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यथासंभव अनुग्रह के आधार पर और वैयक्तिक कारणों से भी स्थानान्तरण किया जाता है।

(ख)	मध्य	199
	पूर्व	144
	पूर्वोत्तर	72
	पूर्वोत्तर सीमा	85
	उत्तर	167
	दक्षिण-पूर्व	141
	दक्षिण	128
	पश्चिम	140

जैसा कि भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, प्रशासन की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा किया गया है ।

आन्ध्र में इस्पात संयंत्र

2303-क. श्री श्रीनारायण दास : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "आन्ध्राज स्टील" नामक पुस्तक की आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी द्वारा लिखी गई प्रस्तावना की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आन्ध्र प्रदेश मे इस्पात संयंत्र लगाने की मांग की अवहेलना करने से अवश्यमेव जन-आन्दोलन उठ खड़ा होगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा जनआन्दोलन को उभरने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं जिससे आपातकाल में कानून तथा व्यवस्था न बिगड़े और शान्ति भंग न हो ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने जो ध्यान दिया है इस समय इतना काफी है ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारीयों को महंगाई भत्ता

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"पत्र सूचना कार्यालय (प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो) द्वारा 6 नवम्बर, 1965 को जारी किये गये प्रेस नोट में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार बारह मास के औसत उपभोक्ता मूल्य देशनांक के 10 बिन्दुओं से अधिक ऊपर हो जाने पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में को बढ़ाने में सरकार की विफलता ।"

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : इसी सम्बन्ध में कल पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में मैं बता चुका हूं कि अक्तूबर के अन्त में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मूल्य देशनांक केवल 164.92 है ।

श्री प्रिय गुप्त कटिहार : यह 173 है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : आंकड़े निकालने का प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है । मुझे प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देशनांक अक्तूबर के अन्त में 164.92 था। तब से यदि वह बढ़ गया हो तो सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : इस मामले को उठाने से पहले मैंने कुछ उद्धरण देने की अनुमति मांगी थी। इस प्रश्न का उत्तर दिये जाने के बाद मुझे पत्र सूचना कार्यालय से कुछ वस्तुओं के थोक मूल्य के आंकड़े मिले हैं। इन आंकड़ों के अनुसार 6 नवम्बर, 1965 को समाप्त होने सप्ताह के खाद्य पदार्थों का देशनांक 172.2 और अन्य सभी वस्तुओं का 160.7 क्या सरकार इन देशनांको ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिये तुरन्त कार्यवाही करेगी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस में स्वत: वृद्धि की कोई बात नहीं है। मूल्य बढ़ने पर सरकार स्थिति पर विचार करेगी । इस सम्बन्ध में न केवल वित्त मंत्री को अपितु समूची सरकार को निर्णय करना है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार आन्दोलन की प्रतिक्षा किये बिना निर्णय करेगी ? 2500 रुपये वेतन पाने वाले लोगों के वेतन बढ़ाने के मामले में किसी की प्रतिक्षा किये बिना निर्णय किया गया था ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : कल प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि यदि बारह महीने में औसत 165 तक पहुंच जाये तो सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है। क्या इसका अर्थ यह है कि यदि बारह महीने से पहले मूल्य असाधारण रूप से बढ़ जायें तो सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं करेगी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं अपने प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : हम तथ्य जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह माननीय सदस्यों को स्पष्ट जानकारी दें ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस सम्बन्ध में मेरा कल का उत्तर काफी स्पष्ट है ।

श्री स० मो० बनर्जी : सरकार तथ्यों को छिपा रही है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं बता चूका हूं कि बारह महीने की औसत निकाल कर निर्णय किया जायेगा। आंकड़े 165 पर पहुंचने पर सरकार स्थिति का पुनरीक्षा करेगी। अक्तूबर, 1965 के अन्त तक के आंकड़ों के अनुसार देशनांक 164.92 है। हो सकता कि इन आंकड़ों को तैयार करने वाली संस्था पूर्णत: सक्षम न हो किन्तु हमें इसी संस्था पर निर्भर करना है। यदि नवम्बर में देशनांक बढ़ जायेंगे तो सरकार फिर इस सम्बन्ध में विचार करेगी ।

श्री हरि विष्णु कामत : मासिक औसत निकाल जाना चाहिये। इस वर्तमान सूत्र से कोई लाभ नहीं है ।

श्री प्रिय गुप्त : हम केवल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बात कर रहे हैं जब कि मूल्य सभी के लिये बढे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी, उन्हें सभा की कार्यवाही में इस प्रकार अन्तर्बाधा नहीं डालनी चाहिए।

स्पष्टीकरण के लिए विविध प्रश्न

MISCELLANEOUS POINTS FOR CLARIFICATION

अध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्यों ने मुझे लिखा है कि आज सभा का अन्तिम दिन होने के कारण उन्हें किसी निर्णय का पुनर्विलोकन करने की मांग करने का अवसर नहीं मिलेगा अतः व कुछ प्रश्नों का सरकार द्वारा स्पष्टीकरण चाहते हैं। मैंने प्रत्येक सदस्य को इसके लिये दो मिनट का समय देना मान लिया है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : परसों एक लिखित प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने उन विश्वविद्यालयों के नाम की एक सूची दी जिनके नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रखे गये। सूची में इन नामों के साथ वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय का नाम भी है। इस विश्वविद्यालय का नाम एक देवता के नाम पर रखा गया है। क्या माननीय शिक्षा मंत्री अपनी यह गलती मानते है कि इस देवता का नाम इस सूचीमें नहीं होना चाहिये था?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर देना शिक्षा मंत्री महोदय का काम है।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मुझे इसके लिये खेद है। मुझे उन विश्वविद्यालयों की एक सूची मांगी गईथी जिनका नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। मेरा अभिप्राय किसी के प्रति अनादर दिखाना नहीं है। सम्बन्धित विभाग में ऐसे विश्वविद्यालयों की सूची तैयार कर दी थी जो मैंने सभा के सामने रख दी।

उड़ीसा विधान सभा के लिये चुनाव

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैंने एप्रैल, 1966 में उड़ीसा विधान सभा के लिये चुनावों के सम्बन्ध में एक ध्यान दिलाने के बारे में सूचना दी थी जिसके लिये मुझे अनुमति नहीं दी गई। मुझे आपने बताया था कि मंत्रालय ने अभी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं किया। किन्तु यह सच है कि इस सम्बन्ध में तैयारियां हो रही हैं। हमें पता चला है कि उड़ीसा सरकार ने वहां के अधिकारियों को कुछ निर्वाचन क्षेत्रों पीठासीन अधिकारी का काम करने के लिये कहा है। हमने इस सम्बन्ध में सत्र समाप्त होने से पहले स्थिति की जानकारी देने के लिये प्रधान मंत्री महोदय को पत्र भी लिखा है कि चुनाव हो रहे है अथवा नहीं। अन्यथा हमें चुनाव की तैयारी करने के लिये समय नहीं मिलेगा।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मुझे उड़ीसा में चुनावों के बारे में श्री मसानी तथा श्री द्विवेदी से पत्र मिले हैं, गृह-मंत्री आज इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : किस समय ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हो सकता है चार बजकर पचपन मिनट पर दें।

निर्वाह व्यय देशनांक

श्री प्रभात कार (हुगली) : अभी वित्त मंत्री महोदय ने बताया है कि मूल्य देशनांक 164.92 है जो 165 से ·8 कम हैं। इस सम्बन्ध में जांच की गई और ये आकड़े ठिक किये गये। श्रम मंत्रालय को इस सम्बन्ध में रिपोर्ट मिल गई है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ?

अध्यक्ष मदोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

एक रेल्वे कर्मचारी की मृत्यु

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं रेलवे कर्मचारियों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिये बरेली गया था। वहां स्टेशन पर पहुंचने पर मुझे बताया गया कि एक रेलवे कर्मचारी की काम करते हुए मृत्यु हो गई। हो सकता है कि बिजली लगने से वह मरा हो। मृतक से सम्बन्धी, कर्मचारियों के नेता तथा दो संसद् सदस्य, जो सम्मेलन में भाग लेने वहां गय थे, दिवंगत कर्मचारी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये घटना स्थल की ओर गये। किन्तु हमें इज्जत-नगर वर्कशाप के अन्दर घटना स्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी गई।

अध्यक्ष महोदय यह अमानवीय प्रकार का दुर्व्यवहार तथा भेदभाव का एक उदाहरण है। किसी को भी शव देखने की अनुमति नहीं दी गई। मैं सरकार तथा रेलवे मंत्री से यह आश्वासन चाहता हूं कि इस मामले की उचित जांच की जाये और मानव जीवन का इस प्रकार अनादर न किया जाये।

मैं नियम 197(5) के अन्तर्गत एक दुसरे प्रश्न का स्पष्टीकरण चाहता हूं। परसों सभा में मेरी ध्यान दिलाने वाली सूचना उठाई गई थी। आपने स्वास्थ्य मंत्री को आज उसका उत्तर देने के लिये कहा था। बाद में मैंने अनुरोध किया था कि उसे आज लिया जाये। नियम के अन्तर्गत ध्यान दिलाने वाली सूचना ठीक थीं। केवल उसका उत्तर दिया जाना शेष था। यदि उत्तर मंत्री की सुविधा के अनुसार दिया जा सकता है तो मैं समझता हूं कि.....

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की आपत्ति ठीक है। यह मंत्री महोदय की सुविधा की बात नहीं थी। मंत्री महोदय ने कहा था कि वह आज भी इसका उत्तर देने के लिये तैयार है। चूंकि इस सूचना पर अन्य हस्ताक्षर कर्ताओं को आज का दिन सुविधाजनक नहीं था और उनके अनुरोध पर मैंने उसमें परिवर्तन कर दिया।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Speaker, Sir my question relates to the fundamental principles of democracy. The question was that it was a dereliction of duty on the part of the Government to suspend the passage of the Bill in the context of the name of Kashi Vishwavidyalaya which was already passed by the Rajya Sabha. The Prime Minister and the Minister of Education shirked their responsibility in this regard. This university bore its name as Kashi Vishwavidyalaya since 1916. Probably the Minister of Education is not aware of this fact. Now the question arises as to whether the word 'Hindu' should be added to it or not. The name 'Kashi Vishwavidyalaya' has also been inscribed on its gate. Moreover the real name of the university may come to light from either its foundation stone or the seal of the university.

Mr. Speaker : The hon. Member should resume his seat. He had already raised this question twice on previous occasions. I have stated that this question may be raised when the discussion on this Bill is resumed.

Shri Sivamurthi Swamy (Koppel) : Mr. Speaker, Sir, in 1952 when I made my best efforts to set up a cooperative sugar factory in my constituency on the principles of socialistic pattern of society. I was, in the first instance, successful to the extent to get it registered but it was cancelled later on and a licence issued in favour of Tulsi Das Kila Chand, thereafter persistant efforts are being made to set up a Cooperative factory at Vijay Nagar Hampi in the Kamlapur Badari district but no licence has been issued so far for the purpose. This is a pressing demand of the people of that area and therefore, a licence should be issued for the purpose.

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : नियम 376 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह सभा के कार्य के सम्बन्ध में है । मैंने कल यह प्रश्न उठाया था किन्तु आप मुझ नहीं बुला सके ।

सभा के सामने जो कार्य इस समय है और जो इस सप्ताह में समाप्त हो चुका है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार कार्य को योजना बद्ध करने में असफल रही है। सभा के सामने बीज विधेयक और उच्च न्यायालय विधेयक हैं । यह अच्छी बात नहीं है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, I beg to submit that.... **(interruption)**

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Speaker I raise a point of order .....**(interruptions)**

Mr. Speaker : Hon. Member may resume his seat. I will allow you later on to raise a point of order.

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत एल्युमिनियम कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का ज्ञापन तथा संस्था के अन्तर्नियम

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मैं भारत एल्युमिनियम कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के ज्ञापन तथा संस्था के अन्तर्नियमों की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5358/65 ।]**

केरल कृषक ऋण अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचना

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं श्री चि० सुब्रम्हण्यम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुये उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल कृषक ऋण अधिनियम, 1961 की धारा 10 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति जिन के द्वारा केरल राज्य कृषि ऋण नियमों में कतिपय संशोधन किये गये :—

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 63/64 जो दिनांक 17 मार्च, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 209/64 जो दिनांक 7 जुलाई, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) एस० आर० ओ० संख्या 210/64 जो दिनांक 7 जुलाई, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) एस०आर० ओ० संख्या 226/64 जो दिनांक 28 जुलाई, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(पांच) एस० आर० ओ० संख्या 297/64 जो दिनांक 29 सितम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(छः) एस० आर० ओ० संख्या 398/64 जो दिनांक 15 दिसम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(सात) एस० आर० ओ० संख्या 120/65 जो दिनांक 30 मार्च, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(आठ) एस० आर० ओ० संख्या 194/65 जो दिनांक 11 मई, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(नौ) एस० आर० ओ० संख्या 227/65 जो दिनांक 1 जून, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5359/65 ।]

राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उदघोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल कृषक ऋण अधिनियम, 1961 की धारा 10 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० एस० 422/एग्री०/65 की एक प्रति जो दिनांक 10 अगस्त 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा रबड़ बागान के विकास के लिए विशेष ऋण नियम, 1961 में कतिपय संशोधन किये गये । **[पुस्तकालय में रखी गई । दखिए संख्या एल० टी० 5360/65 ।]**

भारत के राज्य व्यापार निगम का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत भारत का राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1964–65 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5361/65 ।]**

(दो) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 के अन्तर्गत वर्ष 1964–65 के लिए नारियल जटा बोर्ड के क्रियाकलापों और उक्त अधिनियम के लागू किये जाने के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5362/65 ।]**

एयर इण्डिया का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं विमान निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) एयर इंडिया का वर्ष 1964–65 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5363/65 ।]**

(2) इंडियन एयरलाईन्स कारपोरेशन का वर्ष 1964–65 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5364/65 ।]**

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

श्री मनुभाई शाह : मैं श्री त्रि० ना० सिंह की ओर से निम्नलिखिन पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1964–65 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5365/65 ।**]

मद्रास सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) : मैं श्री व० सू० मूर्ति की ओर से मद्रास सहकारी समिति अधिनियम, 1932 की धारा 65 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 343/65, जो दिनांक 14 सितम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत केरल सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों में कतिपय संशोधन किये गये, की एक प्रति सभापटल पर रखेंगे । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5366/65 ।**]

भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का सातवां प्रतिवेदन

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं संविधान के अनुच्छेद 350 बी (2) के अन्तर्गत भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 1964 तक की अवधि के सातवें प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5367/65 ।**]

परिसीमन आयोग का आदेश आदि

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 10 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 11 जिस के द्वारा मैसूर राज्य में संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया तथा जो दिनांक 27 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3709 में प्रकाशित हुआ था । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5368/65 ।**]

(2) खादी तथा ग्रामोद्योग सम्बन्धी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन, उस के परिशिष्ट तथा उन पर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की टिप्पणियां । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5369/65 ।**]

(3) केरल विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन, 1965 । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5370/65 ।**]

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्री जगन्नाथ राव द्वारा सभा पटल पर रखे गये पत्र संख्या 3 से उत्पन्न प्रश्न, अर्थात, केरल मे आम चुनावों के बारे में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या यह सच है कि, जैसा कि केरल के राज्यपाल श्री अ० प्र० जैन ने कहा है, केरल में आम चुनाव होने वाले हैं, क्या यह भी सच है कि राज्यपाल और कांग्रेस अध्यक्ष, श्री कामराज में आपस में मतभेद है, और यदि हां, तो केरल के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रतिवेदन जो सभा पटल पर रखा गया है, पिछली बार हुए चुनाव के बारे में है ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह तो मैं जानता हूं । इसी सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस से नहीं उठता है ।

उन भारतीय राष्ट्रिकों की एक सूची जिन्होंने रंगून स्थित भारतीय दुतावास में अपने आभूषण जमा कराये हैं

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं उन भारतीय राष्ट्रिकों की एक सूची सभा-पटल पर रखता हूं जिन्होंने रंगून स्थित भारतीय दूतावास में अपने आभूषण जमा कराये हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5371/65 ।]**

श्री स० मो० बनर्जी (कानपूर) : क्या बर्मा से आभूषणों तथा चल सम्पत्ति के प्रत्यावर्तन के बारे में भारत सरकार तथा बर्मा सरकार के बीच कोई समझौता हो गया है ?

अध्यक्ष महोदय : वह इस समय इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

तिरसठवें प्रतिवेदन के अध्याय पांच के बारे में विवरण

श्री अ० चं० गुहा (बारसाट) : मैं प्राक्कलन समिति के 63वें प्रतिवेदन के अध्याय पांच में की गई सिफारिशों का उत्तर, जो प्रतिवेदन में शामिल किये जाने के लिए सरकार द्वारा समय पर नहीं भेजा गया था, दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5372/65 ।]**

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या सरकार ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण दिया है कि इस मामले में देर क्यों हो गई थी ?

श्री अ० चं० गुहा : सामान्य प्रक्रिया यह है कि जब भी प्राक्कलन समिति अथवा संसद की किसी वित्तीय समिति का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया जाता है तो इस प्रतिवेदन का प्रारूप सरकार को भेज दिया जाता है जो इस पर विचार करती है और उत्तर देती है और इस प्रकार कुछ समय तक पत्र व्यवहार होता रहता है । तत्पश्चात एक अन्तिम अवस्था आती है जब सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्रतिवेदन अन्ततोगत्वा संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । ऐसी पहली बार नहीं हुआ है । यह तो एक निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, हम सरकार तथा अन्य निकायों के साक्षियों से पूछ ताछ करते रहते हैं । कुछ उत्तर इतनी देर से प्राप्त होते हैं कि उनको सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया जा सकता ।

लोक-सभा में कार्य-संचालन के बारे में बातें

POINTS RE : CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA

Dr. Ram Manohar Lohia : Under Rule 176(1), I would like to seek some clarification in respect of Rule No. 377 of Rules and Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha and Article No. 105(3) of our Constitution.

Rule No. 377 clearly states that any matter, which is not a point of order, can be raised in this House after obtaining the consent of the Speaker. Since no directions have been issued by you as to how this discretion will be exercised,

we will have, therefore, to interpret this Rule in the context of Article No. 105(3) of our Constitution which provides that so long as the powers, privileges and immunities are not defined by Parliament by law, they shall be the same as are enjoyed by the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom. Since no directions have been issued and no ruling or decision has been given under Rule 377, we will have, therefore, to follow the House of Commons in this regard.

I would now like to draw your attention to page 248 of a book entitled "The Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament," by Sir Thomas Erskine May where it has been stated :

> "The chief characteristics attaching to the office of Speaker in the House of Commons are authority and impartiality."

I think both these characteristics are supplement to each other. The more the impartiality, the more the authority; and more the authority, the more the impartiality. It has also been stated at page 249 of the same book :—

> "Confidence in the impartiality of the Speaker is an indispensable condition of the successful working of procedure, and many conventions exist which have as their object not only to ensure the impartiality of the Speaker but also to ensure that his impartiality is generally recognised."

It is quite clear that in order to ensure the impartiality of the Speaker, these are some conventions of the House of Commons in the context of which we will have to interpret Rule No. 377 and in order to understand these conventions, I would draw your attention to page 299 of the same book. Where it has been stated :—

> "The conclusion of public business is invariably followed by the moving of an adjournment motion by a member of the Government..... S No. 1(6) allows an interval of half an hour between the moving of this motion and the compulsory adjournment of the House without question put and the right to choose the subject of, and initiate, the discussion during this period on Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Fridays is determined by means of a fortnightly ballot held by the Speaker and on Thursdays by the Speaker's own choice."

From the above, it can be observed that you are simply required to determine the priority of the motions received for raising discussion on Mondays, Wednesdays and Fridays by means of a ballot and you cannot exercise any discretion in regard to them. But in case of motions received for raising discussion on Tuesdays and Thursdays, you can exercise your discretion as to which motion should be taken up.

What I want to impress upon is this that in so far as the rule relating to adjournment motions is concerned, it has almost been made meaningless. Because as fas as I know not a single adjournment motion has been admitted during the current session and thus in practice this particular rule has altogether been finished. I do not think that this Rule which comes immediately after Rule No. 376, is superflows or purposeless. We should, therefore, be allowed to exercise our power under this rule to raise any matter for raising discussion daily for half an hour as is exercised by Members of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom.

[Dr. Ram Manohar Lohia]

Moreover in order to have discussion on a more democratic basis and also with a view to make the said rule purposeful, it should be interpreted properly in the context of the practice being followed in the House of Commons so that we may also be able to enjoy that power which is being enjoyed by the House of Commons.

Mr. Speaker : There is a practice in the House of Commons that a motion for adjournment of the House is moved by a member of the Government and decision on it is taken by the House and this discussion takes place for half an hour daily. But here this matter has been left to the Speaker upto which time the House will sit and as such the practice of House of Commons is not followed here. The Rule No. 377 does, therefore, not apply like that. In so far as the right to raise points of order regarding small matters is concerned, it is there and he can raise them under Rule No. 377. It is for me to see its details of working as to how details should be worked out under that omnibus Rule so that business could be conducted here smoothly. I think, the rules and regulations being followed here are all right.

Then he pointed out that they get half an hour daily for discussion of an adjournment motion whereas no such time is allotted here for that purpose. There is no provision for call attention notice in that House, whereas no much difference has been made between the call attention notice and the adjournment motion here. When there was no provision for call attention notice, even then, I would like to point out that the number of adjournment motions which have been admitted by me during the last four years, were not admitted by my predecessor even giving a period of five years.

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : यह तो देश की परिस्थितियों पर निर्भर करता है । हो सकता है उस समय परिस्थितियां कुछ अधिक अच्छी थीं ।

Mr Speaker : May be, that is possible. I do not deny that, but I said that the purpose for which adjournment motions are tabled is that the matter of urgent public importance might be discussed the same day and this purpose can be served by tabling call attention notices also and accordingly we have been making more use of the latter device for this purpose. Sometimes two call attention notices were allowed to be taken up in a single day—one in the morning and the other in the evening—in contravention of the rules and thus in this way I have been attempting to override the rules. As regards adjournment motions, their device is generally not adopted and instead call attention notices are tabled by means of which the same purpose is served. But at the same time adjournment motion has not been barred and the right to ask for leave to move it is there and this device can be adopted in the special circumstances. Besides, a number of half-an-hour discussions were also allowed.

The suggestion that the practice and procedure being followed by others should also be adopted here and the practice and procedure which is not being followed by others should be eliminated, cannot be given a practical shape. We cannot follow others exactly like this. It is regretted that I have no option but to follow the existing practice.

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, you have not given interpretation of Rule No. 377.

Mr. Speaker : There can be no further discussion now. You have already expressed your views and I have also expressed my views.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

कार्यवाही-सारांश

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई (72वीं से 76वीं) बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

नियम समिति

RULES COMMITTEE

कार्यवाही-सारांश

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं नियम समिति की 11 नवम्बर, 1965 को हुई बैठक का कार्यवाही-साराश सभा-पटल पर रखता हूं ।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

कार्यवाही-सारांश

श्री सिद्धनंजप्पा (हसन) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई (14वीं से 17वीं) बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमन्, कल जब एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया था तो आपने सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति को इस मामले के बारे में आगामी अधिवेशन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया था। क्या सभा इससे यह समझे कि इस मामले पर अगला अधिवेशन आरम्भ होने से पूर्व विचार कर लिया जायेगा और प्रतिवेदन अधिवेशन के पहले दिन ही प्रस्तुत किया जायेगा ? कुछ अन्य आश्वासन ऐसे हैं जो पिछले $3\frac{1}{2}$ अथवा 4 वर्ष से लम्बित पड़े हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने समिति को आगामी सत्र में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा है न कि अधिवेशन के पहले दिन । समिति ने अभी इस पर अब विचार करना है ।

राज्य-सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमन्, मुझे राज्य सभा से प्राप्त हुए इस सन्देश की सूचना देनी है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विधेयक, 1965 को राज्य सभा ने अपनी 6 सितम्बर, 1965 की बैठक में पारित किया ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विधेयक
JAWAHAR LAL NEHRU UNIVERSITY BILL
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

सचिव : मैं राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विधेयक 1965 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति
PRESIDENT'S ASSENT TO BILL

सचिव : श्रीमन्, मैं चालू अधिवेशन में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किया गया करारोपण विधियां (संशोधन तथा विविध उपबंध) विधेयक, 1965 जिस पर 3 दिसम्बर, 1965 को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, सभा-पटल पर रखता हूं ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATE'S COMMITTEE
अठासीवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुहा (बारसाट) : मैं भूतपूर्व खान तथा ईधन मंत्रालय—कोयला नियंत्रक संगठन, कोयला वहन, कोयला कोर्ड, कोयला धोने के कारखाने, भारत की कोयला परिषद् आदि—के बारे में प्राक्कलन समिति के 33 वें प्रतिवेदन में की गई सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में प्राक्कलन समिति का 88वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

लोक-लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
बयालीसवां प्रतिवेदन

श्री मुरारका (झूंझुनू) : मैं वैदेशिक-कार्य, स्वास्थ्य, गृह-कार्य, सूचना तथा प्रसारण तथा श्रम और रोजगार मंत्रालयों सम्बन्धी विनियोग लेखे (सिविल), 1963–64, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1965 और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 1965 के बारे में लोक-लेखा समिति का 42 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
तेरहवां प्रतिवेदन

श्री प० गो० मेनन (मुकन्दपुरम) : मैं सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध तथा प्रशासन (परियोजनाओं) का आयोजन) सम्बन्धी सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 13 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : खाद्य मंत्री पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों के आयात के बारे में आज 2.30 बजे वक्तव्य देंगे । प्रधान मंत्री का वक्तव्य 4 बजे होगा ।

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण
PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : श्रीमन्, शुक्रवार, तीन दिसम्बर, 1965 को जब अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र के नाम में परिवर्तन करने के प्रयोजन से श्री हरि विष्णु कामत का संविधान (संशोधन) विधेयक विचारार्थ लोक-सभा के समक्ष आया तो मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि इस विधेयक को न ही प्रस्तुत किया जा सकता है और न ही इस पर विचार किया जा सकता है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने हेतु कोई भी विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश करने पर ही लाया जा सकता है । मेरे इस व्यवस्था के प्रश्न का इस आधार पर विरोध किया गया था कि यह रुकावट राज्यों के नामों में परिवर्तन करने के बारे में है न कि संघ राज्य क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन करने के बारे में । इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान सामान्य खण्ड अधिनियम (जनरल क्लाज़ेस एक्ट) की, जो संविधान का निर्वचन करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 367(1) के अन्तर्गत लागू होता है, धारा 3(58) में "राज्य" शब्द की जो परिभाषा दी गई है उसमें संघ राज्य क्षेत्र को भी राज्य माना गया है । अतः मेरा व्यवस्था का प्रश्न पूर्णतया सही था । परन्तु जब मैं इस सम्बन्ध में अपने तर्क दे रहा था तो मेरे माननीय मित्र, श्री नाथ पाई ने यह कहा था कि "वह कहते हैं, संघ राज्य क्षेत्र भी राज्य हैं ; यह एक पूरातिया अनभिज्ञ बयान है।" मैं एक संसद्विज्ञ के रूप में श्री नाथ पाई का बड़ा आदर करता हूं और इसलिये उन के उक्त कथन से मुझे विशेष रूप से आश्चर्य हुआ था । मेरा निवेदन यह है कि मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न केवल इस अभिप्राय से उठाया था कि सभा का समय एक अवैध संकल्प पर विचार करने में नष्ट न हो ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : श्रीमन्, क्या हम यह समझे कि क्या एक ऐसे व्यवस्था के प्रश्न का, जिसका पहले निपटारा कर दिया गया हो, इस प्रकार अपने रवैये को युक्तियुक्त ठहराने के लिये पुनः उल्लेख किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी व्यवस्था के प्रश्न का पुनरीक्षण नहीं कर रहा हूं अथवा पुनः नहीं उठा रहा हूं । यह तो केवल वैयक्तिक स्पटीकरण है जो उन्होने दे दिया है ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : सब से पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे विचार में माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न अर्थहीन था । यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था, इस बारे में मैं उन से पूर्णतया सहमत हूं । परन्तु मैंने यह नहीं कहा था कि श्री दीक्षित पूर्णतया अनभिज्ञ हैं । मेरा निर्देश तो उन द्वारा उठाये गये प्रश्न के बारे में था । मैंने उन के ज्ञान के बारे में कोई असम्मान जनक बात नहीं कही है । और यदि मुझे इस सम्बन्ध में कोई शंका थी तो उसे भी उन्होंने अपने स्पष्टीकरण द्वारा दूर कर दिया है ।

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (संशोधन) विधेयक
UNIT TRUST OF INDIA (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि युनिट ट्रस्ट आफ इंडिया अधिनियम, 1963 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया अधिनियम, 1963 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । / *Motion was adopted.*

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : श्रीमान्जी, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : श्रीमन्, मैं आप से पुनः निवेदन करता चाहती हूं जैसा कि मैं आप से पहले ऐसे कई अवसरों पर कर चुकी हूं जब भी गैर-सरकारी सदस्यों के समय का उपयोग अन्य कार्य के लिये करने का प्रयत्न किया जाता है । आज प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने के अतिरिक्त और भी वक्तव्य दिये जायेंगे जिनके बारे में पहले ही घोषणा की जा चुकी है । मेरे विचार में कुछ ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि ये सभी मामले अधिवेशन के अन्तिम दिन के लिये नहीं रखे जाने चाहिये । ऐसी सभी महत्वपूर्ण घोषणायें एक दिन अथवा एक सप्ताह पहले कर दी जानी चाहिये । ऐसा बिल्कुल कोई कारण दिखाई देता है कि गैर-सरकारी सदस्यों के समय का उपयोग अन्य कार्य के लिये किया जाये । अतः मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप यह बात स्पष्ट कर दें कि भविष्य में गैर-सरकारी सदस्यों के समय का उपयोग इस प्रकार अन्य कार्य के लिये नहीं किया जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : सभी नियम "जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दे" शब्दों से आरम्भ होते हैं ? परन्तु नियम 26 अनिवार्य है इसे किसी के विवेक पर नहीं छोड़ा गया है । इस शुक्रवार अथवा किसी अन्य दिन समय निकाला जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से सहमत हूं । परन्तु मेरी कठिनाई यह है कि अब भी हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर ही विचार करने जा रहे हैं :

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : यह एक भिन्न बात है कि शुक्रवार की बैठक के अन्तिम ढ़ाई घंटे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये होते है ।

अध्यक्ष महोदय : खाद्य मंत्री ढ़ाई बजे की बजाय सवा दो बजे वक्तव्य देंगे ।

सीमेंट से नियंत्रण हटाने के बारे में प्रस्ताव--(जारी)
MOTION RE : DECONTROL OF CEMENT—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री स० मो० बनर्जी द्वारा 3 दिसम्बर, 1965 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा करेगी :

"कि यह सभा सीमेंट से नियन्त्रण हटाने सम्बन्धी उद्योग मंत्री के वक्तव्य पर, जो 18 नवम्बर, 1965, को सभां पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I want that a discussion should be held on the closure of Textile mills and the retrenchment of workers. Many subjects were only partly discussed during this session. Hon. Minister should not give reply today and those discussions which were not completed should be completed today. It is a question of lakhs of workers. It must be discussed.

Shri K. D. Malaviya (Basti) : Ragarding decontrol of cement I want to say that it is a very serious matter. This system of decontrol is not in line with our Industrial Policy Resolution. This should be discussed thoroughly.

The Minister of Communication and Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha) : Sir, Twenty-two and a half hours were allotted for these items. Had the schedule been adhered to, there would not have been any difficulty. The time was extended for some items and now we have to carry over certain items.

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : मुझे प्रसन्नता है कि इस विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

इस चर्चा में बड़ी रचनात्मक आलोचना हुई है । हमारी अर्थव्यवस्था में नियन्त्रण के हटाने या लगाने को सैद्धान्तिक ढंग से नहीं सोचना चाहिये । इस से हमारे समाजवादी समाज के सिद्धान्तों तथा औद्योगिक नीती के संकल्प पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है । हमारी नीति किसी प्रकार की कट्टरता की नीती नहीं है। हमने अपने आपको परिस्थितियों के अनुसार बदला है। सरकारी क्षेत्र के साथ गैर-सरकारी क्षेत्र को भी प्रोत्साहन देना है । हमारी अर्थव्यवस्था मिली जुली अर्थव्यवस्था है ।

हमने सीमेंट उद्योग में विनियोजन को देखा है और पाया है कि इस में कमी होती जा रही है । इसके कारण उद्योग को बहुत हानि हुई और उपभोक्ताओं जैसे कृषको आदि को कठिनाई हुई है । अब हम ने इस के उत्पादन में वृद्धि के उपायों के बारे में सोचा है । गैर-सरकारी क्षेत्र में सीमेंट के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयत्न पूर्ण रूप से सफल नही हुए हैं । हमने सरकारी क्षेत्र में कुछ धन लगाने की बात सोची है । सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि के लिये एक अभ्यावेदन सरकार के समक्ष है और उसपर अभी निर्णय होना है । इस बात पर विचार होगा । हम यह भी चाहते थे कि सीमेंट उद्योग में अधिक धन लगे । गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये यह संभव नहीं कि वह वर्तमान परिस्थिती में पर्याप्त धन लगा सके सरकारी क्षेत्र से भी इस में धन लगाया जायेगा ।

सीमेंट पर लागत के प्रश्न पर भी विचार किया गया है । हमने महसूस यह किया है कि इस में कम से कम 12 प्रतिशत् लाभ होना चाहिये और इसे अन्य ढंगों से इधर उधर न लगा दिया जाये । पहले यही होता रहा है । इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि कीमतों में वृद्धि से मिलने वाली आय को विस्तार कार्य में लगाया जाये, सीमेंट उद्योग को यह आश्वासन देना होगा कि ऐसे साधनों को बिल्कुल अलग रखा जायेगा और उनको किसी और काम में नहीं लगाया जायेगा । इसके अनुसार प्रत्येक उत्पादक एक पृथक खाता रखेगा और इस मूल्य की वृद्धि से होने वाली आय को केवल विस्तार कार्य के लिये प्रयोग में लायेगा । सीमेंट उद्योग के लिये हमने पहले ही एक विकास तथा अनुसंधान निधि खोल दी है। यह निर्णय ठीक समय पर किया गया है। इस से सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि होगी। सीमेंट उद्योग ने मुझे आश्वासन दिया है कि किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी । मैंने उन पर विश्वास किया है और मैं चाहता हुं कि उनको अवसर दिया जाना चाहिये।

वितरण के बारे में प्रक्रिया तैयार हो रही है । इस लिये हमें उस से पहली ही वितरण व्यवस्था की आलोचना नहीं करनी चाहिये । मेरे विचार में एक वर्ष या दो ढ़ वर्ष के बाद सीमेंट की कमी नहीं रहेगी । मुझे बड़े बड़े लोगों से भी शिकायतें मिली हैं । वे भी कहते है कि भविष्य में शायद उन्हे सीमेंट प्राप्त न हो ।

पाकिस्तानी आक्रमण के कारण हमारे अनुमानों में कुछ परिवर्तन आ गया है और विदेशी मुद्रा की कमी हो गई है ।

हमें उद्योग को अवसर देना चाहिये और देखना चाहिये कि वे लोग कैसा व्यवहार करते हैं। यहां पर जो व्यक्तिगत आक्षेप लगाये गये हैं वे उचित नहीं है । हां, नीती की आलोचना की जा सकती है।

वितरण की व्यवस्था के बारे में कहा गया है कि विधान मंडलो को भी इससे सम्बन्ध किया जावे । मैं समझता हूं कि एसा करना ठीक नहीं होगा। इस बारे में ब्यौरे अभी तैयार हो रहे हैं । मैं माननीय सदस्यों से इस बारे में मन्त्रणा करूंगा । हमें मिल मालिकों के आश्वासनों पर भी विचार करना है और देखना है कि हम उनपर कहां तक निर्भर कर सकते हैं । हमें देखना होगा कि वास्तव में ही धन लगाया जाता है या नहीं । हमारे मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है कि सीमेंट हर जगह उपलब्ध हो और दूसरे इस का मूल्य अधिक नहीं होना चाहिये । इन उद्देश्यों की पूर्ति ही हमारा लक्ष्य है ।

[श्री त्रि० ना० सिंह]

मैंने गैर-सरकारी क्षेत्र के सीमेंट उद्योगपतियों को स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि यह अवसर उन्हे एक साल के लिये दिया जा रहा है । उसके बाद देखा जायेगा कि उद्योग का व्यवहार कैसा है यदि यह ठीक न हुआ तो गैर-सरकारी क्षेत्र को हानि उठानी पड़ेगी और स्थिति पर पुनः विचार किया जायेगा ।

मैं राज्य व्यापार निगम के इस कार्य में लाने के पक्ष में नहीं हूं । हमें गैर-सरकारी क्षेत्र के उत्पादकों पर ही यह काम छोड़ देना चाहिये । एक वर्ष के लिये हमें देखना चाहिये । मेरा सभा से अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करे ।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : कटिहार सब-डिवीज़न में सीमेंट बिल्कुल नहीं मिलता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि नियन्त्रण के हट जाने के बाद धनी लोग इस का स्टाक कर लेंगे और गरीबों को यह उपलब्ध नहीं होगा ? क्या सरकार ने नियन्त्रण हटाकर अपनी नीति में परिवर्तन नहीं किया है ? सीमेंट की पहले ही कमी है । क्या सरकार ने अपनी नीति बदल ली है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : एक समाचार पत्र में छपा है कि कुछ कांग्रेसी सदस्य भी सीमेंट पर से नियन्त्रण हटाने के पक्ष में नहीं थे । मैं नियन्त्रण के पक्ष में नहीं हूं यदि इससे कोई लाभ न हो तो परन्तु यदि नियन्त्रण के हटाने से भ्रष्टाचार फैले तो नियंत्रण नही हटाया जाना चाहिये ।

जब अखिल भारतीय सीमेंट निर्माता संघ तथा जनसाधारण नियन्त्रण को हटाना पसन्द नहीं करते तो इस से क्या लाभ होगा ?

अब सीमेंट की खपत में वृद्धि होगी परन्तु यदि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई तो सीमेंट के बड़े बड़े उद्योग-पति मनमानी करेंगे और देश को इस प्रकार कुछ भी प्राप्त नहीं होगा ।

मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह इस निर्णय पर पुनः विचार करें । राज्य व्यापार निगम की उपेक्षा कर दी गई है और उद्योगपतियों के हाथ में सब कुछ दे दिया गया है । यह उचित नहीं है । सरकार को देखना चाहिये कि क्या इस निर्णय से केवल उन ही लोगों को लाभ नहीं जो देश को लूट रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सीमेंट से नियन्त्रण हटाने सम्बन्धी उद्योग मंत्री के वक्तव्य पर, जो 18 नवम्बर, 1965 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । / *The motion was adopted.*

नियम 193 के अन्तर्गत कपड़ा मिलों आदि के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा

DISCUSSION UNDER RULE 193 RE : CLOSURE OF TEXTILE MILLS ETC.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, I beg to raise a discussion :

"On the closure and likely closure of textile mills and large-scale retrenchment and lay-off in engineering and other industries."

In this connection I would like to submit that it is wrong for the Minister of Commerce to say that there is no serious problem in regard to textile mills because the statistics put forward by him are not correct. Thousands of labourers have been retrenched due to closure of mills in Bombay and other parts of the

country and thousands are likely to be retrenched. The report of the Minister of Labour also confirms that unemployment is on the increase. As a result of this, the families of these retrenched labourers are suffering from hunger. I would like to submit to the hon. Minister, Shri Manubhai Shah that the statistics given by him are not correct and the House should not be misled in this way. It is very serious problem and the House should consider it seriously.

The hon. Minister has said that the Government has taken a decision to take over six mills of Bombay; the labourers of these mills have not received their salaries for the last two months. Although the money has been sanctioned but it has not reached them so far.

The Government appointed an officer to look after Sholapur Mills and we have received complaints against him. I would request the hon. Minister to look into it.

The Government generally advances this argument that under the Constitution, they can take over the mills at the most for ten years and then they have to hand over them to the mill-owners. In this connection, I would like to say that the Government should come forth with some amendment to the Constitution as they had done in other cases.

If the Government is keen to implement its programme regarding socialistic pattern of society it must remove the obstacle regarding right to property under the Constitution. I am putting forth a very simple demand that these mills should be nationalised and until this aim is achieved these mills should be taken over by the Government. It is strange plea that Government do not propose to take over these mills on the plea that they are the personal properties which are protected by the Constitution. The Constitution should be amended and the management taken over by the Government. It should be ensured that while taking over the management the wages of the labourers are not curtailed as was done in Vidarbha.

The textile industry is earning huge profits but they are not doing anything for rationalisation. All the money was pocketed by the mill-owners in one way or the other. Even the officers appointed by the Government indulge in corrupt practices.

Many mills had to be closed down because of the shortage of raw material. No steps have been taken in this regard for the last fifteen years. I would like the hon. Minister to take some concrete steps for producing necessary raw material in the country so that the mills are not closed and the labourers do not become the victims of retrenchment.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस विषय पर चर्चा खाद्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बाद करेंगे ।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरिका से गेहूं सम्भरण

STATEMENT RE : WHEAT SUPPLIES FROM U.S.A. UNDER P. L. 480

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : अमरीकी सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि वर्तमान खाद्य स्थिति का सामना करने के सम्बन्ध में अंग्रतर प्रबन्धों को अन्तिम रुप देने से पहले भारत को 15 लाख टन गेहूं प्रारम्भिक रूप से तुरन्त उपलब्ध किया

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

जायेगा जिसके लिये अपेक्षित निधियां पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत उपलब्ध की जायेगी। अमरीकी प्रशासन ने 5 करोड़ डालर के ऋण की भी घोषणा की है जो उर्वरक खरीदने के लिये होगा तथा इस ऋण के सम्बन्ध में एक करार पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किये जायेंगे। भारत सरकार अमरीकी प्रशासन के इस सद्भाव की प्रशंसा करती है तथा राष्ट्रपति जान्सन का धन्यवाद करती है जिन्होंने इस देश की तात्कालिक तथा दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने तथा इस देश को खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर होने में सहायता देने में वैयक्तिक रूचि दिखाई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता, दक्षिण-पश्चिम) : मैं यह जानना चाहता हूं कि संघर्ष के बाद क्या कोई दीर्घकालीन समझौता हुआ है और यह समाचार कहां तक ठीक है कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत आने वाले कुछ गेहूं के लिये हमें डालरों में भुगतान करना पड़ेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : डालरों में भुगतान के बारे में कोई बात नहीं हुई है। मैंने कहा है कि यह 15 लाख टन गेहूं अमरीका की ओर से प्रारम्भिक सहायता के रूप में है और यह हमारी वर्तमान खाद्य कठिनाई को दूर करने के लिये अमरीका द्वारा दी जाने वाली सहायता का भाग है। मुझे आशा है कि कुछ समय के अन्दर दीर्घकालीन करार किया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात आई है कि कांग्रेस अध्यक्ष, श्री कामराज ने यह कहा है कि वह देश को भूखें रखना पसन्द करते हैं परन्तु गेहूं लेना पसन्द नहीं करते।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है। श्री नाथ पाई।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : क्या माननीय मंत्री यह बता सकेंगे कि देश पर वास्तव में खाद्य का कितना बड़ा संकट है क्योंकि एक अन्य मंत्री महोदय का यह विचार है कि खाद्यान्न के अभाव के बारे में बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है और अभाव इतना अधिक नहीं है। यह कहां तक ठीक है और हम खाद्य समस्या को किस प्रकार हल करेंगे ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : माननीय वित्त मंत्री ने यह कहा था कि इस वर्ष खाद्यान्न का इतना अभाव नहीं रहेगा क्योंकि पिछले वर्ष फसल अच्छी हुई थी और पिछले वर्ष का बचा हुआ खाद्यान्न इस वर्ष काम आयेगा। यह ठीक है और हम बचे हुये इस खाद्यान्न का भी प्रयोग कर रहे हैं अन्यथा स्थिति और भी जटिल हो जाती। परन्तु यह खाद्यान्न हमारे लिये जनवरी फरवरी तक ही काफी होगा और ऐसा मालूम होता है कि फरवरी के बाद स्थिति गम्भीर हो जायेगी।

श्री नाथ पाई : यह एक जटिल समस्या है और माननीय मंत्री को यह बताना चाहिये कि इस वर्ष खाद्यान्न का वास्तव में कितना अभाव है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह एक दीर्घकालीन समझौते के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : May I know what would be the mode of payment for the wheat we are receiving as a result of preliminary arrangement; how much of the amount would be paid in rupees and how much in foreign exchange ?

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार एक दीर्घकालीन समझौते के बारे में बातचीत कर रही है।

श्री बड़े (खारगोन) : हमें यह सुन कर प्रसन्नता हुई है कि अमरीका पन्द्रह लाख टन गेहूं दे रहा है। क्या इसके साथ उन्होंने कोई शर्त लगाई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसके साथ तनिक भी कोई शर्त नहीं है।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : जब भारत में यह गेहूं आ जायेगा तो क्या सरकार मैसूर को नौ लाख टन गेहूं उपलब्ध करायेगी जिसकी मैसूर के मुख्य मंत्री ने मांग की है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम गेहूं की प्राप्यता को देखते हुये सभी राज्यों की मांगें पूरी करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : हमें समाचार पत्रों से यह पता लगा है कि माननीय ऋषि मंत्री अमरीका जा रहे हैं। क्या वह वहां उर्वरक कारखानों के बारे में भी बातचीत करेंगे ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने भी समाचार पत्रों में यह समाचार पढ़ा है परन्तु सरकारी तौर पर मैंने इस बारे में कुछ नहीं सूना है।

नियम 193 के अन्तर्गत कपडा मिलों आदी के बन्द किये जाने के बारे मे चर्चा—(जारी)

DISCUSSION UNDER RULE 193 RE: CLOSURE OF TEXTILE MILLS—*Contd.*

श्री सोनावने (पंढरपुर) : महाराष्ट्र में कई कारखाने बन्द हो गये हैं और उन्हें दोबारा चालू करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया। कई समितियां नियुक्त की गई थी और उन्होंने इस कार्य की जांच की। मालिकों के नाम ऋण बढ़ते जा रहे हैं परन्तु सरकार ने उनसे ऋण वसूल करने की कोई योजना नहीं बनाई है। सरकार ने केवल यही कहा है कि 22 मिलों में से 10 मिलों को बन्द किये जाने की सिफारिश की गई है और समस्या केवल 12 मिलों के बारे में उत्पन्न होती है। यह कोई हल नहीं है। इन कारखानों के मज़दूर बेरोज़गार हो गये है और वे भूख हड़ताल कर रहे हैं। मजदूर को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और उत्पादन में भी कमी हो गई है। इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं परन्तु केन्द्रीय सरकार को आरम्भ से ही अधिक सक्रिय होना चाहिये था। समयानुसार उचित कदम उठाये जाने चाहियें ताकि स्थिति अधिक गम्भीर न हो जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम) : इस समय देश को बहुत सी कपड़ा तथा अन्य मिलों के बन्द होने के खतरे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि भारथी मिल्ज़ बन्द नहीं हुई है परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मिल भी बन्द हो गई है। इसी प्रकार पंगेश्वरी काटन मिल्ज़ भी चार महीनों से बन्द पड़ी है। यदि मिलों के बन्द होने के कारणों की जांच की जाये तो पता लगेगा कि ये मिले कच्चे माल अथवा बिजली की कमी के कारण बन्द नहीं हुई हैं। लगभग सभी मामलों में मालिक ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कुप्रबन्ध तथा दुर्विनियोग के कारण मिलों की यह स्थिति कर दी है। माननीय मंत्री ने कहा है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह मिलें बन्द हो रही हैं। यह कहना गलत है। मिल मालिकों ने लापरवाही से धन खर्च करके मिलों की यह हालत कर दी है कि आज उन्हें बन्द किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस विषय पर अगले सत्र में चर्चा होगी। गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

छिहत्तरवा प्रतिवेदन

श्री हेमराज (कांगडा) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छिहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो 8 दिसम्बर, 1965 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छिहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो 8 दिसम्बर, 1965 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। /*The Motion was adopted.*

तेल उद्योग के बारे में संकल्प—(जारी)
RESOLUTION RE : OIL INDUSTRY—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा जो वासुदेवन नायर द्वारा 26 नवम्बर, 1965 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर अग्रेतर चर्चा करेगी :

"इस सभा की राय है कि वर्तमान आपात की दृष्टि से तेल उद्योग को सरकारी क्षेत्र में रखा जाना चाहिये।"

श्री वासुदेवन नायर इस संकल्प पर बोल रहे थे। वह आज यहां उपस्थित नहीं हैं। इस संकल्प पर दो संशोधन हैं। क्या वे प्रस्तुत किये जा रहे हैं ?

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मधु लिमये : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संकल्प पर चर्चा के लिये एक घंटा अठारह मिनट रहते हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I welcome Shri Vasudevan Nair's Resolution regarding nationalisation of Oil Industry but with my amendment. Unless Oil Industry is Nationalised, our foreign and Defence Policies would continue to be pressurised unduly by vested foreign interests. There are four foreign companies who are refining oil in the country and they have monopoly in this industry. They have earned so much profit that they have realised their cost in the first three or four years only. This means that huge profits are being earned by them now and the country is made to suffer huge losses every year. I would, therefore, submit that it is in the fitness of things that atleast all the new refineries be set up in the Public Sector and if possible nationalise the existing foreign companies also.

As operative expenditure of Public undertakings had been high and their capacity had been low, therefore in my substitute Resolution, I have suggested the participation of workers, customers and the management in this Industry and with a view to reduce administrative expenditure, the maximum salary

paid to an employee should not exceed Rs. 1,000. Public Sector Undertakings cannot afford to give fat salaries to its executors. Such disparities would have to be removed and the administrative set up of these companies, when nationalised, would to be democratised. In my opinion, the biggest factor, in not nationalising these foreign companies, is the employment of relatives of Ministers and big Government officials on fat salaries in these companies, when they are not capable of earning even Rs. 300 a month anywhere else. Like this Socialism would remain a pious resolve.

I would, therefore, once again submit that nationalisation should be brought on the basis of democracy and equality.

Shri Shri Narayan Das (Darbhanga) : Petroleum Industry is the base of all industrial progress today and in the context of the state of emergency through which the nation is passing today, we have to examine whether it is advisable to allow foreign companies to function or not. No doubt these foreign Companies were responsible in pioneering the establishment and progress of Petroleum Industry, but now the time has come when either the Industry as a whole or the distribution of petroleum products be taken over by the Government. Considering the difficulties in the way of this take over we find that these foreign companies were conducting their business in a very efficient manner and they have earned huge profits which had gone out of the country to their shareholders whereas we have entered this industry quite recently and it remains to be seen whether we would be able to handle the work equally efficiently. Therefore, what is needed is to gain the know-how and this is why in my amendment I have suggested that a Committee might be appointed to look into the matter in all its details before the Government considers to take over this industry. I hope, the Mover as well the Government would agree to my amendment.

श्री नारायण दाण्डेकर (गोन्डा) : मैं तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण संबंधी संकल्प का विरोध करता हूं क्योंकि मेरे विचार में सार्वजनिक क्षेत्र पहले ही अपने कार्य-भार से दबा हुआ है और इसलिये उसमें इस नई जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की क्षमता नहीं है । यह मैं देश के सर्वाधिक हित में ही कह रहा हूं । 1970–71 तक तेल संबंधी हमारी आवश्यकतायें 3 करोड़ मीट्रिक टन तक की होगी जब कि सरकारी क्षेत्र में चौथी योजना के अन्त तक इसकी क्षमता का लक्ष्य केवल 2 करोड़ 27 1/2 लाख टन रखा गया है । यही लक्ष्य प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात होगी और यदि सरकार यह लक्ष्य प्राप्त कर लेती है तो उसे बहुत बड़ी सफलता समझना चाहिये, और इसपर गर्व किया जा सकता है । मेरे विचार से तो निजी कारखानों का राष्ट्रीयकरण करने के स्थान पर यदि उनकी क्षमता बढ़ायी जाये तभी हम निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं । यदि ऐसा करने की अपेक्षा तेल साफ करने के पूरे उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया तो मेरे विचार में सबको मूंह की खानी पड़ेगी ।

तेल की खोज के क्षेत्र में भी कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत है कि मेरे विचार से सरकारी क्षेत्र अकेला इस कार्य को नहीं कर पायेगा और उनके लिये यह कहना कि हम किसी और को यह कार्य नहीं करने देंगे उचित ही होगा क्योंकि एक तो कार्यक्षेत्र इतना व्यापक है और दूसरे उन निजी कम्पनियों के विशाल अनुभव से लाभ न उठाना ही देश के हित में होगा ।

तेल साफ करने के विभाग में भी यह कहना कि क्योंकि कच्चे तेल के उपार्जन में सरकारी क्षेत्र का एकाधिकार है इसलिये इस विभाग को भी वह अपने हाथ में ले लें ठीक न होगा क्योंकि योजना का पूरा पूरा लक्ष्य प्राप्त करने के पश्चात् भी डेढ़ गुना कच्चा तेल आयात करना होगा । ऐसी हालत में हम तेल साफ करने के सम्पूर्ण उद्योग के राष्ट्रीयकरण की कल्पना भी नहीं कर सकते ।

Shri R. S. Tiwary (Khajuraho) : I feel that the Government is already burdened with enough work and it would not be possible for it to do full justice to the industry. They must allow those companies to function who abide by their orders. This, I think would be in the best interest of the country and therefore it would not be proper for Government to nationalise this Industry.

Shri Bade (Khargaon) : The Resolution has been actuated by the circumstances which prevailed during the recent Indo-Pak crisis. When the country was in due need of petrol and petroleum products, these were denied to us by selfish foreign powers. But before any steps to nationalise the entire oil Industry are taker, we have to assess our capacity to undertake it efficiently and successfully. Unfortunately our experience of Public Sector undertaking has been far from happy. This is because of mis-management and lack of experience in those who run them. In the circumstances, it would not be wise to nationalise them simply swayed by emotion. The Resolution has also been prompted by mismanagement, anti-national feelings and improper distribution of oil and oil products by these foreign companies.

In M. P., where Indian Oil Company have undertaken the work of refining and distribution of oil, foreign companies are putting obstacles in this work. Government should try to exercise some sort of control in their working by purchasing shares etc. in them. The suggestion given by Shri Limaye regarding payment of no compensation in the event of taking over foreign Companies is not fair. This has been provided in our Constitution also.

As pointed out by Shri Dandekar also, the Government do not have enough finances to take over foreign companies, therefore I would suggest that the better course would be to exercise greater control over them rather than nationalising them.

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : First of all I would like to congratulate Shri Humayun Kabir and Shri Algesan who maintained the supply of oil and oil products smooth during the recent conflict. The foreign companies also deserve a part for the smooth supply of oil.

Nationalisation cannot be called a remedy of all ills—Burma and Iran are cases in point. I think the present rate of development of Public Sector refineries is quite satisfactory and it is provided that in 1966 the capacity for each Sector would be equal where it was 73 per cent for Private Sector and 23 per cent for public Sector refineries. Nationalisation would deny all chances of healthy competition and therefore I would not support it and oppose the Resolution now before the House and I would request the Mover to withdraw it.

Smt. Jayaben Shah (Amreli) : I have to draw the attention of the House towards the defects in distribution of crude oil and diesel oil during the Rabi Season and therefore I would suggest that distribution should be handed over to co-operative Sector or Government themselves should take it over.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : In my opinion, nationalisation should be done without loss of time and only then we may consider what further action to take. Shri Raghunath Singh, while opposing this step has mentioned the countries where it had failed but why did he ignore the countries where it had succeeded—Mexico is one such country. In view of the huge profits being earned by foreign oil Companies and liberal concessions in income-tax

and depreciation being enjoyed by them, it is in the national interest to take-over control of such huge-profit yielding concerns. Secondly these companies weild a big handle in our political life by employing the relatives of high officials and big public-men and thus they are able to interfere with political and Governmental decisions which a very undesirable tendency. It is, therefore, necessary that they are disarmed and render them unable to interfere in this manner.

After these Foreign Companies have been nationalised, we would have to bring drastic changes in their set up. First of all let all the hon. Members of this House pledge not to allow any of their relatives upto two generations to join such concerns. Secondly, the corrupt and defaulting officials should be dealt with sternly and jailed. Only then people would consider the seriousness of the intentions of Government.

श्री मा० ल० जाधव (मालेगांव) : तेल किसी राष्ट्र का जीवन होता है, चाहे युद्ध का समय हो या शान्ति का। यह इतनी महत्वपूर्ण वस्तु है कि उसके बिना हम युद्ध नहीं लड़ सकते, उद्योग नहीं चला सकते और कृषि का विकास नही कर सकते। तेल के क्षेत्र में सरकार का काम सराहनीय है।

राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त पर कोई मत भेद नहीं हो सकता। हमने पहले ही लगभग 50 प्रतिशत तेल का राष्ट्रीयकरण कर लिया है। लेकिन विचार योग्य मुख्य बात यह है कि यदि उसका राष्ट्रीयकरण किया जाये तो क्या व्यापार को चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त तकनीकी तथा प्रबन्धक कर्मचारी हैं। पूंजी लगाने का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें ऐसे समय इसका राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिये जबकि हमारी सीमाओं को खतरा है। इसलिए, मैं इस संकल्प का समर्थन नहीं करता हूं। इसके साथ ही मैं यह अनुभव करता हूं कि युद्ध तथा कृषि उत्पादन के लिए यह बहुत आवश्यक है कि तेल उपलब्ध हो सके। लम्बे समय बाद इसे लागू करने की नीति ठीक हो सकती है।

Shri A. N. Vidyalankar (Hoshiarpur) : It is really very creditable for the Government to have put the country on the oil map of the world. We have been able to do it in spite of opposition and hinderances put up by the private oil interests. It is extremely necessary for the Government to increase the area of operation in the field of oil.

Oil is so important that to a very great extent, it guides the politics of Asia. Therefore, more and more Government control is essential so that its regulation and supply may not lead to political pressures. Mixed economy may be alright in regard to other things but there can be no compromise with our avowed policies so far as the essential necessities of the daily life of people are concerned.

The tendency of the Government in the matter of oil should be towards increasing nationalisation with a view to ultimately nationalise the whole of the oil business. That tendency must be clearly reflected in the Government policy towards private companies. In respect of oil industry also the public sector should dominate over private sector.

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : आज की चर्चा में भाग लेने के लिये मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। सरकार की नीति तेल के सम्बन्ध में आरम्भ से ही स्पष्ट रही है। 1948 और 1956 के औद्योगिक नीति संकल्पों और तब से सरकारी कार्यवाही से इस बात में थोड़ा भी सन्देह नहीं रहता है कि राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था के इस महत्वपूर्ण

[श्री हुमायून कबीर]

क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र ही प्रभावी स्थिति में रहेगा। सरकारी क्षेत्र ने पहले ही काफी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है और आने वाले तीन या चार वर्षों में इसके महत्व पर किसी को सन्देह नहीं रहेगा।

माननीय सदस्य श्री दांडेकर ने कुछ आंकड़े बताये है परन्तु यह ठीक नहीं है कि चौथी योजना के अन्त तक सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में समानता हो जायेगी। स्थिति यह होगी कि तेल उद्योग के शोधन का लगभग तीसरा भाग गर-सरकारी क्षेत्र में होगा और दो-तिहाई सरकारी क्षेत्र में होगा और स्थिति में निरंतर सुधार होता रहेगा।

[श्री प्र० के० देव पीठासीन हुए
SHRI P. K. DEO *in the Chair*]

सहयोग के सम्बन्ध में भी यदि पिछले पांच या छः वर्षों में हुये करारों को देखा जाये तो मालूम होगा कि प्रत्येक नये करार के साथ पिछले करार की तुलना में स्थिति में सुधार हुआ है। उस बात का कोई सन्देह नहीं होना चाहिये कि तेल उद्योग को मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र में रखा जायेगा। औद्योगिक नीति संकल्प में यह भी उल्लिखित है कि जहां गैर-सरकारी उद्योग में कुछ छोटे वर्ग होंगे, उन्हें बेदखल नहीं किया जायेगा। इस प्रकार सरकार प्रत्यक मामले पर गुणों के आधार पर विचार करेगी लेकिन बेदखल किसी को नहीं किया जायेगा।

[श्री सोनावने पीठासीन हुए
SHRI SONAVNE *in the Chair*]

माननीय सदस्य, श्री वासुदेवन नायर द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समूचा आधार गलत है। इस समय कोई यह नहीं कह सकता कि तेल कम्पनियां सरकार की राष्ट्रीय नीतियों पर प्रभुत्व जमा सकती हैं। भूतकाल में स्थिति कुछ भी हो, 1950 से यह बात अधिकाधिक सिद्ध हो रही है कि छोटे से छोटा देश भी सब से अधिक शक्तिशाली तेल कम्पनी से भी अधिक शक्तिशाली है। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, तेल कम्पनियों ने उचित व्यवहार किया है और आपातकाल के दौरान भी ऐसा कोई अवसर नहीं हुआ है जबकि हमें किसी मामले में उन्हें ताड़ना करनी पड़ी है। वास्तव में, एक अथवा दो मामलों में उन्होंने हमें सहयोग दिया है। जैसे "ए० टी० एफ०" हमारे देश में पहले उत्पन्न नहीं होता था परन्तु इसका अल्प काल में ही उत्पादन किया गया था।

मेरा रवैया यह है कि उन्हें हमारी शर्तों के अनुसार कार्य करना होगा। उन्हें यहां पर भारत की विधियों के अनुसार कार्य करना होगा और जब तक वे ऐसा करती हैं हम उनके काम में दखल नहीं देंगे। सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह आपातकालीन स्थिति का सामना करने के योग्य है। आतंक वाले उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि उसके कई अवांछनीय और अनावश्यक प्रभाव हो सकते हैं।

यह ठीक है कि तेल उद्योग में अन्य रासायनिक उद्योगों की तरह वसूल और ऋण मुक्ति का दर बहुत अधिक है। वास्तव में विश्व में कोई भी रासायनिक उद्योग ठीक प्रकार से काम करने में सफल नहीं होता जब तक कि इसने अपनी पूंजी का बड़ा भाग पांच या सात वर्षों में प्राप्त न कर लिया हो।

यह ठीक है कि विदेशी पूंजी के देश में आने के समय यह ध्यान रखना होगा कि राष्ट्र के हितों की पूरी तरह रक्षा हो। तेल उद्योग में ऐसा लगातार किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हम अपना नियंत्रण बढ़ा रहे है और कम्पनियों को अपनी बात मनवाने के लिये कई शर्तें लागू कर रहे हैं। यदि संकल्प प्रस्तुत करने वालों की बात को मान लिया जाये तो इस बारे में तुरन्त परिवर्तन हो जायेगा और धन देश में आने के स्थान पर देश से बाहर जाने लगेगा। इससे बहुत सी कठिनाईयां तथा समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी।

1 सितम्बर, 1961 को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कच्चे माल का उत्पादन 100 टन प्रतिदिन था 15 दिसम्बर, 1965 को यह उत्पादन 5,500 टन प्रतिदिन था। हम आशा करते हैं कि आने वाले वर्ष के मध्य तक इसमें और भी वृद्धि होगी। हमने 1971 तक यदि आधा नहीं तो एक-तिहाई कच्चे तेल का देश में ही उत्पादन करने का लक्ष्य निश्चित किया है।

जहां तक तेल शोधन कारखानों का सम्बन्ध है, उन में से दो-तिहाई 1971 तक सरकारी क्षेत्र में होंगे और गैर-सरकारी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र की मांगों और सरकार द्वारा निश्चित की गई नीति के अनुसार कार्य करना होगा।

वितरण के बारे में भी सरकारी क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है और 1970-71 तक हम आशा करते है कि वितरण की जाने वाली मात्रा का 50 प्रतिशत भारतीय तेल निगम के नियंत्रण के अधीन होगा।

श्री श्रीनारायण दास : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।/*The Amendment was, by leave, withdrawn.*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

सभापति महोदय द्वारा श्री मधु लिमये का स्थानापन्न संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 17; विपक्ष में 103/Ayes 17; Noes 103

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।/*The motion was negatived.*

सभापति महोदय : अब मैं मूल संकल्प सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"इस सभा की राय है कि वर्तमान आपात की दृष्टि से तेल उद्योग को सरकारी क्षेत्र में रखा जाना चाहिये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 16; विपक्ष में 96/Ayes 16; Noes 96.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।/*The motion was negativea.*

राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : NATIONAL AND EMOTIONAL INTEGRATION

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद (नालंदा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"इस सभा की राय है कि भारत में राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता स्थापित करने के उद्देश्य से हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से एकता नष्ट करने वाले सभी तत्वों, अर्थात् साम्प्रदायिकता, जातिवाद, प्रदेशवाद, संकीर्ण भाषावाद आदि के उन्मूलन के लिये आवश्यक कदम उठाये जायें।"

[श्री सिद्धेश्वर प्रसाद]

This Resolution is very important at the present juncture. Our country is passing through danger due to Chinese and Pakistani aggression. We have realised on various occasions that we have to depend on our own power, whether it is internal danger or it is from outside.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

It appears from the situation created as a result of Pakistani aggression that there is no dearth of national and emotional integration in our country.

अध्यक्ष महोदय : सभा में काफी शोर हो रहा है । यदि माननीय मंत्री का भाषण सुनना केवल मेरा और रिपोर्टरों का काम है तो हमें सुन लेने दीजिये ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : सदस्य मंत्री महोदय का भाषण सुनने के लिये उत्सुक हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें ।

ताश्कन्द में राष्ट्रपति अय्यूबखां के साथ प्रधान मंत्री की प्रस्तावित भेंट तथा अन्य मामलों के बारें में

PROPOSED MEETING OF THE PRIME MINISTER WITH PRESIDENT AYUB KHAN AT TASHKENT AND OTHER MATTERS

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) : 18 सितम्बर को मुझे रूस के मंत्री परिषद के अध्यक्ष, श्री कोसीजिन से एक पत्र मिला था जिसमे भारत और पाकिस्तान के बीच पुन: शान्ति स्थापित के लिये राष्ट्रपति अय्यूबखां और मेरी ताशकन्द में भेट का प्रस्ताव था । मैंने 22 सितम्बर को श्री कोसीजिन को पत्र भेज दिया है जिसमें मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच शान्ति-पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिये भेट सम्बन्धी उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया है । श्री कोसीजिन ने इसी आशय का एक पत्र राष्ट्रपति अय्यूबखां को भी भेजा है । राष्ट्रपति अय्यूब द्वारा श्री कोसीजिन को भेजे गये पत्र में उन्होंने श्री कोसीजिन को इस प्रस्ताव के लिये धन्यवाद दिया है और ताश्कन्द में बातचीत के लिये कुछ शर्तें रखी है । राष्ट्रपति अय्यूब ने यह भी कहा है कि य शर्तें पहले सुरक्षा परिषद में तय की जानी चाहिए । मने 22 सितम्बर को कोसीजिन के प्रस्ताव तथा अपनी स्वीकृति के बारे में बता दिया है ।

16 नवम्बर को मुझे श्री कोसीजिन ने सूचित किया कि उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रपति से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि रूस के मंत्रि परिषद के अध्यक्ष के प्रस्ताव के अनुसार ताश्कन्द में उनकी और मेरी भेंट की व्यवस्था की जाये । श्री कोसीजिन ने इस सम्बन्ध में मेरे विचार जानने की इच्छा प्रकट की है । जैसा कि सभा अच्छी तरह जानती है कि मैंने प्रस्ताव के लिये मना नहीं किया था । इसके साथ ही मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि जहां तक काश्मीर के प्रश्न सम्बन्ध है, हमारे लिये इस स्थिति से पीछे हटना संभव नहीं है कि काश्मीर भारत का अंग है और हमारे लिये अपने राज्य क्षेत्र को देने का प्रश्न नहीं उठता ।

इसके बाद मास्को में हमारे राजदूत तथा रूस सरकार के बीच विचार विमर्श हुआ और मैं भी भारत में रूसी राजदूत से मिला । मुझे श्री कोसीजिन से 27 नवम्बर को एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने मुझे सूचित किया कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति बिना किसी पूर्व शर्त के ताश्कन्द में प्रस्तावित बातचीत के लिये तैयार है । मुझे बातचीत की तारीख के लिये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये । मैंने श्री कोसीजिन को एक पत्र भेजा जिसमें मैंने जनवरी, 1966 के पहले सप्ताह में बैठक की अपनी सहमति दी । अब यह घोषित किया गया है कि यह भेंट 4 जनवरी, 1966 से आरंभ होगी ।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमने ताश्कन्द में भेंट करने की बात स्वीकार कर ली है क्योंकि हम बातचीत द्वारा शान्तिपूर्ण तथा पड़ौसी के नाते अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने में विश्वास करते हैं। मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि ताश्कन्द में भारत तथा पाकिस्थान के बीच प्रस्तावित बातचीत में समूचे तौर पर पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार किया जाये ताकि दोनों देश स्थायी शान्ति तथा सहयोग के साथ रह सकें।

हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हमें परस्पर अच्छे तथा सहयोगपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करके रहना चाहिए। हम इस बात में विश्वास करते हैं कि युद्ध और सनिक संघर्ष से राष्ट्रों के बीच समस्याओं का कोई हल नहीं हो सकता। यदि पाकिस्तान ने बात चीत का प्रस्ताव सच्चे दिल से यह महसूस करके स्वीकार किया है कि झगड़े से शान्ति अच्छी है तो ताश्कन्द में होने वाली बातचीत लाभदायक रहेगी।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इस समय हमारी सीमाओं पर क्या स्थिति है। मैं अपनी विदेश यात्रा के बारे में भी जो मैं अगले महीने करूंगा सभा को बताना चाहता हूं।

पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमाओं पर स्थिति अशान्त है और युद्ध विराम समझौते के बावजूद पाकिस्तान समय समय पर विभिन्न स्थानों पर इसका उल्लंघन कर रहा है। हमारी सेनाओं बड़े संयम से उसका सामना कर रही है फिर भी उन्होंने स्वभावत: अपने ठिकानों की रक्षा करनी है।

राजस्थान क्षेत्र में युद्ध विराम लागू होने के बाद पाकिस्तान ने उस समझौते की, जिसे उसने स्वीकार किया है, पूर्ण अवहेलना करके कुछ अलग अलग चौकियों पर कब्जा किया है। संभवत: इस स्थिति को सहन नहीं किया जा सकता। अत: स्थिति को सुधारने के लिये कुछ कार्यवाही की गई है और इसमें काफी प्रगति हुई है।

चीन ने भी हमारी सीमाओं पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। उन्होंने कई स्थानों में घुसपैठ करने का प्रयास किया है। यह कहना कठिन है कि चीन का वास्तविक इरादे क्या हैं। परन्तु यह स्पष्ट है कि वह हर समय तनाव का वातावरण बनाये रखना चाहता है तथा अपना दबाव रखना चाहता है।

हमारी सीमाओं पर वर्तमान स्थिति को ध्यान रखते हुए हमें निरन्तर सतर्क रहना है और देश को पाकिस्तान तथा चीन की सांठ गांठ पूर्ण गतिविधियों से सचेत रहने की आवश्यकता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमें लम्बे समय तक स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

आगामी सप्ताहों में मेरा विचार अमरीकी तथा बर्मा सरकार के निमंत्रण पर इन दोनों मित्र देशों का दौरा करने का है। भारत और अमरीका में कई बातें एक समान हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1 फरवरी, 1966 को राष्ट्रपति जॉनसन के साथ होने वाली मेरी बातचीत से दोनों देशों के सम्बन्ध और अधिक घनिष्ठ होंगे। मैं राष्ट्रपति जॉनसन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके खाद्य सम्बन्धी सहायता बढ़ाने के निर्णय से हमारी वर्तमान कठिन खाद्यस्थिति का सामना करने में हमें अधिक सहायता मिलेगी।

सभा को याद होगा कि कुछ मास पूर्व बर्मा के प्रेसीडेन्ट, जनरल ने विन भारत आये थे और मुझे बर्मा आने का निमंत्रण दे गये। मैं सोमवार 20 दिसम्बर को बर्मा जाउंगा और 23 दिसम्बर भारत लौट आउंगा।

मैं जिन देशों में जाउंगा उनकी जनता को भारत की जनता की शुभकामनाओं का संदेश दूंगा। यह हमारा कर्तव्य है कि हम विश्व के देशों की सहानुभूति प्राप्त करने के प्रयास में उनके समक्ष अपने दृष्टि-कोण स्पष्ट करें। हम फिर यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारत शान्ति और विश्व भ्रातृत्व का पक्का समर्थक है।

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

देश को अब भी संकट का सामना करना पड़ रहा है। हमें इनका प्रभावकारी रूप से सामना करना है। हाल के कुछ महीनों ने यह साबित कर दिया कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी जनता की एकता है। जहां तक राष्ट्रीय समस्याओं का सम्बन्ध है उनका मुकाबला करने के लिये भारतीय जनता एक है। इन कठिन परिस्थितियों में सभी राजनैतिक दलों ने जो सहयोग दिया है उसके लिये मैं उनका आभारी हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता में एकता की भावना बनी रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। यदि सदस्य चाहें तो मैं उन सदस्यों को बोलने की अनुमति दूं जिन्होंने ये प्रस्ताव दिये हैं अथवा सभा के हर दल से एक सदस्य को बोलने का अवसर दिया जाये।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : क्या समस्त सभा के लिये यह अधिक अच्छा नहीं होगा कि विवरण के बारे में हर दल के सदस्य बहुत संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करें, क्योंकि ये ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं है ? मैं नहीं समझता .....

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री हीरेन मुकर्जी से सहमत हूं। सभा के लिये यह अधिक अच्छा होगा कि यदि हम जनता के प्रतिनिधियों के रूप में विवरण तथा यात्राओं के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त करें। अतः मेरे लिये यह बड़े हर्ष का विषय होगा कि समस्त देशवासियों की ओर से संक्षेप में हम अपने विचार व्यक्त करें।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : हमारे प्रधान मंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच बातचीत कराने के लिये रूस के प्रधान मंत्री ने जो प्रयत्न किया है हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। हमें यह पूरी आशा है कि ताश्कन्द की वार्ता सलफ होगी और दो पड़ोसियों के बीच स्थायी शांति कायम होगी।

यह आशा है कि प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा से दो महान प्रजातंत्रों में मैत्री और अधिक सुदृढ़ होगी। संयुक्त राज्य अमरीका ने पी० एल० 480 के अन्तर्गत भारत को जो सहायता देने की आज घोषणा की है, उसके लिये हमें उसे धन्यवाद देते हैं। हमें पूर्ण आशा है कि प्रधान मंत्री की बर्मा की यात्रा से बहुत सी समस्याओं के समाधान में सहायता मिलेगी।

श्री ही० ना० मुकर्जी : हम सब प्रधान मंत्री की विभिन्न देशों की यात्रा की सफलता के लिये कामना करते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के निमंत्रण पर प्रधान मंत्रीजी अमरीका की यात्रा पर जा रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा कि वह वहां न जायें, परन्तु यह अवश्य कहूंगा कि अमरीका सरकार ने जो निमंत्रण भेजा है वह बहुत सन्मानपूर्ण नहीं है। यह सही है कि अमरीका ने भारत को दी जाने वाली सहायता में कुछ बढ़ोतरी की है, लेकिन स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। मैं आशा व्यक्त करता हूं कि वह सम्मानपूर्ण राष्ट्र के सम्मानपूर्ण प्रतिनिधि के रूप में वहां जाये और उन्हें अपने कार्य में पूर्ण सफलता मिले।

मैं ताश्कन्द के ऐतिहासिक नगर की प्रधान मंत्री की यात्रा के लिये सफलता की आशा करता हूं। यह बहुत अच्छा है कि भारत और पाकिस्तान की वार्ता एक ऐसे नगर में होगी जो बुखारा और समरकन्द के बहुत समीप है। श्री शास्त्री जी ने इस बारे में स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि हम शांति चाहते है। मैं आशा प्रकट करता हूं कि युद्धविराम के सुदृढ़ होने के पश्चात शांति स्थापित होगी। परन्तु प्रधान मंत्री के इस कथन के बारे में कि बातचीत में काश्मीर को छोड़ कर भारत तथा पाकिस्तान के बीच समूचे पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार किया जायगा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सब उनके साथ हैं तथा हम उनके इस कथन से पूर्णतः सहमत है कि काश्मीर हमारे देश का अंग है, यह हमारे साथ रहेगा और इस पर बातचीत नहीं हो सकती। मैं आशा करता हूं कि इस बारे में विदेशों में जो भ्रम पैदा हो गया है और जो हमारे इस दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत नहीं है कि काश्मीर बातचीत का विषय नहीं हो सकता, प्रधान मंत्री जी अपनी सूझबूझ से उनके समक्ष हमारा दृष्टिकोण रखेंगे तथा उनका यह भ्रम दूर करने में सफल होंगे।

हम राष्ट्रपतिजी के भाषणों का जिनमें उन्होंने कहा है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में पहल कर रहा है, स्वागत करते हैं। हमें यह ज्ञात है कि इसमें कठिनाइयां हैं परन्तु हमें पूर्ण आशा है कि प्रधान मंत्रीजी जिन्हें हमारी जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त है और यही उनकी शक्ति है, इस दशा में अग्रसर होंगे तथा भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच शांति पूर्ण सम्बन्ध स्थापित होंगे।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : हम सब प्रधान मंत्री की ताश्कन्द यात्रा के लिये शुभकामनायें करते हैं। उन्होंने काश्मीर के बारे में सभी सन्देह समाप्त कर के बहुत ही बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित हो, इसका हम सब स्वागत करते हैं। युद्ध में होने वाले विनाश से बचने की हम सब कामना करते हैं। रूस सरकार ने समय समय पर हमें जो सहायता दी है, हम उसके लिए सदा उनके कृतज्ञ रहेंगे। परन्तु साथ साथ हम अमरीका के भी कृतज्ञ हैं कि उसने चीनी आक्रमण के समय तथा अन्य कठिनाइयों में हमारी सहायता की है। हमारा राष्ट्र सदा उसका कृतज्ञ रहेगा, जिन्होंने हमारी सहायता की है।

प्रधान मंत्री की बर्मा की यात्रा पर जाने का जो निर्णय किया है, उसका भी हम सब स्वागत करते हैं। पीछले कुछ समय से बर्मा के साथ हमारे सम्बन्ध इतने मैत्रीपूर्ण नहीं थे, जितने के होने चाहिये थे। हमें पूरी आशा है कि अपने वर्तमान हितों का ध्यान रखते हुए प्रधान मंत्री जी बर्मा सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करेंगे।

यह बहुत गर्व का विषय है कि हमारे प्रधान मंत्री जी की गणना चोटी के राजनीतिज्ञों में की जाने लगी है और हमें आशा है कि उनकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़गी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : इस बात के बावजूद कि पाकिस्तान अभी तक युद्धविराम का लगातार उल्लंघन कर रहा है और अभी तक उसने देश के बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है, प्रधान मंत्री ने ताश्कन्द में भेंट के प्रस्ताव को स्वीकार कर के बहुत ही असाधारण पग उठाया है। परन्तु स्पष्ट रूप से ऐसा विश्व को यह दिखाने के लिये किया गया है कि हमारा देश पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्वक समझौते का सभी उपाय ढूँढने के लिये सदा तैयार है। मैं इस समय किसी अन्य मामले के बारे में नहीं कहूंगा हालांकि मैं इस प्रक्रिया से सहमत नहीं हूं कि प्रधान मंत्रीजी महत्वपूर्ण समस्याओं पर सत्र के अन्तिम दिन वक्तव्य दें। प्रधान मंत्रीजी बार बार यह कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के सभी सम्बन्धों पर चर्चा की जायेगी तथा काश्मीर निश्चय ही वहां की चर्चा का विषय नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस 'सभी' में काश्मीर शामिल नहीं है।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति, श्री अयूबखांने, 1 दिसम्बर को अपने रेडियो भाषण में कहा है कि उनके विदेश मंत्री तथा रूसी नेताओं के बीच मास्को में बहुत महत्वपूर्ण वार्ता हुई है और रूस के साथ उनके सम्बन्ध दिन प्रतिदिन अच्छे होते जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि काश्मीर विवाद के शांतिपूर्ण हल के लिये उन्होंने श्री कोसिजिन का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया है। क्या इस से यह आभास नहीं मिलता कि वहां काश्मीर का प्रश्न भी उठाया जायेगा ?

मैं प्रधान मंत्रीजी से विदेश यात्रा पर जाने से पूर्व यह बताने का अनुरोध करूंगा कि क्या अपनी सेवायें प्रस्तुत करके सोवियत रूस मध्यस्थ का कर्त्तव्य निभायेगा या वह कोई ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा जिस पर भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति विचार कर सकें। कुछ इस आशय के समाचार भी मिले हैं कि सोवियत रूस काश्मीर को स्वायत्त राज्य बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव पेश करेगा। अन्त में मैं प्रधान मंत्री की ताश्कन्द तथा बर्मा यात्रा की सफलता के लिये शुभकामनायें अर्पित करता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : अपने दल की ओर से मैं ताश्कन्द की भेंट की सफलता की इच्छा व्यक्त करता हूं तथा इस अवसर पर रूस के प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के लिये इस भेंट के आयोजन में पहल की है । ताश्कन्द वार्ता की सफलता की कामना करते हुए मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात के प्रत्येक अवसर का लाभ उठायें जिससे चीन के साथ हमारे विवाद का शांतिपूर्वक हल हो सके क्योंकि भारत के बाहर ऐसे मित्र हैं जोकि दोनों देशों के बीच समझौता कराने के तैयार हैं ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : The observations that I have to make at present are meant not for our Prime Minister, but to the Prime Minister of Soviet Union and the Presidents of U. S. A. and Pakistan.

I would like to tell the Prime Minister of U. S. S. R. that Kashmir problem can not be solved by the Resolution adopted by Security Council *i.e.* by calling the forces at the positions which they held on August 5, 1965, but the only way to settle the Kashmir problem is to see that a confederation of India and Pakistan is formed. I would also appeal to the President of Pakistan that if this confederation is formed our sub-continent would become the biggest power in Asia and possibly in the world and it would also become the biggest Islamic state of the world having a majority of 15 crores Muslims than any other country of the world.

I would also appeal to the President of U. S. A. to give adequate assistance for the proper economic development of this region and thereby show to the world that U. S. A. and U. S. S. R. believe in co-existance and they both have helped this country.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : The Prime Minister's proposed visit to Burma is welcomed and it is hoped that the visit would pave the way for strengthening of our cultural and political relations with the South East Asian Countries.

The Prime Minister's proposed visit to U. S. A. and Tashkent will be Considered a test of his statesmanship, because his success there would depend to the extent he is able to mould public opinion in those countries in India's favour.

I will request to the Prime Minister that while in America, he should impress upon the American President and other statesmen that they should give up looking at India and studying its problems through the eyes of Britains. Past experience has testified that Britain's intentions are not good.

Secondly, he should also categorically make it clear to the American President that the theory of self-determination in Kashmir is out of question. By doing so, we would be sowing the seeds of disintegration in all States and that will never be acceptable to us, because Kashmir is an integral part of India as other States. It should also be made clear to them that the part of Kashmir which is still occupied by Pakistan should be got vacated by Security Council, America or Russia without bloodshed; otherwise we would take that by force.

Thirdly, I am very glad to note that the Prime Minister has set at rest the doubt that existed in the minds of the people and made it clear that Kashmir will not be discussed at Tashkent.

श्री शिकरे (मारमागोआ) : निस्संदेह, सारा देश शान्ति पुनः स्थापित करने के मामले में प्रधान मंत्री जी के साथ है। साथ ही हमें यह भी विश्वास है कि वह देश के आत्म सम्मान और प्रतिष्ठा के विरुद्ध कुछ नहीं होने देंगे। इन शब्दों के साथ मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं।

श्री मुहम्मद इस्माईल (मंजेरी) : हम प्रधान मंत्री जी द्वारा घोषित विदेश यात्रा कार्यक्रम का हार्दिक अनुमोदन करते हैं और उसकी सफलता की शुभ कामना करते हैं।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I fail to understand how a solution to our problems with Pakistan would be found at Tashkent when it lies in settling at the battle field.

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) : मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये उद्गारों के लिये उनका आभारी हूं और विरोधी दलों के नेताओं द्वारा हमारे पक्ष का जो अनुमोदन किया गया है उससे मुझे हर्ष हुआ है।

काश्मीर के संबन्ध में मेरी तथा सरकार की नीति सर्वविदित है इसलिये मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं डा० लोहिया के ठोस सुझाओं के लिये उनका विशेष रूप से आभारी हूं।

Dr. Ram Manohar Lohia : One thing more. In his meeting with President Ayub the Prime Minister should speak in Hindi.

अध्यक्ष महोदय : मुझे खुशी है कि सभी दलों ने प्रधान मंत्री जी को उनकी यात्रा के लिये समर्थन और उसकी सफलता लिये कामना की है। मैं उन माननीय सदस्यों की ओर से उन्हें उनका समर्थन पेश करता हूं जिन्हें यहां बोलने का अवसर नहीं मिला। मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं और इस यात्रा में सारे देश का समर्थन उन्हें प्राप्त है।

राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता के बारें में संकल्प—(जारी)

RESOLUTION RE : NATIONAL AND EMOTIONAL INTEGRATION—*Contd.*

Shri Siddheshwar Prasad : I was saying that our contry is integrated only in name and it could be believed to oneness of an orange *i.e.* when pealed it is divided into water-tight petty compartments. In this contest, I draw the attention of the House to the National Integration Conference in 1961 convened by the late Prime Minister Shri Nehru and the Resolutions passed by this Conference. I am sorry to point out no concrete step has been taken towards their implementation during the last five years. It was said therein that emotional integration is a kind of psychological and educational process, therefore it is necessary to change our educational pattern. But nothing has been done in this regard despite the fact that the Prime Minister himself was its president. It was also pointed out that unless there was a balanced economic development, the foundations of integrations could not go deep and strong. Still we find great imbalance in zonal development.

The Report of the Monopolies Commission, published recently, points out the concentration of economic powers in a few hands, which is a negation of declared Government policy of equitable distribution of nation's economic resources. It is therefore very essential to draw Government's attention towards the pack of genuine integration which is due to all these imbalances.

[Shri Siddheshwar Prasad]

Many unhappy incidents take place as a result of Communal feelings in the country. The root cause of all this is ignorance and lack of proper education. Many States like J. & K. are educationally very backward. Educational imbalances should therefore be removed. We should set aside all Party feelings in trying to eradicate illiteracy from the country. Let all of us work unitedly and tirelessly to achieve this objective.

Unfortunately, the two-nation theory, which was responsible for the division of this country is so deeply entrenched in our life and it is causing such a great harm that the earlier it is eradicated the better. We would have to create proper atmosphere for that. We have to inculcate such feelings which might make us feel that we are Indians first and Hindus, Muslims and and Christians afterwards. We are Indians first and that is why we are able to claim alligience to a particular State. This has resulted in lack of proper response from the people towards planning, education and all other Socio-economic reforms, sponsored by Government. That is why we have to look to foreign countries for all sorts of assistance. I must assert that unless we develop Self-Confidence, we would not be able to solve any of our problems.

With these words, I hope that Government would solve these problems and take all necessary steps to bring about national and emotional integration in the country.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"इस सभा की राय है कि भारत में राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता स्थापित करने के उद्देश्य से हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से एकता नष्ट करने वाले सभी तत्वों, अर्थात् साम्प्रदायिकता, जातिवाद, प्रदेशवाद, संकीर्ण भाषावाद आदि के उन्मूलन के लिये आवश्यक कदम उठाये जायें।"

इसमें कई संशोधन हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या प्रस्तुत करता हूं।

Shri Yashpal Singh(Kairana) : I beg to move my substitute motion No. 2.

श्री बालकृष्णन (कोइलपट्टी) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री महम्मद कोया (कोझीकोडे) : मैं संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move substitute motion No. 5.

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुहम्मद इस्माइल का संशोधन संख्या 8 वही है जो संख्या 4 है और जिसे प्रस्तुत किया जा चुका है। डा० महादेव प्रसाद यहां प्रस्तुत नहीं हैं।

यह संकल्प और स्थानापन्न प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं और इनपर चर्चा अगले दिन होगी।

Shri Madhu Limaye : As the Resolution and its amendments would be taken up in the next session now, therefore, they might be circulated again at that time because these would not be there with Members then.

उड़ीसा में आम चुनावों के स्थगन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : POSTPONEMENT OF GENERAL ELECTIONS IN ORISSA

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : श्रीमन्, उड़ीसा विधान सभा की वर्तमान अवधि 20 अगस्त, 1966 को समाप्त हो जायेगी। देश भर में आम चुनाव फरवरी-मार्च 1967 में होंगे। अब प्रश्न यह है कि दोनों में केवल छः महीने का अन्तर है तो क्या हम चुनाव कराये या नहीं।

पहली बात तो यह है कि सरकार को दुगना खर्च करना पड़ेगा और उम्मीदवारों और राजनैतिक को भी दो बार खर्च करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त प्रशासन पर भी भार पड़ेगा और मतदाताओं को भी असुविधा होगी।

इन कारणों से उड़ीसा की कुछ पार्टियों ने उड़ीसा विधान सभा के लिये पृथक आम चुनाव कराने का विरोध किया है। अन्त में आपात कालीन स्थिति चल रही है और इस कारण हमने लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के उपचुनाओं को भी स्थगित कर दिया है। हम समझते हैं कि पृथक आम चुनाव पर पैसा और समय खर्च ना करना अवांछनीय है। इसलिये 1967 के आरम्भ तक इसको स्थगित करना राष्ट्रीय हित में होगा।

श्री नारायण दाण्डेकर (गोंडा) : श्रीमान् यह आश्चर्य की बात है खर्च तथा प्रशासनिक असुविधा के कारण जनता को वर्तमान भ्रष्ट सरकार को हटाने के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। सब जानते हैं कि वर्तमान सरकार भ्रष्ट और अकार्यकुशल है। चुनाव अगले वर्ष अवश्य होने चाहियें।

सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं सरकार के निर्णय से सहमत हूं परन्तु बीच की अवधि के लिये राष्ट्रपति का शासन होना चाहिये।

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I oppose this decision. Already there is much of lawlessness in Orissa State.

उपाध्यक्ष महोदय : अब अल्प सूचना प्रश्न होंगे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—(जारी)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

सशस्त्र सेना में अनिवार्य भर्ती

अ० सू० प्र० सं० 13 श्री हरि विष्णु कामत : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस प्रेस रिपोर्ट में कहां तक सचाई है कि सशत्र सेनाओं में अनिवार्य भर्ती करने के एक प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय-रूप से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में कब तक पक्का फैसला होने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : ग्रेजुएट को अफसर संवर्ग में चुनी हुई अनिवार्य भर्ती के लिए तथा विश्वविद्यालय में भर्ती होने वालों को राष्ट्रीय सेवा में अनिवार्य भर्ती करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक

अवस्था में है और अभी उसकी छानबीन होनी बाकी है। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित है :-

चुनी हुई अनिवार्य भर्ती : हर साल विश्वविद्यालयों से निकलने वाले ग्रेजुएटों में से 10,000 ग्रेजुएटों को एक साथ चुन लिया जायेगा फिर उनमें से 2,000 उपयुक्त व्यक्तियों को चुनाव की कार्य विधि द्वारा कमिशन देने के लिए चुना जायेगा। अफसर ट्रेनिंग स्कूल में 6 महीने ट्रेनिंग देने के बाद, उन्हें अस्थाई कमीशन दिया जायेगा और फिर उन्हें 18 महीनों के लिए रिगुलर यूनिट के साथ तैनात कर दिया जायेगा। इस अवधि के समाप्त होने पर वे सेना से विमुक्त कर दिये जायेंगे और फिर आवश्यकता पड़ने पर 30 वर्ष की अवस्था तक उन्हें सेना में वापस बुला लेने की शर्त पर उन्हें रिजर्व में रख दिया जायेगा। इस प्रकार के व्यक्ति यदि जन सेवा में भर्ती होना चाहेंगे, तो उन्हें अधिकतम आयु-सीमा में दी जायेगी। चुने जाने पर उन्हें सेवा में वरीयता, वेतन इत्यादि के मामलों में रक्षा सेवाओं में बिताए गए समय की गुरूता दी जायेगी। इस सीमित योजना का अभिप्राय कमीशन पदों के लिए रंगरूट भर्ती करना नहीं है, क्योंकि इसमें भर्ती होने वालों की कोई कमी नहीं है, बल्कि इसका अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति को यह समझाने का है कि देश की रक्षा करने में उसका योगदान भी होना चाहिए। यह भी आशा की जाती है कि इस प्रकार की योजना से शार्ट सर्विस रिगुलर कमीशन के लिए भी अधिक उपयुक्त किस्म के उम्मीदवार आकृष्ट होंगे।

राष्ट्रीय सेवा : हायर सेकेण्डरी की शिक्षा समाप्त कर विश्वविद्यालय में भर्ती होने की इच्छा रखने वाले सभी लड़कों को विश्वविद्यालय में भर्ती होने से पहले एक वर्ष तक राष्ट्रीय सेवा करनी होगी। इसमें तीन महीनों तक विस्तृत सैनिक शिक्षा दी जायेगी, बाकी समय में उन्हें स्वयं परिपूर्ण यूनिटों में बदल कर विभिन्न प्रकार के रक्षात्मक कामों में लगाया जायेगा, जैसे कि अग्रवर्ती क्षेत्रों में सड़कें बनाने का काम तथा अन्य रक्षा सम्बन्धी निर्माण-कार्य। इस राष्ट्रीय सेवा से व्यक्ति विशेष में अनुशासन की भावना मेहनत के कामों प्रति रूचि तथा राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न होगी और इस से वह एक अच्छा नागरिक बनेगा इस प्रकार की राष्ट्रीय सेवा वर्तमान समय के राष्ट्रीय छात्रदल के सीनियर डिवीजन के बदले में होगी। यह योजना की मुख्य रूप रेखा है न कि योजना। अभी किसी ने भी कोई निर्णय नही किया है।

श्री हरि विष्णु कामत : इसके अतिरिक्त क्या सरकार के सामने सभी युवकों को और आवश्यकता षड़ने पर 18 से 28 वर्ष की आयु की युवतियों को भी पर्याप्त सैनिक प्रशिक्षण देने तथा विश्वविद्यालयों में सैनिक विज्ञान के अध्यापन का कोई प्रस्ताव है ?

माननीय मंत्री की अपने पूर्वाधिकारी के हाल के वक्तव्य पर क्या प्रतिक्रिया है जिसमें उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण तथा अनिवार्य भर्ती की बुराई की है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे निश्चित रूप से नही पता कि मेरे पूर्वाधिकारी ने क्या कहा था। इन प्रस्तावों पर सैनिक कार्य संबंधी समिति ने विचार किया था जो कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद की एक उपसमिति है। सैनिक कार्य समिति में भी योजना के बारे में दो मत हैं, परन्तु मैं समझता था कि हमारे देश को इसका ज्ञान होना चाहिये। यदि हम जनता के विचारों को जानते हैं तो सैनिक-कार्य समिति राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद तथा सरकार के लिये अपना मत बनाना सरल हो जाता है।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। प्रश्न यह था कि क्या युवकों तथा युवतियों को सैनिक प्रशिक्षण देने तथा विश्वविद्यालयों में सैनिक विज्ञान के शिक्षण का कोई प्रस्ताव है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वास्तव में इस प्रस्ताव से ही बहुत सी बातें पूरी हो जाती हैं। राष्ट्रीय छात्र सेनादल का सीनियर डिवीजन भी अंशतः इस बात को पूरा करता है। सभी युवकों को प्रशिक्षण देने की कोई योजना या प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : इसका उत्तर नहीं दिया गया है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि आप का ध्यान इस ओर नहीं है।

क्या सरकार का प्रस्ताव इस बात के प्रभाव अधीन है कि शत्रु चीन की स्थायी सेना 30 लाख व्यक्तियों की है और भी चीन के पास एक करोड़ व्यक्तियों और महिलाओं की प्रशिक्षत रक्षित सेना है। यदि ये आंकड़े ठीक नहीं हैं तो ठीक आंकड़े बता दिये जायें?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वर्तमान योजना का चीन की 'मिलिशिया' से कोई सम्बन्ध नहीं है और नहीं इस का सम्बन्ध चीन की धमकी से है। इरादा यह था कि युवकों को अधिक अनुशासित बनाया जाये और प्रतिरक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी से अधिक जागरूक बनाया जाये। यदि किसी को ऐसी गलतफहमी है कि यह प्रस्ताव किसी ओर से धमकी के विरुद्ध प्रतिरक्षा की ओर एक कदम नहीं है तो मैं इस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं।

श्री नाथ पाई : घोषणा के प्रथम भाग का स्वागत करते हुए कि विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले युवकों को राष्ट्रीय सेवा करनी पड़ेगी मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है जिसके फलस्वरूप देश की रक्षा का बोझ एक वर्ग विशेष पर न पड़ कर समाज के सभी वर्गों पर पड़े और देश की रक्षा का श्रेय सभी वर्गों को प्राप्त हो।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : चुने हुए लोगों की अनिवार्य भरती की योजना लागू करने का यही उद्देश्य है।

Shri Madhu Limaye : May I know whether Government have under consideration any scheme under which all the doctors in the country would be conscripted for military service ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्रीमती सावित्री निगम : एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि अधिकारियों के पदों के लिये लड़के विश्वविद्यालयों से लिये जायेंगे। लड़कियों को अधिकारियों के ग्रेड से क्यों निकाला गया है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : महिलाओं का अपना कार्यक्षेत्र है। वे नर्सिंग और चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में शामिल हो सकती हैं।

श्री जोकिम आल्वा : राष्ट्रीय सेना छात्र दल को छोड़ कर क्या इसमें चिकित्सा, विज्ञान, विधि तथा इंजीनियरी कालिजों के विद्यार्थियों तथा 23-30 वर्ष की आयु के बीच, 400 से 1000 रु० तक वेतन पाने वाले व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जायेगा चाहे वे सरकारी अथवा गैर-सरकारी कार्यालयों में काम करते हों?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ये सभी सुझाव निश्चय ही अच्छे हैं। प्रस्ताव का यही उद्देश्य है। हम जितने विचारों पर सम्भव हुआ विचार करेंगे।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : वहां चुने हुए व्यक्तियों की अनिवार्य भरती होगी। इस से कुछ सन्देह उत्पन्न होते हैं। इस से उन लोगों को जो इस से बचना चाहते हैं मौका मिलेगा। इस लिये मैं माननीय मन्त्री से कहूंगी कि वह 'चुने हुए' शब्दों का प्रयोग न करें यदि यह अनिवार्य भरती है तो प्रत्येक के लिये अनिवार्य भरती होनी चाहिये। इस 'चुने हुए' का क्या अर्थ है? जो इस में भरती होना नहीं चाहते उन को इस के लिये कुछ बहाना मिल सकता है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस सुझाव पर विचार किया जायेगा।

ब्रिटिश गिनी से चावल का आयात

+

अ० सू० प्र० सं० 14. श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश गिनी की सरकार ने भारत को पटसन की बोरियों के बदले में चावल बेचने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, उसने एक ऐसा प्रस्ताव कुछ समय पूर्व किया था ।

(ख) हमने एक सौदे के लिये बातचीत करने की इच्छा प्रकट की थी बशर्ते कि उनके मूल्य आदि में समंजन हो जाय । ब्रिटिश गिनी सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है ।

Shri Yashpal Singh : May I know the quantity of rice which we may get in exchange of one jute bag ?

Shri Manubhai Shah : They are importing about sixty things from our country and we will be getting rice in exchange for them.

Shri Yashpal Singh : May I know the quantity of rice which we will be getting in exchange of these sixty things.

Shri Manubhai Shah : No final decision has been taken about the quantity of the rice to be imported. Our intention is to increase the trade with British Guiana, where quite a large number of Indians are living, and that it should be worth 5 crores of Rupees between the two countries.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि ब्रिटिश गिनी हमारी चावल की सारी आवश्यकता को पूरा कर सकता है ?

श्री मनुभाई शाह : नहीं, परन्तु इस हद तक कि हमें अधिक मात्रा में चावल मिलेगा, इससे कुछ सुविधा होगी ।

पाकिस्तान रेडियो पर प्रचार

+

अ० सू० प्र० सं० 15. श्री बड़े : **श्री उ० मू० त्रिवेदी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री यु० द० सिंह :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान रेडिओ प्रति दिन यह प्रचार कर रहा है कि सरकार ने काश्मीर में जनसंघियों को हथियार दिये हैं ;

(ख) क्या पाकिस्तान रेडियो यह झूठा प्रचार भी कर रहा है कि जनसंघी स्वयंसेवक उन हथियारों से काश्मीरियों को मार रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। पाकिस्तान रेडियो द्वारा कई बार ऐसे समाचारों का प्रसारण किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) ये सभी आरोप झूठे हैं और पाकिस्तान द्वारा लगाये जाने वाले दूसरे आरोपों की तरह ही हैं। काश्मीर रेडियो ने इन निराधार आरोपों का खण्डन किया है। आकाशवाणी द्वारा प्रधान मन्त्री के वक्तव्य का प्रसारण किया गया है जिस में इन आरोपों का खण्डन किया गया है।

Shri Bade : May I know whether this Pakistani propaganda has not been going on even 15 to 20 days prior to my giving notice for this question ? Even then our Government has not contradicted it. Why was it not contradicted earlier if the Government were aware of this propaganda?

Shri Swaran Singh : Radio Kashmir has been contradicting this propaganda for the last many days.

Shri Bade : Why not from our own radio ?

Shri Swaran Singh : Radio Kashmir is also ours.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मन्त्री महोदय ने इस प्रश्न को टालने वाला उत्तर दिया है जिस से यह प्रभाव पड़ जाता है कि पाकिस्तान रेडियो द्वारा जो प्रोपेगण्डा चल रहा है उस के प्रतिरोध करने का कर्तव्य आकाशवाणी का नहीं है। काश्मीर रेडियो को जनसाधारण नहीं सुनते हैं यह केवल आकाशवाणी ही है जिस को सारे भारत में जनसाधारण द्वारा सुना जाता है। इस लिये यह मांग करना बहुत ही उचित है कि पाकिस्तान रेडियो द्वारा जो प्रोपेगण्डा हो रहा है उस के प्रतिरोध के लिये भरसक प्रयत्न किये जाये क्योंकि प्रचार के अभाव से हमें सारे विश्व में हानि उठानी पड़ी है। इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि इस पाकिस्तानी प्रोपेगण्डे के प्रतिरोध में आकाशवाणी के वक्तव्य जारी किये जाये। ऐसे वक्तव्य अब तक क्यों नहीं दिये गये ?

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार इस सुझाव पर विचार कर सकती है।

श्री स्वर्ण सिंह : मेरा विचार है कि मैंने इस को बहुत ही सकारात्मक ढंग से किया है। मैं इसे अधिक सकारात्मक ढंग से नहीं कर सकता।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : माननीय मन्त्री यहां तो सकारात्मक हैं परन्तु उन को विश्व के सम्मुख भी सकारात्मक होना है।

बी० एम० टी० कमोडिटी कम्पनी, न्यूयार्क

अ० सू० प्र० सं० 16. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इस बात की पुष्टि की थी कि नेशनल कम्पनी लिमिटेड ने 'ज्यूट बैंकिंग क्लाथ' के सौदों के लिए न्यूयार्क की बी० एम० टी० कमोडिटी कम्पनी की विदेशी मुद्रा की बड़ी राशि का अवैध भुगतान किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया गया और सरकार का विचार इसे कैसे वसूल करने का है ;

(ग) क्या दो वर्ष पहिले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उसी कम्पनी के इसी बारे में एक पिछले करार को शून्य घोषित किया था ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त निर्णय पर उस समय सरकार ने क्या कार्यवाही की थी और हाल के निर्णय पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : कलकत्ता हाईकोर्ट में मुकदमें से सम्बन्धित पार्टियों के बारे में निश्चित सूचना अथवा निर्णय की तारीख के अभाव में सरकार उल्लिखित मामले को ढूंढ़ निकालने की स्थिति में नहीं है। इस कम्पनी द्वारा किये गये विदेशी मुद्रा सम्बन्धी उल्लंघन का कोई रिकार्ड प्रवर्तन निदेशालय के पास नहीं है।

(ग) और (घ) : रिकार्ड पर से यह जाहिर नहीं होता कि इस कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही की गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के दो वर्ष पहले के निर्णय के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है।

श्री रेणु चक्रवर्ती : क्या सरकार का ध्यान परसों या इस से एक दिन पूर्व के 'स्टेटसमैन' की ओर गया है जिस में सारा निर्णय प्रकाशित हुआ है इस में न्यायाधीश ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम कि विभिन्न धाराओं के विरूद्ध कार्य किया है। मैं जानना चाहती हूं कि 'रिजर्व बैंक' ने कम्पनी अधिनियम की धारा 294, 204 आदि के विरूद्ध कार्य क्यों होने दिया। क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार के ध्यान में यह क्यों नहीं लाया गया?

श्री ब० रा० भगत : इस प्रश्न के प्राप्त होने के बाद हम ने 'रिजर्व बैंक' से यह पता लगाने की कोशिश की थी कि क्या इस कम्पनी ने कोई अनियमितता की है? उन्होंने कहा है कि हाल ही में इस कम्पनी ने कोई अनियमितता नहीं की है। परन्तु हम जानने की कोशिश करेंगे और न्यायालय में शिकायतों के बारे में भी क्या निर्णय है जानकारी लेंगे क्योंकि यह मामला कई वर्ष पुराना है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं अगली बार फिर इस प्रश्न को लूंगी।

नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड के सिविल इंजीनियरों की छंटनी

+

अ० सू० प्र० सं० 17. **श्री मधु लिमये** :
श्री कंडप्पन :
श्री किशन पटनायक :
श्री धर्म लिंगम :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राजा राम :
श्री सेझियान :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री मुत्तु गौंडर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड में काम करने वाले सिविल इंजीनियरों की बड़े पैमाने पर छंटनी होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो छंटनी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) कितने इंजीनियरों की छंटनी की जायेगी?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड में अस्थैनिक निर्माण कार्य पूरा होने के परिणामस्वरुप कुछ महीनों में कारपोरेशन के पांच सीनियर इंजीनियर, 34 सहायक इंजीनियर और लगभग 150 जूनियर इंजीनियर फालतू हो जायेंगे।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the Hon. Minister is aware that about twenty per cent civil engineers get plucked in their examinations and thus there is a huge wastage of money. The committee too has given a report in this connection. If it is so and the Government also treats the successful candidates in this way then there will be a huge loss of national property. I would like to know, therefore, whether Government will provide them jobs in other industries?

Shri P. C. Sethi : It is to avoid loss to national property they are not kept where there is no work. Every effort will be made to provide them job in other places. Efforts are being made in that directions and about 35 or 36 per cent persons have already been absorbed in other places.

Shri Madhu Limaye : Where have they been absorbed ?

Shri P. C. Sethi : I don't have the details with me. I know only the number.

श्री सेक्कियान : माननीय उपमंत्री ने कहा है कि लगभग 229 सिविल इंजीनियरों के फालतू हो जाने की सम्भावना है। मुझे पता लगा है कि उनको सूचित कर दिया गया है कि उनको 1 अप्रैल 1966 से नौकरी से निकाल दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे इन उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था परन्तु नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन द्वारा 27 सितम्बर 1965 को जारी किये गये परिपत्र में यह बताया गया था कि एसा कोई भय नहीं होना चाहिये कि फालतू हुए व्यक्तियों को बाहर भेज दिया जायेगा। कारपोरेशन के अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार दिये गये आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन लोगों को वहीं खपाया जायेगा या सरकारी उपक्रमों में किन्हीं अन्य स्थानों पर खपाया जायेगा ताकि उनकी सेवा भंग न हो।

श्री प्र० चं० सेठी : वहां हमें 99 इंजीनियरों की आवश्यकता होगी। इनको छोड़कर जितने व्यक्ति फालतू हो जायेंगे उनको उस कारपोरेशन में नहीं बल्कि किन्हीं अन्य उद्योगों में खपाया जायगा।

श्री सेक्कियान : जो स्पष्ट आश्वासन दिया गया था कि किसी को बाहर नहीं भेजा जायेगा उसका क्या हुआ है।

श्री कंडप्पन : जिन इंजीनियरों को निकाला जा रहा है वे अनभवहीन नहीं हैं। उनको 5 से 10 वर्ष का अनुभव है। यदि ऐसे इंजीनियरों को जिनको सात या दस वर्ष का अनुभव है इस प्रकार से निकाला जाने लगेगा तो सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले सिविल इंजीनियरों की सेवा की सुरक्षा क्या होगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : जहां तक निर्माण का संबंध है ऐसा केवल नेवेली में ही नहीं अपितु सारी परियोजनाओं में ही होता है। जैसा कि मैंने भिलाई के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में सभा में कहा था वहां पर भी निर्माण कार्य के समाप्त होने के पश्चात् कुछ हजार व्यक्ति निकाले जायेंगे। यह एक आम बात है। हम उन्हें अन्य औद्योगिक उपक्रमों में खपाने की कोशिश करते हैं।

आश्वासन के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। प्रश्न काल में कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है। फिर भी उन्हें अन्य जगह खपाने की पूरी कोशिश की जायेगी।

श्री राजाराम : जब रांची में ऐसी ही स्थिति पैदा हुई थी तो उसी मंत्रालय ने सभा को आश्वासन दिया था कि संबंधित इंजीनियरों को अन्य सरकारी उपक्रमों में खपाया जायेगा। मंत्री महोदय को नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के इंजीनियरों को आश्सान देने में कोई संकोच नहीं करना चाहिये। जापानी सलाहकारों ने उस स्थान का दौरा किया था। उन्होंने कहा था कि सलेम भारत का खजाना है। यदि इन इंजीनियरों तथा दक्षिण के लिये मंत्री जी के दिल में जगह है, तो वह सलेम परियोजना पर भी विचार कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा ही कहा है।

श्री संजीव रेड्डी : इसके अतिरिक्त रांची में भी काफी इंजीनियर फालतू थे। हमने सभा में कोई आश्वासन नहीं दिया था। हमने इतना ही कहा था कि जहां तक संभव होगा हम उन्हें खपाने की कोशिश करेंगे।

श्री राजाराम : नहीं, आपने आश्वासन दिया है।

श्री संजीव रेड्डी : मुझे उसकी जानकारी नहीं है। जैसा मैंने सुना वैसा आश्वासन नहीं दिया गया था। मैंने आंशिक रूप से इसका उत्तर दिया था। मैंने केवल इतना ही कहा था कि जहां तक संभव होगा उन्हें खपाने की कोशिश की जायेगी।

श्री कन्डप्पन : इससे सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये बुरा उदाहरण स्थापित कर रही है।

एशियाई विकास बैंक

अ० सू० प्र० सं० 18. श्री हरि विष्णु कामत : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक स्थापित करने के लिये एक करार हुआ है,

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य देशों के नाम क्या हैं,

(ग) आरम्भ में बैंक की कुल पूंजी कितनी होगी तथा उसके उद्देश्य क्या होंगे, और

(घ) यह कब से काम करना आरम्भ करेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां, किन्तु शर्त यह है कि उचित अवधि में इसकी पुनः पुष्टि हो।

(ख) (1) जिन क्षेत्रीय देशों ने अब तक बैंक की पूंजी के लिये अपना भाग देने का वचन दिया है वे हैं अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, कम्बोडिया, श्रीलंका, चीन (ताइवान), भारत, ईरान, जापान, कोरिया गणराज्य, लाओस, मलयेशिया, नेपाल, न्यूजीलैण्ड, पाकिस्तान, फिलिपाइन, वियतनाम गणराज्य, सिंगापुर, थाईलैण्ड, पश्चिमी समोआ।

(2) जिन अ-क्षेत्रीय देशों ने अब तक बैंक की पूंजी के लिये अपना भाग देने का वचन दिया है वे हैं बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, संघीय जर्मन गणराज्य, इटली, नीदरलैण्ड, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमरीका।

(ग) बैंक की अधिकृत स्टाक पुंजी 10 खरब अमरीकी डालर की होगी, उसके उद्देश्य और लक्ष्य एकाफे क्षेत्र में आर्थिक विकास और सहयोग करना तथा इस क्षेत्र में स्थित विकासमान देशों के आर्थिक विकास की गति में संयुक्त रूप में तथा निजी तौर पर वृद्धि करना।

(घ) आशा है कि गवर्नरों के बोर्ड की उद्घाटन बैठक इस करार की 15 देशों द्वारा जिन में कम से कम 10 क्षेत्रीय देश होंगे, पुनः पुष्टि प्राप्त होने पर होगी। पुनः पुष्टियां प्राप्ति की अन्तिम तिथि सितम्बर, 1966 है। आशा है कि बैंक का कार्य संचालन उद्घाटन बैठक हो जाने पर आरम्भ होगा।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे खेद है कि मैं उल्लिखित देशों के नाम याद नहीं रख सका परन्तु क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं -- हो सकता है मुझे गलती लगी हो -- क्या रूस और पूर्व युरोपीय देश इस में भाग ले रहे हैं ? अफ्रीकी देश और लेटिन अमरीकी देशों की क्या स्थिति है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एशियाई विकास बैंक है।

श्री मनुभाई शाह : जी हां, यूरोपीय देश आरम्भ से ही हैं। हमें आशा थी कि रूस भी शामिल होगा। हमने अपनी आशा तो नहीं छोड़ी है परन्तु रूस ने अपनी सहमति प्रकट नहीं की है।

श्री हरि विष्णु कामत : यह देखते हुए कि यह एशियाई विकास बैंक आर्थिक प्रगति की ओर एक बड़ा कदम है, क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि और क्या माननीय मंत्री स्पष्ट रुप से बताने की स्थिति में हैं कि इसके परिणाम स्वरुप निकट भविष्य में एक एशियाई सांझा बाजार बनेगा ?

श्री मनुभाई शाह : ये दोनों चीजें एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं । आवश्यकता इस बात की है कि हम सहयोग क्षेत्र को बढ़ाते जायें---क्षेत्र के अन्दर भी और बाहर भी।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि विकासशील देशों को भी बराबर का लाभ होगा ?

श्री मनुभाई शाह : यह विकासशील देशों के विकास के लिये ही है । इस बैंक द्वारा किसी उद्योगपति को ऋण नहीं दिये जायेंगे। ऋण केवल विकासशील देशों के लिये हैं।

श्री जोकिम आल्वा : इस बैंक के गठन में भारत का क्या भाग है और क्या बोर्ड आफ गवर्नर्स में एशिया के सदस्य होंगे अथवा क्या यह विश्व बैंक की तरह ही दुसरा बैंक होगा जिसपर अमरीका या बड़ी ताकतो का नियन्त्रण होगा ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में कई पूर्वधारणाओं को शामिल किया है। एक तो यह कि अधिक मात्रा में अंश दान देने वाले सभी "रिजनल" देश हैं। एनकेफ की पूँजी का 60 प्रतिशत से अधिक भाग 19 रिजनल देशों द्वारा दिया गया है जो कि 6000 लाख डालर है और हमारी आशा से 500 लाख डालर अधिक है और गैर रिजनल देशोंने, जिनके बारे में माननीय सदस्य ने डर व्यक्त किया है, कम अंशदान दिया है जो कि केवल 2960 लाख डालर है जब कि 4000 लाख डालर की आशा थी । वास्तव में एक शर्त रखी गई है कि यदि वे वास्तव में भागी बनना चाहते हैं तो कम से कम 3500 लाख डालर का अंशदान होना चाहिये। "एनकेफ" के वेलिंग्टन सम्मेलन में भारत का बहुत बड़ा भाग रहा है जबकि चार्टर को अन्तिम रूप से स्वीकार किया गया था तो हमने बड़ा काम किया था क्योंकि अधिकांश देश इसका विरोध कर रहे थे और कुछ रिजनल देश भाग लेने के लिये इतने उत्सुक नहीं थे; माननीय मंत्री के दिमाग में जो देश है उसने सरकारी ब्यान दिया है कि एशियाई विकास बैंक की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी आवाज़ ने उनका मत पलट दिया और सम्मेलन की समाप्ति पर वे सहमत हो गये और यह अमरीका की बड़ी कृपा है कि वे गैर रिजनल सदस्य के रूप में 2,000 लाख डालर अंशदान देने के लिये राजी हो गये हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha, then adjourned sine die.

भा.स.मु.ना. वि. २---१७ लोक सभा/६६---९-११-६६---६००

P.L.S. 48. XLIX. 27-65(N
600

©. 1965 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक द्वारा मुद्रित ।

© 1965 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NASIK.